लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ५, १९६२/१८८४ (शक)

[८ से २२ जून १९६२/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़ १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ५ में अंक ४१ से ५१ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

(तृतीय माला खण्ड ५—अंक ४१ से ५१—८ से २२ जून, १९६२)/१८ ज्येष्ठ से १ आषाढ़, १८८४ (शक)

अंक ४१—शुक्रवार, ८ जून, १९६२/१८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

पृ०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न* संख्या १३५३ से १३५५, १३५७ से १३६५, १३६७ से १३७१ और १३७३ . . ४४८५—४५१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६, १३६६, १३७२ और १३७४ . ४५११–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७८७ से २८६० और २८६२ से २८६९ . ४५१२–४८

दिनांक १८-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर में शुद्धि

अविलम्बनीय लोक महत्व क विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .

(१) साल्ट कोटर्स रेलवे माल शैड, मद्रास में, माल उतारने का काम अस्थव्यस्त हो जाने का कथित समाचार . . ४५४८–४९

(२) दिल्ली में परमाणु बंम विरोधी सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के लिये जनवादी चीन गणराज्य को निमंत्रण . . ४५४९–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, (रेलवे) १९५९–६० . . . ४५५०

सभा का कार्य ४५५०–५१

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य . . ४५५१—५३

समिति के लिये निर्वाचन ४५५३

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित . . . ४५५३

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . ४५५४–५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५५५—६८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४५५५

राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक [श्री स० चं० सामन्त का] ४५६८

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) [श्री ज० ब० सिंह का] . ४५६८–६९

विधान परिषद् (रचना) विधेयक—परिचालित

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ४५६९—७३

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री स० च० सामन्तका]—अस्वीकृत . . ४५७४—७८

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव	
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दीवान चन्द शर्मा का]	
विचार करने का प्रस्ताव , . .	४५७८–७९
अंक ४२—सोमवार, ११ जन, १९६२/२१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८२ से १३८४, १३८६, १३८८, १३९० से १३९४ और १३९७ से १४०१ .	४५८७–४६११
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १३७५, १३७८ से १३८१, १३८५, १३८७, १३८९, १३९५, १३९६, १४०२, १४०३ और १४०५ .	४६१२–१७
अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २८९७, २८९९ से २९१५, २९१७ से २९३१ और २९३३ से २९३५ . . .	४६१७–४४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४६४४–४८
(१) केरल में एनाथ में ट्यूबरक्युलिन परीक्षण की प्रतिक्रिया से उत्पन्न स्थति	४६४४–४४
(२) नागपुर–टाटानगर यात्री गाड़ी का पटरी से उतर जाना .	४६४५–४८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुप स्थति सम्बन्धी समिति	
पहला प्रतिवेदन . .	४६४८
अनुदानों की मांगें	४६४८–६२
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	४६४८–६२
वित्त मंत्रालय	४६६२–९२
सभा की बैठक के दिन में परिवर्तन	४६७४–९२
कार्य मंत्रणा समिति	४६७५–९२
दूसरा प्रतिवेदन	४६९२
दैनिक संक्षेपिका . . .	४६९३–९७
अंक ४३—मंगलवार, १२ जून, १९६२/२२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्यां १४०६, १४०७, १४०९, १४११ से १४१३, १४१५ १४१६, १४१९ से १४२४ और १४२६ और १४२८ .	४६९९–४७२३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १६	४७२३–२८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०८, १४१०, १४१४, १४१७, १४१८, १४२५, १४२७, और १४२९	४७२८—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २९३६ से ३०४३	४७३२—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	४७८०—८४
(१) गुंटूर में तम्बाकू के लिये एक मार्क की पर्चियां देने में सरकार की कथित असफलता	
(२) पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	
(३) साम्भर झील के निकट सवारी गाड़ी और बस के बीच हुई टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८४
सैन्ट्रल प्रोविंसेस मैंगनीज और कम्पनी लिमिटेड के साथ हुए करार के बारे में वक्तव्य	४७८४—८५
ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच चल रही बातचीत के बारे में वक्तव्य	४७८४—८६
कार्य मंत्रणा समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	४७८६—४८०९
अनुदानों की मांगें	४७८६
वित्त मंत्रालय	४७८६—४८०९
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२, पुरःस्थापित तथा पारित	४८१०—११
वित्त (वित्त संख्या २) विधेयक, १९६२	
विचार करने का प्रस्ताव	४८११—१५
दैनिक संक्षेपिका	४८१६—२२
अंक ४४—गुरुवार, १३ जन, १९६२/२३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३०, १४३१, १४३३ से १४४०, १४४२, १४४४, १४४५, और १४४७ से १४४९	४८२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४४१, १४४३, १४४६ और १४५० से १४६४	४८४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४४ से ३१३५, ३१३७ से ३१४१, २१४३ और ३१४४	४८५३—९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७	४८९९
स्थगन प्रस्ताव	४९००
रेलवे फाटक पर रेल गाड़ी और बस में हुई टक्कर	४९००

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	४६००--०६
(१) उत्तरी लद्दाख में चीनियों द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र में चीनी टैंकों और बख्तर बन्द गाड़ियों का कथित आवागमन .	४६००-०१
(२) नेफा में नियुक्त कुछ वरिष्ठ सेना अधिकारियों की कथित भर्त्सना .	४६०१—०४
(३) वेस्ट विनय नगर, दिल्ली में साफ किये हुए पानी की कमी .	४६०५-०६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-	
दूसरा प्रतिवेदन	४६०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	४६०७—४३
विचार करने का प्रस्ताव	४६०७—४३
दैनिक संक्षेपिका	४६४४—५०

अंक ४५—शुक्रवार, १५ जून, १६६२।२५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के लिखित उत्तर	४६५१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या १४६५, १४६७ से १४७३ और १४७५ से १४८०	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४७४ और १४८१ से १४८८. .	४६७५—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३१४५ से ३२१३ . .	४६८०—५०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	५०१३—१७
सदर बाजार में विस्फोट . .	५०१३—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५०१७-१८
अनुपस्थिति की अनुमति	५०१८
विधेयक पुरःस्थापित	५०१६
१. सीमा शल्क विधेयक	५०१६
२. विशिष्ट सहायता विधेयक . . .	५०१६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२	५०१६—३७
विचार करने का प्रस्ताव	५०१६—३७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति .	
दूसरा प्रतिवेदन	५०३७
अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी संकल्प	५०३८—५४
मजदूरों संघों के प्रतिनिधिस्वरूप के बारे मे संकल्प . .	५०५४—५८
दैनिक संक्षेपिका	५०५६—६४

विषय	पृष्ट
अंक ४६—शनिवार, १६ जून, १९६१/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४८९ से १४९१, १४९३ से १४९६, १४९८ से १५०३, १५०५ और १५०७ से १५०९ .	५०६५—८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १४९२, १४९७, १५०४ और १५०६ . .	५०८९—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१४ से ३२९३ . .	५०९१—५१२६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	५१२६—२९
राजशाही जिले से आने वाले व्यक्तियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना . .	५१२९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	५१२९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर मे शुद्धि . — .	५१२९
सभा का कार्य	५१३०
वित्त (संक्या २) विधेयक १९६२ . . .	५१३०—५८
खण्ड २ से १९ और १, तथा अनुसूची . .	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५९–६० .	५१५८—६९
दैनिक संक्षेपिका	५१७०—७४
अंक ४७—सोमवार, जून १८, १९६२/२८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ज.	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१० से १५१८, १५२०, १५२१ और १५२३	५१५७—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ .	५१९८—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२२ और १५२४ से १५३७ .	५१९९—५२०५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३००, ३३०३ से ३३७०, ३३७३ से ३३९१ और ३३९३ से ३४२२ . .	५२०५—५९
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
राजसाहा जिले के निष्क्रमणार्थियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	५२५९—६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	

विषय	पृष्ठ
प्रोफैसर जे० बी० एस० हाल्डेन द्वरा भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् छोड़ने का कथित निर्णय . . .	५२६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५२६६
तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर में शुद्धि	५२६६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५६–६० . . .	५२६६—६७
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५६–६० . .	५२६७—७१
राष्ट्रपति की पेन्शन (संशोधन) विधेयक, १६६२ . . .	
विचार करने के प्रस्ताव	५२७१—८२
खण्ड २ से ४ तथा १	
पारित करने का प्रस्ताव . . .	५२८२—८५
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव	५२८६—६६
बाग नदी परियोजना के बारे मे आधे घंटे की चर्चा . . .	५३००—.०१
दैनिक संक्षेपिका	५३०२—०६
अंक ४८—मंगलवार, १६ जून, १६६२/२६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५३८ से १५४६, १५५१ और १५५२ .	५३११—३३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १६क . .	५३३४—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ और १५५४ से १५६२ . .	५३३८—४२
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२३ से ३४८६, ३४८८ से ३४६७, ३५०० और ३५०१.	५३४२—७७
अविलम्बनीय लोक कहत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	५३७८—८०
(१) मालदा जिले में पक्षाघात का महामारी के रूप मे फैलना .	५३७८—७६
(२) दिल्ली स्टेशन और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में पानी की कमी	५३७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५३८१—८३
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष १६६०–६१ के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य	५३८३—८४
विधेयक पुरःस्थापित —	
(१) प्रत्यर्पण विधेयक	५३८४
(२) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६२ . . .	५३८५
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक १६६२	५३८५
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	५३८६—८८
विचार करने का प्रस्ताव	५३८६

विषय	पृष्ठ
खंड २ और १	५३८८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५३८८
श्री विभूधेन्द्र मिश्र	५३८८
निर्वाचनों के संचालन नियमों के बारे में प्रस्ताव . . .	५३८८—५४०३
सीमा शुल्क विधेयक	५४०३—१०
प्रवर समिति को सौपने का प्रस्ताव	५४०३—१०
रिहान्द की बिजली को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मे बांटने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	५४१०—१४
दैनिक संक्षेपिका	५४१५—२३
अंक ४९—बुधवार, २० जून १९६२/३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ . . .	५४२३—४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० और २१ . . .	५४४५—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५७६ से १५९० .	५४४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५०२ से ३५१४, ३५१६ से ३५७०, ३५७२ से ३६३३, ३६३५, ३६३६ और ३६३६-क से ३६३६छ .	५४५४—५५१८
दिनांक २२-५-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर मे शुद्धि	
स्थगन प्रस्ताव	५५१८
भारतीय राज्य क्षेत्र मे चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार .	५५१८—१९
सभा पटल पर रखे गए पत्र	५५१९—२०
राज्य सभा से सन्देश	५५२०
गैर सरकारी सस्दयों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५५२०
तीसरा प्रतिवेदन	५५२०
हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५५२१
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १९६२—पारित . .	५५२१
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १९६२—पारित . . .	५५२२
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	५५२२—४७
पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में आध घंटे की चर्चा	५५४७—५४
दैनिक संक्षपिका	५५५५—६३
अंक ५०—गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ से १५९९ १६०१ और १६१४ १६०२ १६०४ और १६०५	५५६५—८८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६००, १६०३, १६०२—ए, १६०६ से १६१० १६१२, १६१३ और १६१५ से १६२० . . ५५८८—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३७ से ३६९० ३६९२ से ३७१२, ३७१४ से ३७२३, ३७२५ से ३७४२, ३७४४ से ३७५२, ३७५४ से ३७६७, ३७६७क, ३७६७ख और ३७६७ ग . ५५९४—५६५२

दिनांक २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४६ के उत्तर में शुद्धि ५६५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ५६५२—५४

(१) ब्रिटेन के राष्ट्रमंडलीय सम्बन्धों के राज्य सचिव के साथ यूरोपीय साझा बाजार के बारे में बातचीत . . . ५६५२—५३

(२) त्रिपुरा के कमलपुर और अन्य भागों मे भारी बाढ़ . ५६५३—५४

जानकारी प्राप्त करने के बारे में प्रश्न ५६५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५६५४—५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति . . ५६५७

कार्यवाही सारांश ५६५७

तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर मे शुद्धि . . . ५६५७

सौलवीन प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन के बारे मे वक्तव्य . . ५६५७

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम—अस्वीकृत . . . ५६५८—६४

भेषज (संशोधन) विधेयक ५६६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ५६६५—७३

खण्ड २ से २२ तथा १ . . . . . ५६६४—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ५६६४—७७

राज्यों को लोहे की नालीदार चादरों के दिये जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ५६७८—८०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५६८१—९१

अंक ५१—शुक्रवार, २२ जून, १९६२/१ आषाढ़, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२१, १६२३, १६२६ और १६२८ से १६३७ अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ और २३ . . . . ५६९३—५७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या १६२२, १६२४, १६२५, १६२७, १६३७क, १६३८ और १६३९ . . ५७२०—२३

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से ३८३३ और ३८३५ से ३८४५	५७२३–५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . .	५७५८–६५
(१) चीनियों द्वारा नेफा में भारतीय राज्य क्षेत्र पर कथित कब्जा	५७५८–६०
(२) आई० एफ० स्टेशन बपरौला दिल्ली में एक० ई० एस० के दो मेहतरों की मृत्यु	५७६०–६२
(३) पूर्वोत्तर रेलवे के तिलरथ स्टेशन के निकट रेल गाड़ी और ट्रक की टक्कर . . .	५७६२–६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७६५–६७
राज्य सभा से सन्देश	५७६७
निर्वाचनों के संचालन नियमों में संशोधन के बारे में याचिका . .	५७६७
विधेयक पुरःस्थापित	५७६७–६८
(१) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक . . .	५७६८
(२) महाप्रशासक विधेयक	५७६८
(३) ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक . .	५७६८
तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में कमी के बारे में प्रस्ताव . .	५७६९–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	५७७८
तीसरा प्रतिवेदन	५७७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	५७७९–८४
(१) अखिल भारतीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक [**श्री अ० त्रि० शर्मा** का]	५७७९
(२) बीमा (संशोधन) विधेयक (धारा ३१क और ४०ग का संशोधन) [**श्री इन्द्रजीत गुप्त** का] . . .	५७७९
(३) बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक [**श्री अ० क० गोपालन का**]	५७७९–८०
(४) खाद्य तेलों पर प्रतिबन्ध (साबून बनाने के लिए) विधेयक [**श्री वी० चं० शर्मा का**]	५७८०
(५) परिवहन समन्वय विधेयक [**श्री दी० चं० शर्मा** का]	५७८०
(६) दूकानदार (मुल्यों की पर्चीयां लगाना) विधेयक [**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का**]	५७८०–८१
(७) विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**] . . .	५७८१
(८) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [**श्री हेम राज का**] . .	५७८१
(९) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक (धारा ११ और १२ का संशोधन) [**श्री हेम राज का**]	५७८१–८२

विषय	पृष्ठ
(१०) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] . .	५७८२
(११) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन) [श्री उ० मू० त्रिवेदी का] . . .	५७८४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा ४०५ और ४०६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का] —वापिस लिया गया .	५७८२–८४
विचार करने का विचार	
हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक (नई धारा २३क का रखा जाना) [श्री ज० ब० सिं० बिष्ट का]—परिचालित . . .	५७८५–९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्ध्या का] .	५७९४
परिचालित करने का प्रस्ताव . . .	५७९४–९९
नरियमंगलम् में फायटोकेमिकल प्लांट के बारे में आधे घण्टे की चर्चा	५७९९–५८०२
विदाई भाषण .	५८०२
दैनिक संक्षेपिका . .	५८०३—१३, १—१०
पहले सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, २० जून, १९६२
३० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि

+

†*१५६३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मन्त्रालय ने कोयले के परिवहन और बोकारो सन्यन्त्र तथा हल्दिया में बन्दरगाह के निर्माण से सम्बन्धित कार्य के लिये योजना आयोग से १२० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी थी ;

(ख) क्या आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो ये निर्माण कार्य किस प्रकार कार्यान्वित किये जा रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे के परिवहन के ढांचे और परिवहन के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार तीसरी योजना के अन्त में कोयले व अन्य परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निर्माण-कार्य और इंजन-डिब्बे के व्यय की व्यवस्था हेतु १२० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गयी है ।

(ख) योजना आयोग ने आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर विचार कर लिया है और तदनुसार रेलवे मन्त्रालय को अपना कार्यक्रम बनाने के लिये कहा है।

†मज अंग्रेजी में

1265 (Ai) LSD—1.

(ग) आवश्यक वित्तीय उपबन्ध वार्षिक आधार पर किया जाता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मन्त्री ने भाग (क) के उत्तर में हल्दिया बन्दरगाह के निर्माण के बारे में कुछ नहीं बताया । क्या वह भी १२० करोड़ रुपये के उपबन्ध में शामिल है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : : वह इस अतिरिक्त राशि की मांग की जाने से पहले ही योजना में शामिल किया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : दूसरी योजना के लिये रेलवे को दिया गया पूरा धन खर्च नहीं हुआ । क्या वह राशि भी तीसरी योजना के आवंटन में जोड़ दी जायेगी ।

†**श्री शाहनवाज खां** : दूसरी योजना में जो कार्य आरम्भ किये गये थे और पूरे नहीं हुए वे तीसरी योजना में जारी रखे जायेंगे । किन्तु तीसरी योजना की आवश्यकतायें वही है जो बताई गयी हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : हल्दिया पत्तन लाइन के सर्वेक्षण के लिये चालू वर्ष में कितना आवंटन किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसका उत्तर मैं एक बार दे चुका हुं । मूझे अलग से सूचना दी जाये ।

†**श्री पु० र० पटेल** : यदि रेलवे को १२० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि न दी गयी तो क्या वह देश के विभिन्न भागों में कोयला नहीं पहुंचा सकेगी और क्या उसके परिणामस्वरूप उद्योगों को हानि उठानी पड़ेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : तीसरी योजना बनाते समय रेलवे को कुछ लक्ष्य दिये गये थे । हमने उन्हीं के आधार पर आयोजना की । यदि हमसे अतिरिक्त परिवहन की आशा की जाती है । तो अतिरिक्त राशि दी जानी चाहिये ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : तीसरी योजना के पहले और दूसरे वर्षों के लिये जो धन दिया गया था क्या उसमें यह अतिरिक्त राशि आ गयी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वे राशियां अलग हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या माननीय मन्त्री का ख्याल है कि तीसरी योजना में पर्याप्त धन न देने के कारण लक्ष्यों की पूर्ति में बहुत कठिनाई होगी और इस बात को देखते हुए कि रेलवे की अतिरिक्त वार्षिक परिवहन क्षमता ७० और ८० लाख टन के बीच है तो क्या अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने पर लक्ष्य पूरे किये जा सकेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में २४५० लाख टन के परिवहन की आयोजना की हैं । उसे बढ़ाकर २५०० लाख टन करने का इरादा है । कोयले के उत्पादन को भी ९७० लाख टन से बढ़ा कर १०१० लाख टन करने का विचार है । कुछ कोयला समुद्र द्वारा ढोना पड़ेगा । हमें कोयला क्षेत्रों से गोदी तक विद्यूतीकरण को तेजी से पूरा करना है । इन सबके लिये हमें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह राशि दी गई तो क्या लक्ष्य पूरे किये जा सकेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां । हमें उम्मीद तो है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : इस बात को देखते हुए कि वार्षिक अतिरिक्त परिवहन क्षमता १८० लाख टन होनी चाहिये जबकि दूसरी योजना में वह ८० लाख टन.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय ने कहा हैं कि लक्ष्य पूरे हो जायेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यदि १२० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि न दी गई या इससे कुछ कम दी गई तो क्या उससे जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, हल्दिया पत्तन के विकास पर निश्चय ही कोई असर नहीं पड़ेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां । इस राशि का हल्दिया पत्तन के विकास से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री दाजी** : इस १२० करोड़ रुपये में से नई लाइनों, इंजन-डिब्बों और विद्युतीकरण पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं पूरी जानकारी दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह जानकारी सभा के पटल पर रख दी जाये । अगला प्रश्न ।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विभागीय परीक्षायें

†

†*१५६४. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने इस बात का कोई कारण मालूम किया है कि वर्ग ३ सेवाओं में उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी क्यों असफल रहे ;

(ख) यदि हां, तो कमी कहां है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह कमी पूरी करने के लिये किसी कार्यक्रम के बारे में सोचा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) उन्हें पर्याप्त अनुभव तथा विभागीय कामकाज के नियमों और विनियमों का ज्ञान नहीं होता ।

(ख) जिन ७६ श्रेणियों के पद रक्षित किये गये थे उनमें से ३६ श्रेणियों के पदों के चुनाव के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कोई कर्मचारी नहीं थे । शेष ४० श्रेणियों में २० श्रेणियों के पदों के लिये चुनाव पूरे हो गये है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के ५२ कर्मचारी चुन लिये गये हैं । शेष १८ श्रेणियों के पदों के लिये उम्मीदवारों का चूनाव किया जा रहा है ।

(ग) अर्हताओं का क्षेत्र बढ़ा कर तथा योग्यता का स्तर घटाकर अनूसूचित जातियों/आदिम जातियों के अधिकाधिक कर्मचारियों को चुनने के लिये सक्रिय प्रयत्न किये जा रहे हैं । अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण आदि देकर उन्हें अन्य कर्मचारियों के समकक्ष लाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मन्त्री ने कहा कि सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं। ये सक्रिय कदम क्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रत्येक रेलवे को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की मात्रा निर्धारित करने का अधिकार होता हैं। मेरे पास इस समय यह ब्यौरा नहीं है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : जो उम्मीदवार पदोन्नति के लिये प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ कर उत्तीर्ण नहीं होते क्या उन्हें उनके दोष बताने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उन्हें परीक्षा के परिणाम से अपने दोष पता लग जाते है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान भरने के लिये सरकार कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करती है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कभी-कभी हम दो और तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं।

†**श्री तुलसीदास जाधव** : रेलवे सरविस में शिड्यूल्ड और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को किस परिमाण में या रेशियो में रखा जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अनुसूचित जातियों का अनुपात प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग होता हैं। मोटे तौर पर वह १२॥ से १५ प्रतिशत तक होगा।

†**श्री प० कुन्हन** : ओलावक्कोट डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाले अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को तरक्की दी गई और यदि किसी को तरक्की नहीं दी गई तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस सम्बन्ध में अलग सूचना दी जाये तो मैं जानकारी अवश्य दूंगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में परिवहन कार्य के लिये निर्धारित योग्यतायें शिथिल की जाती हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सुरक्षा की दृष्टि से प्रविधिक श्रेणियों में योग्यतायें शिथिल नहीं की जातीं।

†**श्री दशरथ देव** : जो ५२ कर्मचारी चुने गये हैं उन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने उम्मीदवार हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे अलग सूचना चाहिये।

†**श्री बसुमतारी** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या सरकार उनके सम्बन्ध में नियुक्ति और पदोन्नति की योग्यतायें शिथिल करने का विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनसिंह पु० पटेल** : पदों को केवल भर्ती के समय रक्षित किया जाता है या तीसरी और दूसरी श्रेणी से पदोन्नति देकर भरे जाने वाले स्थान भी रक्षित किये जाते हैं ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : जैसा कि सदन को ज्ञात है, रेलवे मंत्रालय ने निर्णय किया था कि पदोन्नति देकर भरे जाने वाले स्थान भी रक्षित किये जायें । यह मामला मदरास उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और न्यायालय ने रेलवे मंत्रालय के विचारों का समर्थन किया ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार रेलवे की बहाली में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जाति का ही ख्याल रखती है या उनकी योग्यता और निपुणता का भी खयाल रखती है ?

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : दोनों चीज़ों का खयाल रखती है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि पहले पदोन्नति के लिये प्रतियोगिता परीक्षायें नहीं होती थीं और यदि हां, तो रेलवे मंत्रालय ने पदोन्नति के लिये भी इस प्रकार की परीक्षायें लेने का निर्णय किन परिस्थितियों में किया ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : प्रतियोगिता परीक्षायें लेना अच्छा होता है क्योंकि तब किसी को शिकायत की गुंजायश नहीं होती ।

गंडक परियोजना

+

†१५६५. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मई, १९६२ तक गंडक परियोजना के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : बान्ध के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है । बिजली घर का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है और उस के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है । अधिकांश प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिये गये हैं ।

नहरों की मिट्टी की खुदाई का काम काफी हो चुका है और तिरहुत नहर की १३.५ करोड़ घन फुट; डान शाखा नहर की ४.५ करोड़ घन फुट और सरन नहर की ७९ लाख घन फुट मिट्टी की खुदाई की जा चुकी है । पश्चिम गंडक नहर का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में से होकर गुजरेगा उसका मार्ग भी अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार ने गन्डक बान्ध को पूरा करने के लिये कोई तारीख निश्चित की है ?

†**श्री अलगेशन** : उसका अधिकांश कार्य तीसरी योजनावधि में पूरा कर लिया जायेगा । नहरों का कुछ कार्य संभवतः चौथी योजनावधि में भी जारी रहे ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा के अभाव में इस परियोजना के अग्रेतर निर्माण-कार्य में विलम्ब हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : चालू वर्ष के लिये विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध भी कर लिया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि इस परियोजना के अन्तर्गत जो छोटी योजनायें हैं वे निर्धारित समय में पूरी नहीं हो रही हैं ?

†**श्री अलगेशन** : योजना आयोग ने परियोजना को गत वर्ष जुलाई में स्वीकृति दी है इस बात को देखते हुए मैं समझता हूं कि कार्य की प्रगति संतोषजनक है ।

†**श्री क० ना० तिवारी** : इमारतों के निर्माण और मुख्य बान्ध के विद्युतीकरण का कितना प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और किस वर्ष तक बान्ध बन जायेगा और उससे पानी का संभरण होने लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग बात है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस गंडक योजना के बारे में जहां तक मुझे मालूम है नैपाल सरकार के साथ भी कोई समझौता हुआ था । पिछले दिनों उत्तर प्रदेश असेम्बली में बतलाया गया था कि जब हमारे इंजीनियर्स साइट पर गये तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि अब जबकि नैपाल सरकार के साथ में हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गये हैं तो काम में कोई अड़चन तो नहीं पड़ रही है ?

†**श्री अलगेशन** : जी, हां । हमें नैपाल क्षेत्र में ८ मील लम्बी नहर का निर्माण करना है । बातचीत जारी है और हमें आशा है कि उसका परिणाम संतोषजनक होगा और हम अपना कार्य आरम्भ कर सकेंगे ।

†**डा० क० ल० राव** : योजना के महत्व तथा उसके लिये स्वीकृति प्राप्त करने में हुए विलम्ब को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रालय परियोजना के निर्माण-कार्य को तेजी से पूरा करने के लिये कदम उठायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : योजना में इस के लिये ३० करोड़ रुपये रखे गये हैं । हम इसे तेजी से पूरा करने के लिये सभी संभव कदम उठायेंगे ।

दवाइयों का समान स्तर

†*१५६६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अच्छी किस्म की दवाइयों के उत्पादन में समान स्तर बनाये रखने के लिये उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न स्थानों पर तैयार की जाने वाली एक ही प्रकार की औषधि के संघटक पदार्थ भिन्न भिन्न अनुपात में होते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) निर्माताओं द्वारा दवाइयों के उत्पादन के स्तर को बनाये रखने के लिये जिन शर्तों का पालन किया जाना होता है वे औषधि अधिनियम की अनुसूची में और नियमों में दी गई हैं जो देश भर में लागू होते हैं । किन्तु आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में अभी कोई स्तर निर्धारित नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में कोई स्तर निर्धारित नहीं किया गया इसलिये यह सम्भव है कि विभिन्न स्थानों पर तैयार की जाने वाली एक ही प्रकार की औषधि के संघटक पदार्थ भिन्न भिन्न अनुपात में होते हों।

†**श्री भागवत झा आजाद** : दवाइयों के उत्पादन के समान स्तर को बनाये रखने के लिये बनाये गये नियमों के बावजूद क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न स्थानों में बनाई गई एक ही दवाई के संघटक भिन्न भिन्न अनुपात में होते हैं जिससे स्तर गिरता है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जैसा कि मैं ने बताया, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में हम उत्पादन के समान स्तर को बनाये रखने के लिये कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हैं किन्तु जहां तक अन्य दवाइयों का सम्बन्ध है, औषधि अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित कर दिया गया है कि दवाइयों के उत्पादन का, जिस में सक्रिय संघटक पदार्थ आ जाते हैं, उचित स्तर कायम रखा जाना चाहिये। औषधि निरीक्षक विभिन्न निर्माताओं से नमूने लेकर परीक्षण करते हैं और दवाइयों का स्तर उचित है या नहीं इस बात की जांच करते हैं। किन्तु मैं यह स्वीकार करती हूं कि हमारे यहां कुल १०९ निरीक्षक हैं जब कि २२,३०० लाइसेंसधारी निर्माता और ६३,००० लाइसेंसधारी औषधि विक्रेता हैं। इसलिये निरीक्षकों की संख्या अपर्याप्त है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस बात को देखते हुए कि इन सब नियमों और निरीक्षकों के होते हुए हाल में उचित जांच न की जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने या दवाइयों की किस्म की उचित जांच करने के सम्बन्ध में कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : आयात की दवाइयों पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है जबकि देश में बनी दवाइयों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है। यह सच है कि विभिन्न राज्यों में औषधि अधिनियम एक समान लागू नहीं किया जाता। यह मामला केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् में उठाया गया है और नये अर्थात् संशोधित अधिनियम में राज्य सरकारों की सहायता के लिये भारत सरकार द्वारा कुछ निरीक्षकों की नियुक्ति का उपबन्ध है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दवाइयों की किस्म घटिया होने के बारे में मंत्रालय को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या कोई मुकदमे चलाये गये हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : ये शिकायतें आम तौर पर राज्य सरकारों से की जाती हैं और सभी राज्यों में कई मुकदमे चलाये जाते हैं। मुझे खेद है कि मेरे पास देश भर में चलाये गये मुकदमों के आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री श्यामलाल शर्राफ** : माननीय मंत्री ने बताया कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन के बारे में स्तर निर्धारित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जिन अस्पतालों में इन प्रणालियों से चिकित्सा की जाती है वहां भी उचित दवाओं के प्रयोग की क्या गारंटी है ?

†**डा० सुशीला नायर** : माननीय सदस्य तो जानते ही है कि अतीत में यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादातर घरों में बनाई जाती थीं और चिकित्सक अपनी दवाइयां खुद बना कर रोगियों को देते थे। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कुछ फर्में उत्पादन के आधुनिक तरीके काम में ला रही है और केन्द्रीय आयुर्वेदिक परिषद के समक्ष प्रस्ताव है कि स्तर को सुनिश्चित करने के लिये कुछ उपाय किया जाये किन्तु इसमें कई कठिनाइयां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन अस्पतालों में आयुर्वेदिक प्रणाली से चिकित्सा की जाती हैं उनमें भी दवाइयों का स्तर सुनिश्चित नहीं होता। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है।

†**डा० सुशीला नायर** : दिक्कत यह है कि इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों में कोई ५० प्रतिशत की पहचान के बारे में आज सन्देह व्यक्त किये जा रहे है। इस के अलावा अन्य २५ प्रतिशत जड़ी बूटियों की पहिचान विवादास्पद है। केवल २५ प्रतिशत जड़ी बूटियों की सही पहचान की जा सकी है। इसलिये केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद् ने दवाइयों के प्रयोग के बारे में कोई निदेश देने से पहले इन जड़ीबूटियों की सही पहचान करने का काम शुरू किया हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : दवाइयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से क्या एक भेषज संहिता तैयार की जा रही है या सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं और यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की गई है ?

†**डा० सुशीला नायर** : एक भारतीय भेषज संहिता तैयार की जा चुकी हैं। आयुर्वेदिक, दवाइयों के लिये एक भारतीय भेषज संहिता तैयार की जा रही हैं।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल राज्य में अब जो बी० सी० जी० वैक्सीन दिया जा रहा हैं वह भी दूषित हैं.........

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रत्येक दवाई के बारे में चर्चा नहीं कर सकते।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दवाइयों के स्तर विहित नहीं किये गये हैं और निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं इन बातों को देखते हुए इस देश में बनने वाली सभी दवाइयों के नमुनों के परीक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत एक केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक प्रयोगशालायें स्थापित करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई हैं ? अगर ऐसा किया जाये तो दवाओं को प्रयोग के लिये उपलब्ध करने से पूर्व उनका उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा।

†**डा० सुशीला नायर** : लखनऊ में एक केन्द्रीय औषधी अनुसन्धान संस्था है और देश में कुछ प्रादेशिक प्रयोगशालायें है जो दवाइयों के विश्लेषण और नमूनों की जांच करने में सहायता देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्रालय की राय थी कि राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं और हमें उन्हें नये अधिनियम को लागू करने के लिये कुछ समय देना चाहिये और यदि वे अधिनियम को ठीक ढंग से लागू न कर सकें तो हमें कर्मचारियों की भर्ती के प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

रक्त बैंक

†*१५६७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि रक्त बैंकों में अपनी इच्छा से दिये गये रक्तदान से इकट्ठा किये गये रक्त की मात्रा अत्यावश्यक मात्रा से काफी कम पड़ती है ;

(ख) क्या यह सच हैं कि अधिकांश मात्रा में रक्त पैसा देकर प्राप्त किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो १९६१ में संघ राज्य-क्षेत्रों में स्वेच्छा से किये गये रक्तदान के मुकाबले खरीदे गये रक्त का अनुपात क्या है ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इसकी कोई सीमा है कि एक व्यक्ति पैसा लेकर कितनी बार रक्त दे सकता है ; और

(ङ) जनता को शिक्षित करने और स्वेच्छापूर्वक अंशदान में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्वेच्छा से किये गये रक्तदान के मुकाबले में खरीदे गये रक्त का अनुपात प्रत्येक संस्था में अलग-अलग होता है । अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७]** ।

(घ) यदि "ब्लड काउन्ट" सन्तोषजनक हो तो ५५ वर्ष तक की आयु के व्यक्ति पैसा लेकर महीने में तीन बार रक्त दे सकते है ।

(ङ) जनता को शिक्षित करने और स्वेच्छापूर्वक अंशदान को बढ़ावा देने के लिये जहां ब्लेड बैंक है वहां फिल्म प्रदर्शनों, प्रदर्शनों, बैठकों और भाषणों के जरिये प्रचार किया जाता है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : जो गरीब व्यक्ति पैसा प्राप्त करने के लिये रक्त देते हैं अपनी क्षति की पूर्ति करने के लिये आम तौर पर क्या आर्थिक सहायता दी जाती हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : जैसाकि उत्तर में ही बताया गया हैं, जो लोग पैसा चाहते हैं उनसे रक्त खरीदा जाता हैं । ये लोग गरीब होते है और इन्हें २५ से लेकर ३० रुपये दिये जाते हैं । किन्तु आपत्ति यह उठाई गई है कि क्या किसी गरीब व्यक्ति को अपना रक्त बेचने के लिये विवश करना उचित हैं और क्या हमें स्वेच्छा से रक्तदान पर जोर न देना चाहिये । हम इस बात का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि रक्तदान के उद्देश्य पवित्र और प्रशंसनीय होने के बावजूद वास्तविकता यह है कि इतने कम धन के लिये गरीब लोगों को अपना रक्त बेचने के लिये आकर्षित किया जाता है और यदि हा, तो क्या सरकार मानवता के नाम पर गरीबों का रक्त लेने की प्रथा समाप्त कर देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने बताया कि रक्तदान के सम्बन्ध में अधिकतम आयु ५५ वर्ष रखी गई हैं । क्या यह सीमा उन सैकड़ों लोगों के लिये भी रखी गई हैं जिन्हें रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) की बीमारी है ।

डा० सुशीला नायर : मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सकी ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात को देखते हुए कि रक्त बैंकों द्वारा रक्त का स्थायी संभरण नहीं किया जाता, क्या इन बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में रक्त रहा हैं ?

†**डा० सुशीला नायर** : आम तौर पर कहा जा सकता है कि जिन्हें रक्त की आवश्यकता हुई उन सब को रक्त दिया गया हैं । यह कथन भी सही नहीं हैं कि स्वेच्छा से रक्तदान के लिये किये

---

†मूल अंग्रेजी में

गये प्रयत्न सफलनहीं रहे उदाहरण के लिये अंबिन अस्पताल में यदि एक व्यक्ति स रक्त खरीदा गया है तो अन्य तीन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्त दिया है । मनीपुर में एक व्यक्ति से रक्त खरीदा गया ह तो अन्य ९९ व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्त दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : रक्त बैंकों में रक्त के उचित वर्गीकरण और रक्त को ठीक ढंग से रख ने के लिये कौन से उपाय खोजे गये है और क्या मंत्री महोदय को ऐसे मामलों की सूचना दी गयी हैं कि रक्त की परीक्षा किये बिना वह किसी को दे दिया गया और उसके बहुत हानिकारक परिणाम हुए ?

डा० सुशीला नायर : रक्त बैंक की पूरी योजना इस प्रकार है कि रक्त का उचित विश्लेषण किया जाता है उसे मिला कर देखा जाता हैं और तब वह किसी व्यक्ति को दिया जाता है । मुझे तो किसी ऐसे मामले की जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य मुझे जानकारी दें तो मैं उसकी जाच करूंगी ।

†**श्री बड़े** : क्या कुछ राज्यों में दंडित व्यक्तियों को रक्त देने के लिये फुसलाया जाता है और इसके लिये उनको सज़ा कम करने का प्रलोभन दिया जाता हैं ; क्या इसकी बजाय मृत व्यक्तियों का रक्त नहीं लिया जा सकता क्योंकि अब समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि मृत व्यक्तियों का रक्त भी बैंकों के काम आ सकता है ? क्या राज्यों में दण्डित व्यक्तियों को प्रलोभन देकर उनसे रक्त लेने की प्रथा है ?

†**डा० सुशीला नायर** : यह सच हैं कि कुछ राज्यों में दण्डित व्यक्तियों द्वारा रक्त देने पर उनकी सज़ा में से कुछ दिन कम कर दिये जाते है । उनका रक्त लेने से पहले यह देख लिया जाता है कि वे रक्त देने की स्थिति में हैं । मृत व्यक्तियों का रक्त काम में लाने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किये गये हों तो मुझे उनकी जानकारी नहीं है ।

श्री इंद्रजीत सिंह गुप्त : रक्त प्राप्त करने के लिये १९६१ में कितना धन खर्च किया गया और क्या यह खर्च प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : मेरे पास देश भर में इस प्रयोजन के लिये खर्च किये गये धन के आंकड़े नहीं हैं किन्तु मेरा खयाल है कि यह खर्च बढ़ा नहीं है ।

आचार्य विनोबा भावे को दान में दी गयी जमीन का वितरण

†**१५६८. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आचार्य विनोबा भावे को दान में दी गई कितनी जमीन अभी तक वितरित नही की गई है ; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ से प्राप्त सूचनानुसार लगभग २१ लाख एकड़ का ३१–१२–१९६१ तक वितरण नहीं हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भूदान समितियों के वितरण की जिम्मेदारी भूदान समितियों पर हैं। ये समितियां भूदान भूमियों को हस्तांतरण प्रबन्ध तथा वितरण के लिए राज्यों में अधिनियमित विशेष विधान के अधीन स्थापित हैं। वितरण का काम कुछ धीमा हैं क्योंकि दान दी गई भूमि के स्वामित्व की जांच करने में विलम्ब हुआ, वित्तीय साधनों की कमी थी, संगठन कठिनाइयां थीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पिछली बार ३ मई को जब सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दिया गया था उस समय यह वक्तव्य दिया गया था कि खेती के लिए तीन लाख परिवारों में से ८.७ लाख एकड़ भमि का वितरण किया गया था तथा कुछ भूमि आवंटियों को वित्तीय सहायता भी दे दी गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ८.७ लाख एकड़ भूमि भूमिहीन श्रमिकों को दी गई थी तथा क्या औजारों के रूप में सहायता भी दी गई थी ?

†**डा०राम सुभग सिंह** : हमारी जानकारी यह है कि समस्त भूमि भूमिहीन किसानों में वितरित की गई थी। इनको खेती के औजार, बैलों तथा सभी प्रकार की सहायता दी गई थी बिहार में भूदान की भूमि पर भूमिहीन श्रमिकों को बसाने के लिए भारत सरकार की ओर से ३० लाख रुपया दिया गया है परन्तु उन्होंने इस पर लगभग २० लाख रुपया व्यय किया हैं।

†**श्री त्यागी** : केवल बिहार में।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्योंकि मांग वहीं से आई थी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इन समाचारों में कोई सचाई है कि आचार्य भावे ने गत दस वर्षों में अपनी भूदान यात्रा में जो भूमि इकट्ठी की है उसका बड़ा अनुपात या तो कृषि योग्य नहीं है अथवा बंजर है तथा यदि हां, तो उस भूमि में कितनी भूमि ऐसी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : ११.६ एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं है।

श्री सरजू पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो ज़मीनें श्री विनोबा भावे को दान में दी गईं, वे अधिकतर झगड़े की थीं और बहुत सारी जमीनों की डिस्ट्रिब्यूशन इस लिए नहीं हो रही है कि उन के सही ओनर्स मालूम नहीं हैं ? अगर यह सही है, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बात सही है कि कई एक जगहों में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, कुछ झगड़े की ज़मीनें हैं। वहां भी उनके वितरण का कायदा बनाया गया है और वितरण की कार्यवाही चल रही है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या इसका कोई निर्धारण किया गया है कि भूमि समस्या को निबटाने के लिए भूदान आन्दोलन ने (क) भूमि के उचित वितरण के द्वारा सामाजिक आधार बना कर तथा (ख) भूमिहीन श्रमिकों को भूमि देकर, कितना सहारा दिया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में यह निजी आन्दोलन है। परन्तु हम अपनी भूमि वैज्ञानिक आधार पर वितरण करना चाहेंगे। परन्तु इस आन्दोलन के द्वारा जनता का भूमि से लगाव मालूम जरूर हो जाता है।

†**डा० मा० श्री अणे** : क्या समस्त भारत के लिए केवल एक ही समिति होगी अथवा विभिन्न राज्यों के लिए कई समितियां होंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाई जायेंगी तथा ९ राज्य तथा संघ क्षेत्रों में भूदान विधान अधिनिमित कर दिये गये हैं। वहां पर भी समितियां बनाई गई हैं ।

†श्री त्यागी : इस भूमि के वितरण में भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कितना हस्तक्षेप कर सकती हैं ? क्या सरकार इस वितरण में इसका ध्यान रखेगी कि अलाभप्रद जोतों को इकट्ठा न कर लिया जाये तथा इस भूमि को लेने वाले अधिकांश व्यक्ति सहकारी खेती आन्दोलन में शामिल हो जायें ?

†डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में हमारा यह भी एक कार्यक्रम है। भूदान ग्राम सहकारी आधार पर काम कर रहे हैं। उसके लिए भी १ करोड़ रुपये की व्यवस्था है तथा उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

†श्री त्यागी : अलाभप्रद जोतों के बारे में नहीं बताया ।

डा० राम सुभग सिंह : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि अधिकांश जोत अलाभप्रद होती हैं। क्योंकि जनता भूमि की भूखी है। उनके पास कितनी भी भूमि हो परन्तु वह औ भूमि लेना चाहती है। मैं ने अभी बताया कि इसका वितरण वैज्ञानिक आधार पर होगा ।

†श्री बसुमतारी : क्योंकि विनोबा भावे का कार्य आदिम जाति क्षेत्रों में हो रहा है मैं जानना चाहता हूं कि क्या आदिम जातियों के मन में ऐसा कोई संदेह है कि इन कार्यों से आदिम जाति परिवारों की स्थिति गड़बड़ा जायेगी ?

†डा० राम सुभग सिंह : इस समय विनोबा भावे आसाम में हैं। परन्तु यह आन्दोलन तेलंगाना से आरम्भ हुआ था और मैं समझता हूं कि यह आदिम जाति क्षेत्र नहीं है। बाद में उन्होंने लगभग आधा दर्जन राज्यों का दौरा किया और अब भी वह दौरा कर रहे हैं।

डा० गोविंद दास : क्या यह बात सही है कि ज़मीन के बटवारे के सम्बन्ध में जो कानूनी कार्रवाई जरूरी होती है वह पटवारी से ले कर कलैक्टर तक, करने में इतनी देरी होती है कि जनता में बटवारा नहीं हो सकता और क्या यह भी सही है कि कई लोगों ने जिन को ज़मीनें दी गई थीं उन्होंने उनको लौटा दिया है क्योंकि बहुत सी पेशियां होती हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बहुत हद तक सही है और यह प्रयास हो रहा है कि इसको शीघ्रातिशीघ्र दुरुस्त किया जाये ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन विशेषज्ञ

†*१५६९. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के कार्य में विशेषज्ञों की कमी के कारण कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना डिस्पैंसरियों में मूल्यवान तथा विशेष दवाइयां नहीं रखी जाती हैं तथा साधारण दवाइयां ही रहती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि विशेषज्ञों की कमी है। उसका उत्तर दिया गया कि जी नहीं। अब वह दवाइयों के बारे में पूछ रहे हैं।

†**एक माननीय सदस्य** : दवाइयों की कमी भी।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि श्री राधा रमण की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी उसने भी इस सम्बन्ध में सिफारिश की थी ? मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई सिफारिश की थी तो क्या उसको कार्यान्वित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : कैसी सिफारिश ? स्पेशलिस्टों के बारे में ?

श्री भक्त दर्शन : स्पेशलिस्ट जो हैं, उनके सम्बन्ध में सिफारिश की है।

डा० सुशीला नायर : उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि कुछ अस्पताल विशेष बनाये जायें सी० एच० एस० स्कीम के लिए और उनमें स्पेशलिस्टों और सभी विभागों का इंतजाम हो। उस सिफारिश पर विचार हो रहा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई जहाज से माल की ढुलाई

†*१५७०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान से भारत को हवाई जहाज से माल पहुंचाने के बारे में वर्तमान स्थिति की सरकार को कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एक ऐसी नयी प्रथा चल पड़ी है कि कुछ बिचौलिये विमान कम्पनियों के विमानों को पहले से बुक करा लेते हैं और बाद में मालभाड़ा 'काले बाजार' की दरों पर वसूल करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ६८]** :

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह मालूम होता है कि इस देश से अफगानिस्तान को हवाई जहाज से माल ले जाने का एकाधिकार आई० ए० सी० एयर इंडिया तथा अफगान नेशनल कैरियर को है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एयर लाइनों की इस पद्धति के कारण एकाधिकार सा है और इसी करण यह बहुत लाभ उठा रहे हैं ?

†**श्री महीउद्दीन** : मैं समझता हूं कि 'एकाधिकार' के अर्थ बहुत खींच-तान कर लगाये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। यह 'एकाधिकार' के अर्थ एक पक्ष द्वारा लिये गये अधिकार से हैं। परन्तु माननीय सदस्य ने अभी तीन कम्पनियों का उल्लेख किया है और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ गैर-सरकारी चालक भी हैं। हवाई जहाज़ से माल तो एयर कम्पनियां ही भेज सकती हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि हवाई जहाज़ से माल ले जाने की क्षमता बड़ी सीमित है। एकाधिकार के समान के बारे में मैं नहीं समझा हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। मैं उत्तर में बता चुका हूं कि जिन कम्पनियों को माल ले जाने का काम सौंपा गया है वह कई हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह सच है कि कुछ गैर-सरकारी व्यापारियों ने इन एयर लाइनों को बहुत धन दिया है और वह बहुत लाभ उठा रहे हैं जबकि छोटे व्यापारी अपना माल हवाई जहाज़ से नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वह थोड़ा ही धन दे सकते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। मांग का पंजीयन होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है। जो भी आवेदन देता है तथा इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन को धन देता है उसको उड़ान का आवंटन कर दिया जाता है। छोटे व्यापारी भी धन देकर उड़ान ले सकते हैं।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार ने लिये जाने वाले दरों की जांच कर ली है तथा क्या ऐसा भी धन लिया जाता है जिसकी रसीद नहीं दी जाती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं आई० ए० सी० तथा ए आई आर द्वारा ली गई दरों को जानता हूं तथा संतुष्ट हूं कि वह ठीक हैं।

†**श्री हेडा** : मैं किराये के विमानों के बारे में जानना चाहता हूं।

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हां। किराये के विमानों का किराया ही बता रहा हुं।

†**श्री हेडा** : जब यह किराये के विमान व्यापारियों को दिये जाते हैं तब इनसे अधिक किराया लिया जाता है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : संभवतया माननीय सदस्य ने उत्तर नहीं पढ़ा है। हमने बताया कि आई० ए० सी० दोनों ओर का किराया लेती है अर्थात् आयात और निर्यात का। व्यापारी सूखे मेवे आदि आयात करता है तथा कुछ माल का निर्यात करता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि विवरण में यह दिया हुआ है कि लौटती बार वह व्यापारी विमान को अन्य व्यापारी को दे देता है तथा इसलिए क्या यह सच है कि वह व्यापारी बहुत अधिक धन ले लेता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : सामान्यतः ऐसी शिकायत की गई है। मैंने अपने विवरण के अन्तिम वाक्य में बताया है कि मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। मैंने भी केवल सुना है। कुछ लोगों ने मुझे बताया है परन्तु किसी ने भी विशिष्ट शिकायत नहीं की है।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : : क्या सरकार जानती है कि माल लादने की क्षमता की कमी के कारण लम्बे रेशे की ऊन बाज़ार में कम होती जा रही है जिससे भारतीय उद्योग को बड़ा नुकसान हो रहा है ; यदि हां, तो क्या सरकार ऊन लाने के लिये माल लादने की क्षमता बढ़ाने जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह दीर्घकालीन प्रश्न है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** मेरा निवेदन है कि यह दीर्घकालीन प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभव है कि यह दीर्घकालीन प्रश्न न हो परन्तु प्रश्न लम्बा अवश्य है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** लम्बे रेशे की ऊन की कमी के कारण ऊन उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा है । यह ऊन अफगानिस्तान से आती है । मैं जानना चाहता हूं कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** लम्बे प्रश्न हो जाने के कारण मूल प्रश्न एकदम समाप्त हो जाता है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** उद्योग का क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को छोटे तथा उपयुक्त प्रश्न पूछने चाहियें ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय सदस्य ने अपने विवरण के अन्तिम वाक्य में कहा कि "काले बाज़ार से भाड़ा लेने की कोई शिकायत नहीं है" । मैं माननीय मंत्री का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे 'सम्पादक को पत्र' की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें विमानों को किराये पर लेने के बारे में गैर-सरकारी व्यक्तियों ने शिकायत की है . . . . . .

†**एक माननीय सदस्य :** क्या प्रश्न है ?

†**श्री हेम बरुआ :** मैं बता रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें प्रश्न मुझ से पूछना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** उन्हें धैर्य से प्रश्न सुनना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उनसे कह रहा हूं कि वह प्रश्न पूछें ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं जब भी प्रश्न पूछता हूं तो इसी प्रकार की गड़बड़ी होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह सीधा प्रश्न ही पूछें तो गड़बड़ी न हो ।

†**श्री हेम बरुआ :** आप जब भी मुझसे कहते हैं कि मेरा प्रश्न सीधा एक वाक्य में हो मैं वैसा ही करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अभी उनसे ऐसा करने को नहीं कहा है । मैंने दूसरे सदस्य से संक्षेप में प्रश्न पूछने को कहा है ।

†**श्री हेम बरुआ :** परन्तु अन्य सदस्य आप से प्रोत्साहन ले रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अपना प्रश्न अब पूछें जो संक्षिप्त तथा उपयुक्त हो ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं संक्षेप में ही पूछूंगा । मेरा निवेदन है . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्हें अब प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं हमेशा संक्षेप में प्रश्न पूछना चाहता हूं परन्तु बूढ़े तोते को नया पाठ मुश्किल से याद होता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** एक प्रश्न पर कितना समय बरबाद किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : प्रत्येक दिन वह अधिक समय लेते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के बजाये तर्क कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 'सम्पादक को पत्र' के कालम की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें व्यक्तियों तथा व्यापारियों के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतें की गई हैं . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : बस बस यह पर्याप्त है ।

†**श्री हेम बरुआ** : कि जो विमानों को किराये पर लेते हैं वह बहुत धन मांगते हैं तथा यदि हां, क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैंने बताया कि हमें विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं । हमने समाचारपत्रों में शिकायतें देखी हैं तथा हमने उनको सुना भी है । विशिष्ट शिकायतों से मेरा तात्पर्य है कि मंत्रालय को अथवा आइ ए सी को किसी ने भी सूचित नहीं किया है किस विमान पर माल लादने के लिये अधिक किराया लिया गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मंत्री महोदय ने अपने विवरण का अन्तिमांश स्पष्ट करते हुए बताया है कि उन्हों ने कुछ शिकायतें सुनी हैं परन्तु उनको कोई शिकायत नहीं मिली है । क्या उन का इससे तात्पर्य है कि उनको कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यही तो उन्होंने अभी बताया है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : उदाहरणत: मैं बताना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय ने चाय व्यापारियों की संस्था को प्राथमिकता दी थी । बाद में शिकायतें मिलने पर यह प्राथमिकता वापस ले ली गई ।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या मंत्रालय समाचारपत्रों में पढ़ कर जनता से सम्पर्क बनाये रखती है ? क्या वह इन समाचारों पर ध्यान नहीं देती है और जांच नहीं करती है कि यह शिकायतें ठीक हैं अथवा नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैंने स्वयं कुछ जांच की है ।

आगरा म बिजली के सामान का कारखाना

*१५७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने बिजली के सामान के एक कारखाने की स्थापना के बारे में आगरा (उत्तर प्रदेश) में कुछ स्थानों का हाल ही में निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस कारखाने के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि उन के विभाग के कुछ लोग आगरा तशरीफ ले गये थे, और एक ऐसी फैक्ट्री बनाई जाने वाली है जहां पर कि बांध का पानी रोकने के लिये फाटक या इसी प्रकार के सामान बनाये जायेंगे ? क्या कोई इस तरह का प्रपोजल है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पहले ही कह दिया "नहीं", तब इस का दुबारा क्या पूछना है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं नहीं में इस का उत्तर दे चुका हूं ।

तीसरी योजना में रेलवे को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

†*१५७२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने रेलवे द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा में वृद्धि मंजूर कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) इस वृद्धि से रेलवे की विकास परियोजनाओं के कौन से विशिष्ट पहलू लाभान्वित होंगे ?

†**रेलवे मन्त्रालयदे में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६९]**

श्री दी० चं० शर्मा : पंचवर्षीय योजना के लिये रेलवे द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिये कितना धन मांगा गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं अलग अलग आंकड़े नहीं बता सकता परन्तु यह मुख्यतः बिजली के इंजनों, डिजल इंजनों, रेलों तथा ऐसी ही वस्तुओं के लिये है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : रेलवे मंत्रालय ने किन कारणों से २४९ करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाया है तथा पुराने आंकड़ों को ही रखना क्यों उचित नहीं समझा गया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आरम्भ में जब हमने अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का निर्धारण किया उस समय हमने इतने देसी उत्पादन का अनुमान लगाया था परन्तु जब अब वह देसी उत्पादन आशानुकूल नहीं हुआ तो हम को आयात करना पड़ा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : भारत में जिन वस्तुओं का निर्माण हो सकता था ऐसी कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया तथा सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि ऐसी वस्तुओं का आयात बन्द हो जाय और देश में ही पूरी तरह उन का उत्पादन होने लगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : नये इस्पात संयंत्र में उत्पादन हो रहा है । रेल की पटरियां, पहियें आदि देश मे बन रहे हैं । हम आशा करते हैं कि इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तुलसीदास जाधव : जो एंजिन बाहर से आने वाले हैं उन में क्या कोई डीजल एंजिन का भी आर्डर है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कहा गया है कि डीजल एंजिन का आर्डर है।

श्री शाहनवाज खां : जी, है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या रेलवे मंत्रालय द्वारा कोई निर्धारण किया गया है कि रेलवे मंत्रालय को दी गई विदेशी मुद्रा तीसरी पंचवर्षीय योजना की मंत्रालय की आवश्यकता से कम है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कोई शिकायत नहीं है क्योंकि देसी उत्पादन लक्ष्य से कम भी हो सकता है अथवा बढ़ भी सकता है। परन्तु मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्रालय की स्थिति बहुत अच्छी है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने एक प्रकार से इस्पात का आयात किया था जिस को बाद मे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह हमारे काम के योग्य नहीं था और इसीलिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं थी ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं । यह कारण नहीं था ।

†**श्री त्यागी** : भारत में बिजली के इंजन बनाने के कारखाने की स्थापना का क्या प्राक्कलन होगा; यदि बाहर से खरीदने के बजाय इसको स्थापित किया जाये तो क्या लागत आयेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं समझता हूं कि मेरे मित्र जानते है कि रेलवे मंत्रालय चित्तरंजन में बिजली के इंजन बना रहा है ।

†**श्री त्यागी** : तब यह धन किसलिये लिया गया ? जब कारखाना है तो आयात क्यों किया गया ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारा उत्पादन हमारी आवश्यकता से कम हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक बात पर आपत्ति है कि दूसरा प्रश्न एकदम नहीं पुछा जाना चाहिये । अगला प्रश्न ।

मंगलौर-त्रिवेन्द्रम नहर

†*१५७३. **श्री कोया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहर परिवहन को मंगलौर से त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाने का इरादा है ; और

(ख) क्या केन्द्र राज्य सरकार को बड़गरा से बालपत्तनम तक एक नहर बनाने के लिये कोई सहायता दे रहा हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली और गाजियाबाद के बीच शटल रेलगाड़ियां

†*१५७४. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच और शटल रेलगाड़ियां चलाने के बारे में एक प्रार्थना प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफार्म बन जाने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद के बीच चलने वाली शटल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि और प्लेटफार्म बन जाने के बाद भी शटल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई नहीं गई ; और

(घ) रेलवे प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) दिल्ली गाजियाबाद विभाग पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं उतनी ही चलाई जा सकती हैं । इससे अधिक गाड़ियां चलाना संभव नहीं है । दिल्ली तथा गाजियाबाद के बीच अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर तभी विचार होगा जब दिल्ली में जमना का दूसरा पुलबन जायेगा ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ट्रेन यहां से सारे स्टाफ को लेकर गाजियाबाद की तरफ जाती है, उसका डिपार्चर ५.२५ पर है और ५ बजे आफिसेस बन्द होते हैं । ऐसी हालत में जो आदमी आफिस से चलेगा ५ बजे उसको स्टेशन तक पहुंचने में आखिर कुछ समय लगेगा । इसलिये कम से कम दो ट्रेनें तो चलनी ही चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : यह छोटी सी बात है कि चिट्ठी लिख कर फैसला किया जा सकता था । इसके लिये पार्लियामेंट का समय क्यों लिया जाय ?

श्री बिशनचन्द्र सेठ : यह बड़ी जरूरी चीज है इसलिये क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अगर माननीय सदस्य जो उनकी तजवीज हैं उसको लिख कर भेजें तो हम टाइम टेबल कमेटी को उसे भेज देंगे ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या यह सच है कि दिल्ली जंकशन पर आने वाली मेल, एक्सप्रेस तथा यात्री गाड़ियों में गाजियाबाद तक दिल्ली के बीच स्थानीय यात्रियों को भीड़भाड़ रहती है तथा यही हालत दिल्ली जंकशन से जाने वाली गाड़ियों की होती है ? इस आधार पर क्या दिल्ली के स्थानीय वासियों के लिये शटल गाड़ी चलाना उचित नहीं है ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : उचित होने पर भी, क्षमता न होने के कारण हमें दूसरा जमना पुल बनने तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन: क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में जितने मुसाफिर चलते हैं वे कभी कभी फर्स्ट क्लास के डिब्बों में भी घुस जाते हैं और दूसरे डिब्बों में बड़ी भीड़ हो जाती है ? अगर और ज्यादा गाड़ियां बढ़ाना संभव नहीं है तो क्या रेलवे स्टाफ को ताकीद की जाएगी कि ऐसी व्यवस्था करें कि मुसाफिरों को परशान न होना पड़े ?

श्री स्वर्ण सिंह : दिल्ली और गाजियाबाद के दरम्यान आजकल २९ जोड़ा गाड़ियां चलती हैं, यानी २९ गाड़ियां आती हैं और २९ गाड़ियां जाती हैं, और इनमें बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली और गाजियाबाद के दरम्यान ही चलती ह। जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा, यहां लाइन कैपेसिटी लिमिटेड है इसलिए इससे ज्यादा गाड़ियां चलाना कठिन है जब तक कि दूसरा पुल जमुना पर तैयार न हो जाए ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

महाराष्ट्र और गुजरात में पंचायती राज संस्थायें

†*१५७५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में नई पंचायती राज संस्थायें कब स्थापित की जाने वाली है ;

(ख) क्या निर्वाचनों का कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

(ग) क्या ये निर्वाचन निर्दलीय आधार पर आयोजित किये जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ख). (१) **महाराष्ट्र**: महाराष्ट्र जिला परिषद् तथा पंचायत समितियां अधिनियम, १९६१ के अधीन जिला परिषदो के चनाव अभी पूरे हुए हैं । आशा हैं कि पंचायत समितियों में चुनाव जुलाई–अगस्त, १९६२ तक पूरे हो जायेंगे । चुनी गई संस्थायें आशा है कि अगस्त, १९६२ में काम आरम्भ कर देंगो ।

(२) **गुजरात** : आशा है कि नई पंचायती राज संस्थायें जनवरी १९६३ में स्थापित हो जायेंगी । राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कर रही है ।

(ग) दोनों राज्यों के पंचायती राज्य अधिनियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि राजनैतिक दल पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों मे भाग नहीं लेंगी । महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव में हाल में ही राजनैतिक दलों ने भाग लिया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या महाराष्ट्र में चुनाव उन आम चुनावों से जो विधान मण्डलों के लिए अलग हुए हैं ; क्या उम्मीदवारों को इन पर भी उतना ही धन व्यय करना होगा तथा क्या सभी मतदाता मतदान करते हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : चुनाव तीन प्रकार के होते हैं । एक पंचायतों का है, जो प्रत्यक्ष होता हैं । दूसरा ब्लाक समितियों का जो अप्रत्यक्ष होता हैं तथा तीसरा जिला परिषदों का जो जिले के इलैक्टोरल कालिज करता है तथा इसके बाद जिला परिषदों में प्रत्यक्ष चुनाव होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या महाराष्ट्र में पंचायत समिति तथा पंचायतों के चुनावों में राजनैतिक दल भाग लेंगे तथा क्या विभिन्न राजनैतिक दलों ने इन चुनावों के लिए उम्मीदवार चुन लिए हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : पंचायत समिति के चुनावों में राजनैतिक दलों द्वारा भाग लेने के निर्णय के बारे में हमारी जानकारी यह है कि कई स्थानों पर राजनैतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है क्या चुनाव दल के आधार पर हो रहे हैं। पंचायत के चुनावों के बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने निर्णय कर लिया है कि इन चुनावों में दल के आधार पर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। हम अन्य दलों की स्थिति नहीं जानते हैं।

श्री अ० प्र० जैन : कुछ राज्यों में वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधा चनाव करने का उपबन्ध है। भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ; क्या वह ब्लाक समितियों में प्रत्यक्ष चुनावों को प्रोत्साहन देगी अथवा क्या वह पंचायतों में ऐसे चुनाव करायेगी तथा ब्लाक समितियों में अप्रत्यक्ष चुनाव करायेगी ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : अभी तो हमने राज्यों पर ही छोड़ दिया है कि वह अपनी सुविधनुसार तरीका निकालें। भारत सरकार का इरादा हैं कि पंचायती राज सभी राज्यों में चालू हो जाने के बाद विभिन्न राज्यों में अखिल भारतीय सर्वेक्षण करें।

†**श्री हेडा** : उस राज्य का क्या नाम हैं जहां वयस्क खंड पंचायत समिति सम्बन्धी प्रत्यक्ष चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जाते हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैसूर राज्य ।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल** : गुजरात पंचायत अधिनियम महाराष्ट्र की अपेक्षा बहुत पहले पारित किया गया था। क्या यह सच नहीं हैं कि गुजरात पंजायत अधिनियम के क्रियान्वयन में बहुत विलम्ब हुआ हैं ?

श्री सु० कु० डे : मुझे गुजरात के मुख्य मंत्री से आश्वासन मिले हैं कि उस राज्य में १ जनवरी, १९६३ से पहले पंचायती राज लागू हो जायेगा। इसमें शिकायत की कोई बात नहीं हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : ये चुनाव किसके क्षेत्राधिकार में किये जाते हैं यह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है या राज्य सरकार के ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सूचना विषय राज्य सरकार के अधीन हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : यदि यह राज्य सरकार के अधीन हैं, तो वह प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर कैसे देते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे चुनाव करने के लिये और इन सब बातों के लिये यहां से आदेश प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के लिये यह मंत्रालय कहां तक जिम्मेदार है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : हमने यह नहीं कहा हैं कि चुनाव केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कराये जाते हैं। यदि राज्य सरकारें भी चुनाव करायें तो हमें उनका पता रहता हैं। हमें उनके बारे में जानकारी दी जाती हैं। अतः हम उत्तर दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पु० र० पटेल** : महाराष्ट्र में ज़िला पंचायत परिषद और ज़िला स्थानीय बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड) में क्या अन्तर हैं ? इसको पंचायती राज कैसे कहा जा सकता हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : सभी विकास कार्यों के लिये जिला परिषद को सरकार के अधिकार दिये गये है जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधिकार सीमित हैं ।

श्री सरजू पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी के नोटिस में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के चुनावों में सरकारी अधिकारियों को वोट देने का अधिकार है ? जैसा कि अभी आपने फरमाया, कांग्रेस ने यह डाइरेक्टिव दिया है कि पंचायतों के चुनावों में कोई कांग्रेसी दलीय आधार पर भाग नहीं लेगा । क्या आपको सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोग पचायतों के चुनावों में दलीय आधार पर हिस्सा ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों के चुनावों में सरकारी अधिकारियों को वोट देने का अधिकार है ?

श्री त्यागी : यह स्टेटमेंट माननीय सदस्य किसी अखबार के बेसिस पर दे रहेहैं या यह उनकी परसोनल नालिज है ?

†**श्री सरजू पांडेय** : मैं इसको सिद्ध कर सकपा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र : शायद माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध अन्तरिम जिला परिषदों से है । अन्तरिम जिला परिषदों में सरकारी अधिकारियों को वोट देने का अधिकार था । लेकिन जो नया पंचायती राज कानून लागू हुआ है और जो पूरी तरह से आगामी अगस्त से लागू होगा, उसमें सरकारी अधिकारियों को वोट देने का कोइ अधिकार नहीं है ।

†**श्री बासुदेवन नायर** : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री, श्री सु० कु० डे ने स्वयं यह वक्तव्य दिया था कि पंचायतों के चुनावों को गैर-दलीय आधार पर करना व्यावहारिक प्रस्तावना नहीं है ? यदि ऐसा है, तो वह अपने दल के हाल के निर्णय को किस प्रकार लागू करेंगे ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैंने यह नहीं कहा कि यह व्यावहारिक प्रस्तावना नहीं है । मैंने कहा था कि यह बहुत पचीदा मामला है जिसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिये । हम किसी संविहित प्रकिया द्वारा इसको लागू नहीं कर सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री सरजू पांडेय** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । अगला प्रश्न ।

श्री नाथपाई उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : हमने अभी तक कुल १२ प्रश्न लिये हैं । मैं समझता हूं कि सदन ने मुझे अधिक प्रश्न लिये जाने का निदेश दे रखा है । यदि वह निदेश कायम है तो मुझे आगे कार्यवाही करने दी जाये अन्यथा मुझे और निदेश दिया जाये । मैं तो उसी प्रकार कार्य करूंगा । मैं तो सदन की इच्छा पर हूं । मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है कि प्रश्न काल में इतने प्रश्न जरूर हों । यह संसदीय प्रक्रिया के लिये शोभा नहीं देता कि हम किसी अन्य सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न

†मूल अंग्रेजी में

पूछते रहें। हमने ऐसी प्रक्रिया अपनाई है। परन्तु हाउस आफ कामन्स में यह बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति मूल प्रश्न न पूछ कर अनुपूरक प्रश्न पूछता है। मैं केवल यह चाहता हूं कि यदि सदन चाहे कि इतने समय में २०-२५ प्रश्न पूरे हो जायें तो उन्हें मुझ से सहयोग करना चाहिये और मेरी सहायता करनी चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : किसी प्रश्न से उठने वाले अनुपूरक प्रश्नों के पूछने में सदन में सभी दलों को भाग मिलना चाहिये। इस बार हमारे दल को अवसर नहीं मिला।

†**श्री नाथ पाई** : वितरण ठीक होता है। मेरे अथवा श्री कामत के मन में यह विचार कभी नहीं आ सकता कि ऐसा कोई भेद-भाव किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह ऐसा सोचते हैं, तो मुझे खेद है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं समझता हूं कि कम से कम वह व्यक्ति, जिसने प्रश्न की सूचना दी है, अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकारी है क्योंकि वह किसी विशेष उद्देश्य से प्रश्न पूछता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक मूल प्रश्नकर्ता को मैं दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता रहा हूं।

†**श्री नाथ पाई** : तीन।

श्री हरि विष्णु कामत : तीन अनुपूरक प्रश्न।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं दो अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता हूं। जब अन्य सदस्य अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछते तो मैं अन्त में उन्हें तीसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दे देता हूं।

सारे रिकार्ड से पता चल सकता है कि मैं दो प्रश्न पूछने की अनुमति देता रहा हूं। श्री हरि विष्णु कामत शिकायत करते रहे हैं और हर बार मैं सुनता रहा हूं और वह तीन प्रश्न की बात हो करते हैं। परन्तु मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। मैंने मूल प्रश्नकर्ता को दो अनुपूरक प्रश्न और अन्य सदस्यों को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। इस प्रश्न, जो इस समय हमारे सामने है, के बारे में भी श्री सरजू पाण्डेय और श्री अ० प्र० जैन दूसरी बार खड़े हुए थे परन्तु मैंने उनका नाम नहीं पुकारा। मैं यह तरीका जारी रखूंगा, परन्तु यदि सदन कोई परिवर्तन चाहता है तो यह निर्णय करना उस पर है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पूना-शोलापुर सेक्शन पर दुर्घटना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०. श्री तुलसी दास जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने पूना-शोलापुर सेक्शन पर मुण्देवाडी और पाकनी स्टेशनों के बीच सीना रिहार रेलवे पुल पर कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो यह दुर्घटना कसे हुई और कितने व्यक्ति घटनास्थल पर मरे ;

(ग) क्या इस रेलवे पुल पर पैदल चलने की पटरी के बनाने की माँग की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो काफी समय से पड़ी इस आवश्यक माँग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) २८-५-६२ को मुण्ढेवाडी और पाकनी स्टेशनों के बीच संख्या ३२८ अप पुसेंजर के नीचे तीन पैदल यात्री आ गये और मारे गये ।

(ग) पैदल चलने वालों के लिये पटरी बनाने के सुझाव किये गये हैं परन्तु रेलवे पुलों पर ऐसी पटरी नहीं बनायी जाती । रेलवे कर्मचारी पटरी और पुल के निरीक्षण के समय बिना पैदल-पथ के व्यवस्था करते हैं । पुल पर सामान्य जनता से चलने की आशा नहीं की जाती क्योंकि ऐसा करना खतरनाक है ।

(घ) इस पुल के गर्डरों पर पैदल चलने की पटरी बनाना व्यवहार्य नहीं होगा ।

श्री तुलसी दास जाधव : श्रीमन्, आज से दस बारह साल पहले इस रेलवे ब्रिज के साथ फुट-पाथ था और उसके ऊपर से लोग आते जाते थे । उस एरिया के लोगों को इधर उधर जाने के लिये दूसरा रास्ता नहीं है और रेलवे लाइन पर से ही वे लोग आते जाते हैं जिससे कि बार बार ऐक्सीडेंट हो जाते हैं और इन ऐक्सीडेंट्स को बन्द करने के लिये वहाँ फुटपाथ बनाना बहुत जरूरी है । मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस फुटपाथ को बनाना जरूरी समझती है या नहीं ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : वर्ष १९३८ से पहले वहाँ फुटपाथ था परन्तु तब भी यह सामान्य जनता के लिये खुला नहीं था । और इस पर यह नोटिस लगा हुआ था कि पैदल चलने वालों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा । परन्तु वर्ष १९३८ में इस पुल का नवीकरण किया गया और वह बिल्कुल भिन्न प्रकार का था और विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर फुटपाथ नहीं बन सकता ।

श्री तुलसी दास जाधव : रेलवे डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र स्टेट इन दोनों में इस फुटपाथ के बार में पत्र व्यवहार और लिखा पढ़ी हुई है । और उसके अन्दर रेलवेज़ ने कहा है कि उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा उत्तर देते हैं कि यह रेलवे ब्रिज रेलवेमैन और रेलवेज के लिए है । अब इसके क्या मानी हैं ? मेरी प्रार्थना है कि यह फुटपाथ बनाना बहुत जरूरी है और मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में रेलवेज विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : विचार करके ही तो सरकार ने बतला दिया है कि यह फुटपाथ नहीं हो सकता है । ऐक्सपर्ट्स ने उनको यह सलाह दी है कि वहाँ फुटपाथ नहीं हो सकता है ।

श्री तुलसी दास जाधव : एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों बार आपने वही सुझाव दिया है और उसी सुझाव को आप दुहरा रहे हैं । मैं और सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री तुलसी दास जाधव : अध्यक्ष महोदय, केवल एक .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

"वायरलैस सेटों" का आयात

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१. श्री मुत्याल राव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १५ जनवरी, १९६२ के '**हिंदुस्तान टाइम्स**' में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि "वायरलैस सेटों" के आयात में सरकार को लाखों रुपये

†मूल अंग्रेजी में

का धोखा दिया गया है और ये सेट "भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड" द्वारा एक फ्रांसीसी फर्म से प्राप्त किये गये ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस रिपोर्ट की सचाई तथा झूठ के बारे में जाँच की है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। प्रतिरक्षा मंत्रालय और विशेष पुलिस संस्थान ने इस रिपोर्ट में दिये गये आरोपों की अच्छी प्रकार जांच की है।

(ग) ये आरोप निराधार पाये गये। "वायरलैस सेटों" के लिये अधिक मूल्य नहीं लिया गया। सारा सौदा सामान्य रूप से हुआ।

†**श्री मुत्याल राव** : क्या इस फर्म द्वारा सरकार को प्रति २००० रुपये के हिसाब से दिये गये "जनरेटर" वही हैं जो सरकार अमरीकी निर्माताओं से ३८५ रुपये प्रति "जनरेटर" के हिसाब से लेती है ?

†**श्री रघुरामैया** : इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। वास्तव में हमने अमरीकी निर्माताओं से सीधे तौर पर कोई जनरेटर नहीं खरीदा है। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, सत्यापन किया गया, उसमें किसी अन्तर का पता नहीं चला।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सड़क परिवहन म सहकारी आन्दोलन

†*१५७६. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन के मामले में सहकारी आन्दोलन ने क्या प्रगति की है ;

(ख) सरकार परिवहन क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिय क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ताकि वह गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों के बीच एक प्रभावी सन्तुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सके ; और

(ग) १९६०, १९६१ और १९६२ में अब तक कितनी परिवहन सहकारी समितियों का पंजीयन किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

गेहूं का आयात

†*१५७७. **श्री प्र चं० बरूआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से १९६० के पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत और २ लाख, ५० हजार टन अमरीकी गेहूं आयात किया जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गेहूं के यहां कब तक पहुंचने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग जुलाई/अगस्त, १९६२ ।

अनाजों की मूल्य सीमा

*१५७८. **श्री ओंकार सिंह** :
श्री बड़े :
श्री कछवाय :
श्री बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाजों की मूल्य-सीमा निश्चित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई समिति बनाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह समिति कब तक बनाई जाएगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में चावल और आसाम में चावल और धान की मूल्य-सीमा लागू है । जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर देश में बेलन आटा मिलों के लिए चोकर के अलावा, गेहूं से बने अन्य पदार्थों के कारखाने से निकासी के समय मूल्यों की सीमा निर्धारित कर दी गयी है । पश्चिमी बंगाल में आयातित गेहूं और गेहूं से बने पदार्थों की मूल्य-सीमा तथा दिल्ली में गेहूं के बने पदार्थों के खुदरा मूल्यों की सीमा भी इस समय लागू है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलगाड़ियों का देर से चलना

*१५७९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों के देर से पहुंचने की शिकायत बहुत बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या कोई विशेष कदम उठाये गये हैं और इस बीच रेलों के ठीक समय पर चलने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या देर से पहुंचने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और गार्ड को काम के घंटों से अधिक काम करने के लिये कुछ अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) गाड़ियों के देर से पहुंचने के बारे में कुछ शिकायतें आयी हैं, लेकिन यह कहना संभव नहीं है कि इन शिकायतों में बढ़ती हुई है या नहीं ।

(ख) गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए हर सम्भव कोशिश की गयी है और की जा रही है । हाल ही में बोर्ड ने एक बैठक बुलायी थी, जिसमें इस सवाल पर चर्चा की गयी थी । इस बैठक में उन रेलों के संबधित अफ़सरों ने भाग लिया जिन पर हालत कुछ बिगड़ी है । इस बठक में कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर विचार किया गया, जिनको, आजकल की काम की वास्तविक स्थिति के अनुरूप, समय-सारणी बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए । रेल-प्रशासनों को कहा गया है कि अगली समय-सारणी बनाते समय इन सिद्धान्तों को यथासम्भव ध्यान में रखा जाय । गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी निगाह रखी जा रही है और आशा है कि निकट भविष्य में इसमें सुधार हो जायेगा ।

(ग) और (घ). जी नहीं । यदि वे लोग एक महीने में औसतन २३१ घंटे से अधिक ड्यूटी देते हैं तो वे भारतीय रेल अधिनियम १८९० के उपबन्धों के अनुसार समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हैं ।

खेतिहर मजदूर

***१५८०. श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को खेतिहर मज़दूरों की कमी के कारण अधिक अन्न उपजाने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो खेतिहर मज़दूर किसानों को सहायता देने के लिये किन कारणों से तैयार नहीं होते; और

(ग) सरकार खेतिहर मज़दूरों और किसानों के बीच उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) किसानों द्वारा अनुभव होने वाली कठिनाइयों के बारे में हमारे पास कोई विशेष सूचना नहीं है ; परन्तु कुल मिला कर खेतिहर मज़दूरों की कोई कमी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

केरल में औषधियों की कमी

†***१५८१.** { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियार : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल के अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में स्ट्रेप्टोमाइसीन जैसी जीवन रक्षक औषधियाँ उपलब्ध न होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या देश में इन औषधियों की कोई सामान्य कमी है; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । परन्तु (क) के बारे में "मैसर्ज हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री" को तार द्वारा केरल की बकाया मांग पर पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन का संभरण शीघ्र करने को कहा गया है ।

बम्बई बन्दरगाह में टैंकरों का रोका जाना

†*१५८२. **श्री नाथ पाई** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज और खाद ढोने वाले अनेक टैंकरों को बम्बई बन्दरगाह में रोक रखा गया है;

(ख) क्या इस माल की निकासी न होने के कारण बम्बई के पोर्ट ट्रस्ट शेडों में बहुत अधिक सामान इकट्ठा हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार को कितना नुक्सान हुआ है; और

(घ) निकासी न होने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७१]

इंडियन एयर लाइन कारपोरेशन के 'फोकर फ्रेंडशिप' विमान की दुर्घटना

†*१५८३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ जून, १९६२ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक 'फोकर फ्रेंडशिप' विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या इस दुर्घटना की जाँच का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस का क्या निष्कर्ष निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ । इस दुर्घटना की असैनिक उड्डयन विभाग के दुर्घटना निरीक्षक द्वारा जाँच की जा रही है ।

(ग) जाँच-कार्य जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे दुर्घटना जांच समिति

†*१५८४. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना जाँच समिति का पुनर्गठन हो चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या इस के किसी सदस्य को कोई पारिश्रमिक मिलता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं और उन को कितना पारिश्रमिक मिलता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४,अनुबन्ध संख्या ७२** ।]

दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के लिये ऋण

†*१५८५. **श्री सुबोध हंसदा** ।
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान और यूगोस्लाविया के अतिरिक्त किसी अन्य देश की ओर से दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के लिये ऋण की कोई पेशकश की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो किस देश से; और

(ग) पेशकश की शर्तें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इस समय ब्यौरा बताना उचित नहीं है । समय आने पर संसद् को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी जावेगी ।

दिल्ली दूध संभरण योजना

†*१५८६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूध संभरण योजना द्वारा उत्पादित दूध और घी की माँग बढ़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने प्रतिशत माँग पूरी की जा रही है; और

(ग) योजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हाँ । दूध और दूध उत्पादों की माँग निरन्तर बढ़ रही है ।

(ख) वर्तमान कुल माँग का पता नहीं है । वर्ष १९५६ में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि राजधानी की दूध की कुल दैनिक माँग ७,००० मन है । इस समय दिल्ली दुग्ध योजना उस आवश्यकता का लगभग ४० प्रतिशत पूरा कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तरल रूप में उपभोग के लिये अपेक्षित मात्रा से फालतू दूध का घी बनाया जाता है। अतः घी का उत्पादन मौसमी होता है और यह अधिकतर शीतकाल में बनता है। घी की दैनिक माँग बहुत अधिक होने से, योजना इस समय केवल बहुत थोड़ी माँग पूरी कर सकती है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना में प्रतिदिन ७,००० मन दूध के लिये पूरे उपकरण हैं। इस में प्रति दिन १ टन घी बनाने की भी पूरी व्यवस्था है।

कोसी परियोजना

†*१५८७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी परियोजना के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पुनरीक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) परियोजना के विविध पहलुओं के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इस समय कोसी परियोजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७३]**

बड़ौदा में डाक प्रशिक्षण केन्द्र

†*१५८८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में एक डाक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो किस लागत पर; और

(ग) वहाँ पर किन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) आवर्ती लगभग ३,२७,९०० रुपये प्रतिवर्ष।
अनावर्ती लगभग ८१,५०० रुपये।

(ग) गुजरात, बम्बई और केन्द्रीय डाक तथा तार सर्किलों से सम्बन्धित डाक क्लर्क और रेलवे डाकसेवा से सोर्टर (बाहरी और विभागीय पदोन्नत) रूप में और गुजरात, बम्बई, केन्द्रीय, मद्रास, मैसूर, केरल और आन्ध्र डाक तथा तार सर्किलों से सम्बन्धित डाक घरों और रेलवे डाक सेवा के इन्सपेक्टरों के रूप में नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रोलर आटा मिलों से भूसी

†*१५८९. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री ८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार रोलर आटा मिलों को किस दर पर गेहूं का सम्भरण करती है ;

(ख) क्या आटा बनाने की प्रक्रिया में भूसी भी एक उपोत्पाद है ;

(ग) भूसी का बाजार भाव क्या है ;

(घ) क्या सेना क्रय संगठन (खाद्य मन्त्रालय के अधीन) अपनी आवश्यकता की भूसी खाद्य मन्त्रालय की मार्फत रोलर आटा मिलों से खरीदता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कहां से तथा किस दर पर ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) ३७.५१ रुपये प्रति क्विन्टल (१४.०० रुपये प्रतिमन)

(ख) जी हां । भूसी (ब्रान) आटा/सूजी के उत्पादन में भी एक उपोत्पाद है ।

(ग) २५-५-६२ को मई के महीने के लिये भूसी (ब्रान) का थोक बाजार भाव बम्बई में २३ रुपये ६५ नये पैसे प्रति क्विन्टल और कलकत्ते मे २१ रुपये ४० नये पैसे प्रति क्विन्टल था । इस कीमत में बोरियों का दाम शामिल नहीं है ।

(घ) सेना क्रय संगठन प्रतिरक्षा विभाग के लिए खुले टेण्डर मंगा कर, रोलर आटा मिलों सहित व्यापारियों से गेहूं का भसी (व्हीट ब्रान) खरीदता है ।

(ङ) सबसे अन्तिम खरीद २५.४० रुपये से ३२.१५ रुपये प्रति क्विन्टल तक की दरों पर मई, १९६२ में की गयी थी । इन कीमतों में बोरियों और चिह्न लगाने की कीमत, गन्तव्य स्थान तक पहूंचाने की लागत, लदवाई और उतराई के तथा दूसरे प्रासंगिक खर्च भी शामिल हैं । इसकी किस्म सेना के विशिष्टियों के अनुरूप है ।

अखिल भारतीय प्रत्यायन संस्था'

†*१५९०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा** कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा पशु चिकित्सा कालिजों के लिये एक अखिल भारतीय प्रत्यायन संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित होगी ;

(ग) ऐसी संस्था स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं ; और

(घ) इस संस्था के सदस्य कौन होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी इस मामले पर विचार हो रहा है लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्णय कब हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

'All India Accreditation Body.

(ग) देश में कृषि तथा पशु चिकित्सा विषयक शिक्षा का स्तर बनाये रखना और ऊंचा करना ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चूहों से फसलों को नुकसान

†३५०२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे खेतों के चूहों से फसलों को कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा कितना है ; और

(ग) खेतों के चूहों का मुकाबला करने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय ने जिस..... का पता लगाया है उसे लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसका प्राणिशास्त्र विभाग दिल्ली के चूहों के केवल प्रणालीबद्ध सर्वेक्षण में लगा हुआ था न कि उनके नियन्त्रण में ।

क्षार और अवृष्टि प्रतिरोधी चावल

†३५०३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल और मद्रास में क्षार प्रतिरोधी (सॉल्ट रेजिस्टेन्ट) और आवृद्धि प्रतिरोधी (ड्रॉट रेजिस्टेन्ट) चावल तैयार करने के काम में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिय परि शिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७४ ।]**

केलों में बंडल बांधना और उन्हें लाना ले जाना

†३५०४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलों के बंडल बांधने और उन्हें लाने ले जाने के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जांच पड़ताल से कोई व्यावहारिक परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या उन्हें प्रयोग में लाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). सरकार ने जो सर्वेक्षण और जांच पड़ताल किये हैं उनसे यह पता चला है कि भारत में रेल, सड़क और नदी से केलों का थोक स्थानान्तरण मुख्यत: गुच्छों के रूप में जो चारों ओर से केलों के पत्तों से खूब अच्छी तरह बंधे हुए होते हैं, किया जाता है । बहुत पके हुए और कीमती किस्म के केलों के मामले

---

†मूल अंग्रेजी में

में बांस की टोकरियां इस्तैमाल की जाती हैं जिनमें केलों के पत्तों की तहें होती हैं और पटसन के कपड़ों से सिली हुई होती हैं। बण्डल बांधने के मामले में कोई विशेष समस्या सरकार की नजरों में नहीं लायी गयी है ।

केलों के परिवहन के सामान्य तरीके ये हैं : सिर पर टोकरे ले जाना, बैलगाड़ियां, मालवाहक जानवर, ट्रक, रेलगाड़ियां, नावें और स्टीमर । लम्बी दूरी के लिए केले अधिकतर मालगाड़ियों और सवारी गाड़ियों से लाये ले जाये जाते हैं। फलों और सब्जियों को लाने ले जाने के लिये रेफ्रिजरेटेड डिब्बे चालू करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान-शाला, मैसूर ने अभी हाल में रेलवे बोर्ड के सहयोग से कुछ प्रयोग किये हैं। इन प्रयोजनों के परिणामों का अभी तक पूरी तौर से पता नहीं लगा है ।

बाढ़ प्रतिरोधी चावल

†३५०५. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बाढ़ प्रतिरोधी चावल के सम्बन्ध में अनुसन्धान का कोई परिणाम निकला है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश का १३११ किस्म का चावल केरल में बाढ़ की दशाओं के लिये उपयुक्त है ; और

(घ) यदि हां तो क्या केरल में उसे लोकप्रिय करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) केरल में जिन छै बाढ़ प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किया गया है उनमें से एच० बी० जे १ कुट्टनाड़ क्षेत्र में स्थानीय किस्म से अधिक अच्छे दर्जे का साबित हुआ है। आगे अनुसन्धान अभी जारी है ।

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश के १३११ किस्म का प्रयोग केरल में अभी नहीं किया गया है ।

इलायची के रोग

†३५०६. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची को खराब करने वाले रोग किस प्रकार के होते हैं ;

(ख) उनके नियन्त्रण के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) इलायची को खराब करने वाले निम्नलिखित चार रोग मुख्य हैं :—

(१) कट्टी (या मोजेक) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह मुख्य रोग है जिससे छोटी छोटी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सड़ जाती हैं और टेढी हो जाती हैं और इससे नये तनों की वृद्धि की बाढ़ रुक जाती है ।

रोगग्रस्त पौधों को प्रणालीबद्ध ढंग से हटाकर और उनकी जगह अच्छे पौधे लगा अर इस रोग का नियन्त्रण किया जाता है ।

(२) क्लम्प राँट :

यह एक दूसरा गम्भीर रोग है जो फंगस, पीथियम स्पेशल के कारण होता है । इस रोग का लक्षण यह है कि इस पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और टूटने लगता हैं और इसके तने भी कमजोरहोकर टूटने लगते हैं ।

इस रोग का नियन्त्रण रोगग्रस्त तनों को हटाने और हर पौधे में २ औंस की दर से सुपरफास्फेट और अमोनियम फास्फेट डाल कर किया जाता है ।

(३) पत्तियों का झड़ जाना (लीफ स्कॉचिंग) :

यह भी एक गंभीर रोग है जो मैसूर में दिसम्बर-जनवरी में होता है । यह फंगस फिल्लोसटिक्टा स्पेशल के कारण होता है । इस रोग के कारण पत्तियां गोल और पीली पड़ जाती हैं, धूप में सूख जाती हैं और इस तरह सारा पेड़ ही निर्जीव हो जाती है ।

१ प्रतिशत बोर्डो मिक्स्चर या कॉपर सैन्डोज के छिड़काव से इस रोग का कुछ थोड़ा नियंत्रण हो जाता है ।

(४) पौधों का सड़जाना और गिर जाना :

यह रोग पीथियम स्पेशल के कारण होता है । इस के कारण पौधा सड़ जाता है और अन्त में निर्जीव हो जाता है ।

हर १० वर्ग गज के लिये एक गैलन की दर से १ प्रतिशत बोर्डो मिक्स्चर के छिड़काव से थोड़ा नियंत्रण हो जाता है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इलायची के रोगों के बारे में अनेक अनुसंधान योजनाओं के लिये धन दिया है और वह केरल तथा मैसूर राज्यों में कट्टी रोग के नियंत्रण के लिए एक समन्वित योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है ।

उत्तर प्रदेश में सड़क विकास योजनाओं के लिये अनुदान

†३५०७. **श्री सरजू पांडेय:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सड़क विकास योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को मार्च, १९६२ तक केन्द्रीय सड़क निधि से कितना अनुदान मिला है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिये कितनी रकम नियत की गई है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कें बढ़ाने और उनके विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) ५१७.०८ लाख रुपये [केन्द्रीय सड़क निधि नियतन से ४०४.५४ लाख रुपये और केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रक्षित से ११२.५४ लाख रुपया] ।

(ख) १५२.९७ लाख रुपया [केन्द्रीय सड़क निधि नियतन से १३० लाख रुपया और केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) रक्षित से २२.९७ लाख रुपया] ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अमेठी रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल

३५०८. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में लखनऊ डिवीजन के अमेठी स्टेशन पर लाइन के ऊपर पुल बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ;

(ख) वह कब तक बनने लगेगा ;

(ग) वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ; और

(घ) यदि ऊपर का पुल किसी कारण से न बन सकता हो तब क्या जनता की असुविधा के निवारणार्थ सिगनल्स की ऐसी व्यवस्था कर दी जायेगी जिस से सवारी गाड़ियां प्लेटफार्म वाली लाइन पर ही आ कर खड़ी हुआ करें ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) इस्पात की कमी होने से अमेठी में ऊपरी पैदल पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया जा सका ।

(ख) से (घ). रेलवे ने एक दूसरा उपाय ढूंढ निकाला है, जिस के अनुसार सिगनल की मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन कर देने से सभी सवारी गाड़ियां मुख्य लाइन के प्लेटफार्म पर आ कर ठहरा करेंगी । इस से ऊपरी पैदल पुल की जरूरत नहीं रहेगी । आशा है, सिगनल की व्यवस्था में १९६३-६४ में परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

राम गंज पर हाल्ट स्टेशन

३५०९. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद-सुलतानपुर-फैजाबाद लाइन पर खुंदौर और पीपरपुर स्टेशनों के बीच "रामगंज" में स्टेशन बनाने के लिये रेलवे अधिकारियों ने जांच-पड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि स्टेशन बनाने में विलम्ब हो, तो क्या वहां पर हाल्ट स्टेशन का प्रबंध किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). शुरू में इस जगह एक झण्डी स्टेशन बनाने का विचार था, लेकिन जमीन मिलने में कठिनाई होने से अब यहां ट्रेन हाल्ट बनाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में जमीन को खेती के लायक बनाना

†३५१०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सदर डिविजन के श्रीनगर क्षेत्र में झूमियों को जमीन कृषि योग्य बनाने के लिये दी गई थी ;

(ख) क्या आदिमजातियों ने भूमि को कृषि योग्य बनाया है ;

(ग) क्या उन्हें झूमियां सहायता देने का आश्वासन दिया गया है ;

(घ) उन्हें झूमिया सहायता देने में देर के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सहायता के भुगतान में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

क्विलोन के पास मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†३५११. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जून, १९६२ को दक्षिण रेलवे में क्विलोन के पास एक मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)**: (क) और (ख). १-६-६२ को ८-१० बजे जब डाउन मालगाड़ी संख्या ४२४७ एर्नाकुलम-क्विलोन सेक्शन में पेरिनाड़ और क्विलोन के बीच जा रही थी तब इंजन का टेन्डर और ११ डिब्बे पटरी पर से उतर गये। किसी को चोट नहीं लगी। अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को १६,७०० रुपये का नुक्सान पहुंचा।

नेडुमंगाड़ु और शोरलाकोड को मिलान वाली सड़क

†३५१२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेडुमंगाड़ु (केरल) और शोरलाकोड (मद्रास) को जोड़ने वाली एक सड़क बनाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह बनाई जा चुकी है ;

(ग) क्या यह सड़क पांच मील तक बनाई जा चुकी है ;

(घ) क्या अन्तर्राज्यीय संचार के लिए इस सड़क का महत्व सरकार ने समझा है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सड़क बनाने का काम आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौहवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ङ). केरल में नेडुमंगाड़ु और मद्रास में शोरलाकोड को जोड़ने वाली एक सड़क पहले ही मौजूद है। इस सड़क

---

†मूल अंग्रेजी में

के १ से ५ मील तक मरम्मत की लागत का ७५ प्रतिशत खर्च पूरा करने के लिये २.२५ लाख रुपये का सहायता अनुदान पहली पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्यों की सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन मंजूर किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार काम काफी आगे बढ़ चुका है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के कुछ और हिस्सों की मरम्मत के लिये केरल और मद्रास सरकार की ओर से सहायता अनुदानों के लिये प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं। इस विषय में छानबीन की जा रही है।

केरल में नारियल उत्पादकों के लिये ऋण

†३५१३. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने राज्य के नारियल उत्पादकों के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार से दीर्घकालीन ऋण मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):** (क) जी, हां। केरल सरकार ने नारियल सहित बागान फसलों की खेती के लिये किसानों को विशिष्ट दीर्घकालीन ऋण देने के लिये राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक को सहायता देने के लिये भारत के रिजर्व बैंक और भारत सरकार से प्रार्थना की थी।

(ख) अभी तक केरल केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों के जरिये छोटे छोटे रबड़-उत्पादकों को धन देने की एक योजना बनाई गई है और योजना के पहले साल में २० हजार एकड़ जमीन में रबड़ की खेती के लिये, आवश्यक धन की ७५ प्रतिशत रकम देना रिजर्व बैंक ने मंजूर कर लिया है। मंझली और लम्बी अवधि के ऋण जारी कर कृषि विकास के लिये धन देने के लिये कृषि विकास वित्त निगम स्थापित करने की योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है। अनुमान है कि यह निगम स्थापित हो जाने पर ठीक उसी तरह जिस तरह रिजर्व बैंक रबड़ बागानों को अभी सहायता दे रहा है, नारियल जैसी बागान फसलों की खेती के लिये सहायता दे सकेगा।

बड़ानगर नगरपालिका, पश्चिम बंगाल

†३५१४. **श्री प्र० रे० चक्रवर्ती :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ानगर नगरपालिका, पश्चिम बंगाल को कोई अनुदान दिये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक अनुदान की रकम कितनी है और उस का प्रयोजन क्या है ;

(ग) क्या नगरपालिका के निवासियों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिये कोई अनुदान दिया गया है ; और

(घ) क्या इस अनुदान का प्रयोजन पूरा किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) और (घ). बड़ानगर-कमरहाटी नगरपालिकाओं की संयुक्त जल संभरण वृद्धि योजना पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई निधि से कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार एक अनुदान

---

†मूल अंग्रेजी में

मंजूर करेगी जो उपर्युक्त अग्रिम के सथ सामायोजित किया जायेगा। बड़ानगर नगरपालिका के लिए स्वीकृत अनुदान ११ लाख रुपया होगा ।

आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल मेडिसिन एण्ड रीहैबिलिटेशन, बम्बई

†३५१६. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडया इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल मेडिसन एण्ड रीहैबिलिटेशन, बम्बई, मुख्यतः स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिये बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या शरीर-चिकित्सा (फिजोयोथेरापी) में प्राथमिक अथवा ग्रेजुएट स्तर पर प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या देश में आवश्यक शरीर चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिये आल इंडिया इंस्टीटयूट आफ फिजियोथेरापी स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) किंग एडवर्ड मेमोरियल हास्पिटल, बम्बई में फिजियोथेरापी स्कल, १९५३ से चल रहा है । भारत सरकार इस स्कूल के आवर्तक व्यय के लिये सालाना ११,००० रुपये देती है । नागपुर, मद्रास हैदराबाद और वैल्लोर में फोजियोथेरापी स्कूल स्थापित करने की योजनाओं पर राज्य सरकारें/स्वयं-सेवी संगठन विचार कर रहे हैं ।

(ग) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

सहकारी समितियों के वार्षिक चुनाव

†३५१७. **श्री जेधे :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में अन्तिम वार्षिक चुनाव की तारीख से १८ महीने के अन्दर वार्षिक चुनाव करना अत्यावश्यक है;

(ख) यदि उक्त अवधि के अन्दर वार्षिक चुनाव नहीं किये जाते तो उस दशा में पदाधिकारियों की क्या स्थिति होती है;

(ग) दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी सहकारी संस्थायें हैं जिन्हों ने १८ महीनों से अधिक समय से वार्षिक चुनाव नहीं किये हैं और जो अपना सामान्य कार्य नहीं कर रही हैं;

(घ) उपविधियों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार इन सहकारी संस्थाओं द्वारा वार्षिक चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ;

(ङ) जो संस्थायें वार्षिक चुनाव नहीं करातीं क्या उन्हें अपनी पुरनी प्रबन्ध समितियों से अपना सामान्य काम काज चालू रखने की अनुमति नहीं है और इस प्रकार वे उन संस्थाओं के सदस्य नहीं रह जाते ;

(च) यदि हां, तो इस प्रकार भंग सहकारी संस्थाओं का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है और उन संस्थाओं द्वारा अपना सामान्य काम काज फिर चालू किये जाने के लिये क्या प्रक्रिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) क्या सरकार सहकारिता आन्दोलन के हित में और हिस्सेदारों का हित बढ़ाने के लिए ऊपर भाग (ग) में उल्लिखित सहकारी संस्थाओं को किसी प्रकार की कोई सहायता देती है; और

(ज) यदि हां, तो दिल्ली में इन सहकारी संस्थाओं को सरकार किस प्रकार और कितनी सहायता देने वाली है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी हां, दिल्ली में सहकारी संस्थाओं की उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार।

(ख) उपविधियों में ऐसा कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है कि यदि उक्त अवधि में चुनाव न हों तो पदाधिकारी अपने अपने पदों के अधिकारी नहीं रहेंगे।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) अधिकतर वे संस्थायें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं और प्रबन्ध समिति भी चुनाव टाल रही है।

(ङ) जी नहीं। वे पुरानी प्रबन्ध समितियों से अपना काम काज कर रही हैं।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(छ) और (ज). ऐसे मामलों में जहां प्रबन्ध समिति जानबूझ कर निर्धारित अवधि में चुनाव कराने में देर लगाती है वहां रजिस्ट्रार द्वारा अपनी संविहित शक्तियों के प्रयोग से विशेष सामान्य बैठक बुलाये जाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†**३५१८. श्री जेघे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अनुसूचित जातियों के आदमीयों के लिये कितने राजपत्रित पद आरक्षित हैं;

(ख) वहां कितने संवरण पद एक वर्ष से अधिक अवधि से खाली पड़े हैं; और

(ग) संवरण पदों तथा राजपत्रित पदों में उस संस्था में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने के हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) कुल राजपत्रित पदों में से १२ ½ प्रतिशत पद सरकार के स्थायी आदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रखे गये हैं। इस आधार पर प्रथम श्रेणी में १८ और द्वितीय श्रेणी में २२ पद इस संस्था में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं।

(ख) दस पद इस संस्था में अनुसन्धान सहायकों के संवर्ण संवर्ग में एक वर्ष से अधिक अवधि से खाली पड़े हैं जिस से संवर्ग में ही इस संस्था में इस समय ऐसे पद हैं।

(ग) संस्था के सभी राजपत्रित पदों की भरती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती हैं जिस से अनसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदों के आरक्षण की बात बताई जा ती है जब कभी उन के लिये पद आरक्षित होते हैं संवरण संवर्ग के पद वरिष्टता एवं योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण

†३५१९. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में 'चिकित्सा संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण' शीर्ष के अधीन केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को कोई इकट्ठी राशि का अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(ग) इस समय उड़ीसा में कितनी स्त्रियां चिकित्सा प्रशिक्षण में हैं और कितनी व्यवसाय में; और

(घ) उन में से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों की स्त्रियां कितनी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). जी, हां। ५७,००० रुपये की इकट्ठी राशि का अनुदान उड़ीसा सरकार को केन्द्र द्वारा चलाई गई सब योजनाओं के लिये १९६१–६२ में अस्थायी तौर पर दिया गया है, जिन में 'चिकित्सा संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण' शीर्ष की योजनायें शामिल हैं। चिकित्सा संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण' शीर्ष के अधीन योजनाओं के लिये पृथक से कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया ।

(ग) और (घ). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी

रायगाड़ा स्टेशन पर यात्री सुविधायें

†३५२०. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात मालूम है कि रायगाड़ा रेलवे स्टेशन (उड़ीसा में) प्रतीक्षा हालों में अभी तक पंखे नहीं लगाये हैं;

(ख) वहां पंखों की व्यस्वथा कब तक हो जायेगी;

(ग) क्या यह भी सही है कि रायगाड़ा में वर्तमान प्लेट फार्म की छत यात्रियों के लिये काफी नहीं है, विशेषकर वर्षा के दिनों में; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में प्लेटफार्म का विस्तार करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) १९६२–६३ में पंखे लगाये जाने की आशा है ।

(ग) प्लेट फार्म की इस समय की छत इस समय के यात्री यातायात के लिये पर्याप्त समझी जाती है ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

उड़ीसा को चीनी और गेहूं का संभरण

†३५२१. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में उड़ीसा को जिलावार कितनी चीनी और गेहूं का संभरण किया गया;

(ख) इस में से, उस अवधि में जिलावार कितनी चीनी और गेहूं उपयोग में लाई गई, और

(ग) इस समय यदि बकाया स्टाक् है तो कितना ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के उपमंत्री (श्री आ० म० थामस)** (क) चीनी का नियंत्रण वितरण २७ सितम्बर, १९६१ तक ही रखा गया और उस के पश्चात् चीनी के आवंटन की पद्धति बन्द कर दी गई। १ अप्रैल, १९६१ से २७ सितम्बर, १९६१ तक, १६३७२ टन चीनी उड़ीसा को भेजी थी। तत्पश्चात्, अक्तूबर, १९६१ से मार्च, ६२ तक १५१३१ टन चीनी उड़ीसा को फैक्टरियों में दी गई। इन का जिलेवार ब्यौरा प्राप्त नहीं है।

गेहूं के सम्बन्ध में उड़ीसा के केन्द्रीय डिपुओं से आयात किये गये गेहूं का संभरण तथा कलकत्ता से सीधे माल देने की व्यवस्था विभिन्न जिलों के लिये उड़ीसा की सरकार द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है। वर्ष १९६१–६२ में आयात की गई ३११९१ टन गेहूं दी गई थी। जिलावार ब्यौरा प्राप्त नहीं है।

(ख) संभरण की गई चीनी और गेहूं की कुल मात्रा स्थानीय उपयोग के लिये ही थी, और जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जून, १९६२ के प्रारम्भ में उड़ीसा के केन्द्रीय डिपुओं में आयात की गई गेहूं का स्टाक १२३६ टन था। क्योंकि २८-९-६१ से चीनी का नियंत्रित वितरण छोड़ दिया गया, चीनी का स्टाक रखने का सवाल पैदा नहीं होता।

उड़ीसा में औद्यानिकी का विकास

†३५२२. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में औद्यानिक विकास के लिये उड़ीसा को यदि कोई ऋण और अर्थ सहायता दी गई है तो कितनी; और

(ख) १९६२–६३ में कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कुछ नहीं।

(ख) ५०,००० रुपये का ऋण १९६२-६३ में औद्यानिकी विकास के लिये उड़ीसा को देने का विचार है।

उड़ीसा में तिलहनों का विकास

†३५२३. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६०, १९६०–६१, और १९६१–६२ में उड़ीसा में तिलहनों के विकास के लिये राज्य सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार को तिलहनों के विकास के लिये इस रूप में कोई नियत अनुदान नहीं दिया गया। तथापि भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ने इस काम के लिये कुछ अनुदान दिये थे इसके अतिरिक्त यह संभव है कि राज्य सरकार ने राज्य की विकास योजनाओं के लिये दिये गये इकट्ठे विकास अनुदान में से तिलहन विकास पर कुछ व्यय किया होगा। इन राशियों सम्बन्धी सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में भूमि परीरक्षण

†३५२४. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में भूमि परीरक्षण के लिये उड़ीसा को क्या कोई सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या हैं ;

(ग) १९६२-६३ में कितनी राशि की व्यवस्था की गई हैं; और

(घ) किन योजनाओं के लिये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी हां।

(ख) भूमि परिरक्षण और वानिकी सम्बन्धी साधारण राज्य आयोजना की योजनाओं के लिये कुल केन्द्रीय सहायता ९.८८ लाख रुपये की अनुदान के रूप में और ८.४७ लाख रुपये की ऋण के तौर पर मंजूर हुई हैं। भूमि परिरक्षण के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता की नवीन प्रक्रिया के अधीन भूमि परिरक्षण और वानिकी योजनाओं दोनों के लिये इकट्ठी मंजूरी जारी की जाती हैं ।

इसके अतिरिक्त ७.६० लाख रुपये का अनुदान हीराकुड और मचकुंड नदी घाटी परियोजनाओं के जलागमों में भूमि परिरक्षण की केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत मंजूर की गई थी ।

(ग) राज्य आयोजना में साधारण भूमि परिरक्षण योजनाओं के लिये १४.२२ लाख रुपये और नदी घाटी जलागमों में भूमि परिरक्षण के लिये ३४.५३ लाख रुपये ।

(घ) साधारण राज्य आयोजना योजनाएं—

(१) कनिष्ठ भूमि परिरक्षण सहायकों का प्रशिक्षण

(२) भूमि परिरक्षण में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

(३) भूमि परिरक्षण अनुसंधान तथा प्रयोगशाला

(४) भूमि परिरक्षण प्रदर्शन केन्द्र

(५) मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं में भूमि परिरक्षण

(६) कृषि भूमि में भूमि परिरक्षण; बाढ़ के कारण जमा हुई रेत को साफ करना

(७) नदी किनारा कटाव का नियंत्रण

(८) भूमि परिरक्षण अनुसंधान फार्म लम्पटापूत

(९) जिला मुख्यालय संगठन के लिये भूमि परिरक्षण कर्मचारी योजनाएं

(१०) तटीय रेत को हटाना।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाएं—

(१) हीराकुंड जलागम में भूमि परिरक्षण

(२) मचकुंड जलागम में भूमि परिरक्षण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में तम्बाकू की खेती

†३५२५. **श्री उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ से १९६२ तक तम्बाकू की खेती के लिये उड़ीसा सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह)**: (क) से (ग). उड़ीसा सरकार को तम्बाकू की खेती के लिये इस प्रकार कोई नियत अनुदान नहीं दिया गया । उस सरकार द्वारा तम्बाकू की खेती पर किये गये व्यय के बारे में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये विकास अनुदानों में से था अपेक्षित सूचना मांगी गई हैं और सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

जैसलमेर में व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद

३५२६. **श्री तनसिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान बनने से पहले जैसलमेर रियासत के व्यापारियों ने आयात किया हुआ गेहूं भारत सरकार से खरीदा था और क्या उसकी कीमत भारत सरकार के पास जमा करवा दी थी;

(ख) जितनी रकम जमा की गई थी क्या उतना धान नहीं दिया गया इसलिये शेष रकम दी जानी थी;

(ग) क्या १९५१–५२ में यह रकम व्यापारियों को देने के लिये भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को लौटा दी;

(घ) यह रकम कितनी थी और अब तक उस में से कितनी रकम वास्तव में व्यापारियों को मिली और कितनी राजस्थान सरकार ने नहीं चुकाई;

(ङ) क्या यह सच हैं कि कुछ व्यापारियों ने इसी रकम के सिलसिले में जैसलमेर के सिविल कोर्ट से हजारों रुपयों की डिग्रियां भी सरकार के खिलाफ़ हासिल कर ली है; और

(च) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) भारत सरकार का अलग अलग व्यापारियों के साथ कोई सीधा लेन-देन नहीं था । खाद्यान्नों के मूल्य की सारी रकम जैसलमेर राज्य के दीवान के नाम भारत सरकार के पास जमा थी ।

(ख) भारत सरकार द्वारा कोई धान नहीं दिया गया था ।

(ग) बची हुई रकम जो राजस्थान राज्य को भूतपूर्व जैसलमेर राज्य का उत्तराधिकारी होने के नाते लौटाई गयी थी का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और बाद में सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस रकम का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

रु०

विलय होने से पहले के सौदे :

(१) लौटाई जाने वाली रकम . . . ३०,८१९

(२) वसूली योग्य रकम . . २,९४,७७७

(३) विशुद्ध वसूली योग्य रकम . . . २,६३,९५८

जैसलमेर के व्यापारियों से ।

विलय के बाद के सौदे :

(१) चुकाई जाने वाली रकम . . . ११,७१२

(२) वास्तव में चुकाई गयी रकम . . ८,१०५

जहां तक शेष रकम का सम्बन्ध हैं ये मामले राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) विलय के बाद के सौदों में केवल एक व्यापारी ने सिविल कोर्ट से राज्य सरकार के विरुद्ध डिक्री प्राप्त की है ।

(च) राजस्थान सरकार ने उस डिक्री का भुगतान कर दिया हैं ।

बनखेड़ी (मध्य रेलवे) पर बिलासपुर-इन्दौर ऐक्सप्रस का ठहरनमा

†३५२७. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें यह प्रार्थना की गई है कि बनखेडी (मध्य) रेलवे (मध्य प्रदेश) में बिलासपुर-इन्दौर ऐक्सप्रेस अप और डाउन का ठहरना आरम्भ किया जाये;

(ख) क्या अभ्यावेदनों पर विचार किया जा चुका हें;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) १ अप्रैल, १९६२ से गाड़ी का ठहरना बन्द करने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). १-४-६२ से पहले ३३ डाउन/३४ अप इन्दौर-बिलासपुर ऐक्सप्रेस गाड़ियां भोपाल और कटनी के बीच बहुत हल्की अनुसूची पर चला करती है, जिससे उन के ठीक समय पर चलने में फर्क पड़ता था । इन गाड़ियों के चलने को सुधारने के लिये, कुछ ठहराव बन्द करने पड़े, जिनमें बनखेडी भी शामिल है, जो १ अप्रैल,१९६२ से लागू हुई है । इन ठहरावों को हटाने के परिणामस्वरूप इन गाड़ियों के चलने में सुधार हुआ है, किन्तु अब भी इन गाड़ियों की अनुसूची तंग है ।

इन गाड़ियों के समय को पुनः बदलने की संभाव्यता पर भी विचार किया गया हैं किन्तु इस तथ्य की दृष्टि से, कि ये गाड़ियां बिलासपुर और उज्जैन में मुख्य लाइन के महत्वपूर्ण कनेक्शनों को मिलाती है, ऐसा करना सम्भव नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त बताये गये कारणों की दृष्टि से, इन ठहरावों को पुनः आरम्भ करने के लिये प्राप्त अभ्यावेदनों में की गई प्रार्थना का स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

मुरमखेड़ी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का पुनर्निर्माण

†३५२८. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरमखेड़ी रेलवे स्टेशन (मध्य रलवे, मध्य प्रदेश) का पुनः डिजाइन किये जाने और पुनः बनाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

करक-बेल स्टेशन (मध्य रेलवे) पर रेलवे प्लेटफार्म

†३५२९. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करक (वेल स्टेशन-मध्य रेलवे, मध्य प्रदेश) का प्लेटफार्म बहुत नीचा है ;

(ख) क्या इसको ऊंचा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां, यह बहुत नीचा नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

विक्रमपुर (मध्य प्रदेश) का शाखा डाकखाना

†३५३०. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसा अभ्यावेदन आया है कि शाखा डाकघर विक्रमपुर (मध्य प्रदेश) को बन्द न किया जाए ;

(ख) क्या उस अभ्यावेदन पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) वह डाकखाना अनुक्षेप सीमा से अधिक हानि पर चल रहा था । इसलिये वहां के निवासियों को उक्त हानि को पूरा करने के लिये वापिस न लौटाया जाने वाला अंशदान देने की प्रार्थना की गई थी । चूंकि उन्होंने वह अंशदान नहीं दिया, डाकघर ७ अप्रैल, १९६२ से बन्द करना पड़ा । नरवारा

†मूल अंग्रेजी में

गांव में एक नया डाकघर खोलने का सवाल विचाराधीन है, जो समी पर्वती गांवों के लिये होगा, जिनमें विक्रमपुर भी शामिल है ।

इटारसी के समीप नया रेलवे यार्ड

†३५३१. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी (मध्य प्रदेश, मध्य रेलवे) के समीप एक नया रेलवे यार्ड खोला गया है;

(ख) यह इटारसी रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है ;

(ग) यार्ड में कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(घ) क्या वहां काम करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों और असुविधाओं के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) क्या अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है ; और

(च) यदि हां तो क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग २½ मील ।

(ग) १५०० ।

(घ) से (च) कर्मचारियों ने यह शिकायत की कि एक स्टाफ शटल की व्यवस्था की जाए जो उनको इटारसी स्टेशन से कार्यस्थल पर ले जा सकें । इटारसी स्टेशन से इटारसी के नये यार्ड तक प्रति आठ घंटों में एक शटल गाड़ी आरम्भ की गई है ताकि कर्मचारी इटारसी स्टेशन और अपने कार्य-स्थल के बीच आ जा सकें ।

सोहागपुर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल और माल गोदाम

†३५३२. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोहागपुर रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे, मध्य प्रदेश) में एक ऊपरी पुल और एक माल गोदाम बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं । स्टेशन पर एक माल गोदाम है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

इटारसी स्टेशन के बाहर लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल

†३५३३. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इटारसी स्टेशन (मध्य रेलवे) के ठीक बाहर दो समतल कारणों पर ऊपर के पुल बनाने का विचार करती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) वर्तमान समतल कारणों पर ऊपर/नीचे के पुलों की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की जाती हैं । मोटे तौर पर, रेलवे पुल बनाती है, और स्लोप वाली सड़कें राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी तौर पर होशंगाबाद-इटारसी सड़क के वर्तमान समतल धारण के स्थान पर, इटारसी स्टेशन के उत्तर पूर्व की ओर एक सड़क के ऊपरी पुल की योजना पेश की है । तथापि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे काम की लागत में अपने भाग के लिये धन की व्यवस्था किस वर्ष में कर सकने में समर्थ होंगे । रेलवे काम को करने को तैयार है जब कभी राज्य सरकार लागत के अपने अंश के धन की व्यवस्था कर देगी ।

होसंगाबाद में रेलवे क्वार्टर

†३५३४. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि होशंगाबाद में रेलवे कर्मचारियों के रहने के क्वार्टरों में बिजली नहीं लगाई गई है, हालांकि होशंगाबाद के कई वर्ष पहले से बिजली है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, कल्याण कार्यों की सलाहकार समिति ने होशंगाबाद के कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली लगाये जाने की अभी तक सिफारिश नहीं की ।

लिलुआ रेलवे वर्कशाप (पूर्वी रेलवे) में नियुक्तियां

†*३५३५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष १९५७–५८ में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के अभ्यर्थी होने के झूठे दोष दावे करने वाले बहुत से लोगों को लिलिआ रेलवे वर्कशाप (पूर्वी रेलवे) में श्रमिक भरती किया गया था,

(ख) यदि हां तो उन नियुक्तियों का उत्तरदायी कौन है ; और

(ग) क्या ऐसे कदाचार के लिये उत्तरदायी अफसरों के विरुद्ध तथा उन लोगों के दावों के सत्यापन के लिये कोई जांच की गई थी या करने का विचार है ?

†**रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) जी हां । १६ व्यक्ति (७ अनुसूचित जाति और ९ अनुसूचित आदिम जाति होने का दावा करते हैं) १९५७–५८ में उनके द्वारा, अधिकांश मामलों में विधान सभा के सदस्यों द्वारा जाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करके, स्पष्टत: साक्ष्य देकर नियुक्त किया गया था । किसी सरकारी कर्मचारी ने प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये थे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) जांच करने पर यह पाया गया कि वे अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों नहीं थे । इसलिये उनको नौकरी से निकाल दिया गया ।

बीकानेर डिवीजन के स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था

३५३६. श्री प० ला० बारुपाल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के किन-किन स्टेशनों पर इस साल गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) क्या उन रेलवे स्टेशनों पर (१) पानी ठंडा करने वाली मशीन (२) मिट्टी के बर्तन या (३) अन्य कोई विद्युत् यन्त्र लगाने की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर पृथक्-पृथक् यह व्यवस्था की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) बीकानेर डिवीज़न के सभी स्टेशनों पर इस वर्ष गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(ख) वर्तमान व्यवस्था आमतौर पर पर्याप्त है । लेकिन कुछ स्टेशनों पर फिल्टर किये हुए पानी की सप्लाई को सुधारने और बढ़ाने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस समय बिजली के और जल-शीतक लगाने का कोई विचार नहीं है । आवश्यकता होने पर मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था कर दी जाती है ।

बीकानेर रेलवे स्टेशन का स्थानान्तरण

३५३७. श्री प० ला० बारुपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर स्टेशन का स्थानान्तरण और लालगढ़ जंक्शन से बीकानेर स्टेशन के बीच वर्तमान रेल लाइन को हटाने का प्रश्न जो विचाराधीन था उस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : बीकानेर और लालगढ़ के बीच समपारों के बहुधा मजबूरन बन्द रहने से जनता को जो असुविधा होती है उसे दूर करने के सुझावों पर रेलवे मन्त्रालय और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक में व्यौरेवार विचार किया गया । यह बैठक २१-१२-६२ को बीकानेर में हुई थी । बैठक में अन्त में यह तय हुआ कि बीकानेर और लालगढ़ के बीच मौजूदा समपारों की जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने से ही समस्या का हल होगा । राज्य सरकार इस बात पर सहमत है कि असुविधा को तुरन्त दूर करने के लिए पहले दो समपारों पर ऊपरी सड़क पुल बना दिये जायं---एक बीकानेर स्टेशन के पास और दूसरा अस्पताल रोड पर । इन पुलों के लिये रेलवे सीमा से बाहर जितनी जगह और ज़मीन की ज़रूरत होगी उसे अपने पैसे से खरीद कर देने के लिये राज्य सरकार तैयार है । इस काम में रेलवे जो हिस्सा लेगी उसके लिये १९६२-६३ के निर्माण-कार्यक्रम में धन की व्यवस्था की गयी है । राज्य सरकार से मिलकर काम की योजना और खर्च के अनुमान भी तय किये जा रहे हैं । राजस्थान सरकार से आवश्यक जमीन मिलते ही पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जायेगा ।

इसके अलावा दो समपार हैं और लेकिन वे आगे लालगढ़ की तरफ और शहर से दूर हैं । राज्य सरकार अभी इन समपारों की जगह ऊपरी सड़क पुल बनवाना नहीं चाहती । लेकिन वह म्यूनिसिपल कमेटी के ज़रिये इस बात का इतमीनान कर लेने को राज़ी है कि भविष्य में इन समपारों पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिये पर्याप्त ज़मीन मिल जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण पूर्व रेलवे पर यार्ड के लिये रेलवे भूमि का अधिग्रहण

†३५३८. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन में रेलवे भूमि को खाली करने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं, जो उस सैक्शन के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में रेलवे यार्डों के विस्तार के लिये आवश्यक होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको अन्य रेलवे भूमि पर पुनः बसाया जायगा ; और

(ग) उन के पुनर्वास के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) चेंगैल स्टेशन यार्ड की रि-माडलिंग के सम्बन्ध में, भूमि को खाली कराने के लिए इस स्टेशन पर भूमि के कुछ भागों के लाइसेंस प्राप्त लोगों को नोटिस दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). इस स्टेशन पर लोगों को वैकल्पिक स्थान देने की संभावना पर जिस मात्रा तक भूमि उपलब्ध हो सके, जो भूमि छोड़ेंगे, यथोचित विचार किया जायगा ।

उत्तर और पूर्व रेलवे शाखा लाइन पर क्षेत्र का सर्वक्षण

†३५३९. **श्री बा० बर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे शाखा लाइन पर मैलानी से कौरियालाघाट तक टिकोनिया रेलवे स्टेशन के साथ पड़ी भूमि का परिमाप करने के लिए एक परिमाप दल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य के निमित्त ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उस क्षेत्र के निवासियों में बड़ा कर फैला हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके भ्रम भय को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अंशदायी स्वास्थ्य योजना

†३५४०. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ प्रदान करेगी ;

(ख) यदि हां, तो योजना क्या है ; और

(ग) यह कब लागू होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के लाभ उन सब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दे दिये गये हैं, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनका कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में है और उन क्षेत्रों में रहते हैं जो योजना के अन्तर्गत आते हैं । हां, कार्यपारित कर्मचारियों से, जो नियमित कर्मचारी नहीं हैं, ये लाभ नहीं दिये गये हैं । कार्य-भारित कर्मचारियों को योजना के लाभ उस दिन से मिलते हैं जिस दिन से वे नियमित कर्मचारी बनते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में फल डिब्बा बन्दी केन्द्र

†३५४१. **श्री वीरेन दत्त : क्या खाद्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के अन्तर्गत कोई फल डिब्बाबन्दी केन्द्र खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितने समय से कार्य कर रहा है ; और

(ग) यह केन्द्र लाभ पर चल रहा है या इसमें हानि हो रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां ।

(ख) केन्द्र वर्ष १९५४ से चल रहा है परन्तु इसमें अधिक उत्पादन केवल वर्ष १९५८-५९ से ही आरम्भ हुआ है और तब तक यह प्रयोगात्मक आधार पर ही चल रहा था ।

(ग) लाभ तथा हानि के आंकड़े निम्न हैं :

		रुपये
१९५८–५९ . .	हानि	१,२९६
१९६०–६१ . . .	लाभ	८१२
१९६०–६१ . . .	लाभ*	१,०४८

*वर्ष १९५८-५९ में उत्पादित फलोत्पाद, जो बिके नहीं थे, उनका मूल्य ५,४०७ रु० की हानि को छोड़ कर, जो वर्ष १९६०-६१ में उचित न होने के कारण बट्टे खाते में डाल दिये गये थे ।

दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की बस्तियां

†३५४२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कुष्ठ रोगियों के लिये बस्तियां बनाने की कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी बस्तियां हैं, वे कहां हैं और वहां कितने रोगियों की चिकित्सा हो रही है ;

(ग) वासियों को क्या सुविधायें दी गई हैं ;

(घ) कुष्ठ रोगी माता पिता से बच्चों को अलग रखने का क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(ङ) क्या इन बस्तियों में चिकित्सा कराने के बाद इन रोगियों के पुनर्वास की कोई दीर्घ-कालीन योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां ।

(ख) थैरपुर, शाहदरा में एक बस्ती है जिस में रोगियों की कुल संख्या ४३५ है ।

(ग) भोजन, आवास (छप्पर वाली झोंपड़ियां), वस्त्र, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधायें ।

(घ) कुष्ठ रोगियों के निरोग बच्चों को इस बस्ती से १½ मील दूर 'घर' में रखा जाता है जो 'शिशुगृह, शाहदरा' के नाम से प्रसिद्ध है ।

(ङ) अभी नहीं ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर सरकारी 'नर्सिंग होम' और क्लीनिकों का विनियमन

†३५४३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी 'नर्सिंग होम' और क्लिनिकों को नियमित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि सरकार ने नमूने के कोई नियम बनाये हैं, तो क्या राज्य सरकारों को उन के अनुसार ऐसा विधान बनाने के लिये सहमत किया गया है जिसमें इन 'होम्स' में न्यूनतम स्तर बनाये रखने का उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) क्या उनके कार्य को नियमित करने के लिये वैधानिक नियमों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). विधान बनाने के लिये सभी राज्य सरकारों से सिफारिश किया जाने वाला प्रारूप नमूना विधेयक तैयार हो रहा है । नर्सिंग होम, आदि के लिये निम्न अधिनियम पहिले से ही विद्यमान हैं :—

१. बम्बई नर्सिंग होम पंजीयन अधिनियम, १९४९ ।

२. पश्चिम बंगाल क्लिनिकल संस्थापन अधिनियम, १९५० ।

३. दिल्ली नर्सिंग होम पंजीयन अधिनियम, १९५३ ।

४. मध्य भारत नर्सिंग होम पंजीयन अधिनियम, १९५४ ।

(ग) नहीं ।

भोपाल-छत्तीस गढ़ राष्ट्रीय राजपथ

३५४४. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय राजपथ द्वारा संबंधित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस के लिये क्या प्रावधान किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौ वहन मंत्री (श्री राजबहादुर)**। (क) और (ख). इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ (कलकत्ता—नागपुर—बम्बई मार्ग) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ४३ (रायपुर—विजयनगरम मार्ग) छत्तीसगढ़ क्षेत्र होकर जाते हैं । हाल ही में बैओरा—भोपाल—जबलपुर सड़क भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १२ घोषित की गई है । उपलब्ध धन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १२ का उचित विकास करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । यह सड़क भोपाल को छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मिलायेगी ।

गन्ने के मूल्य का भुगतान न होना

†३५४५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक गन्ना कारखानों ने समय पर उत्पादकों को गन्ने का भुगतान न करने की नीति बना ली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आ० म० थामस)** : (क) और (ख) १४० गन्ना कारखानों से प्राप्त विवरणों से पता लगता है कि १९६१-६२ के मौसम में १५ मई, १९६२ तक उन्होंने जितना गन्ना खरीदा था उस का ८६.५ प्रतिशत मूल्य ३१ मई, १९६२ तक दिया जा चुका था ।

मोटर गाड़ी अधिनियम

†३५४६. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेट टैक्सी यूनियन ने अपनी वार्षिक बैठक में, जो मई, १९६२ के दूसरे सप्ताह में हुई थी, मोटर गाड़ी अधिनियम, में कुछ त्रुटियां बताई थीं और उसके संशोधन की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में उल्लिखित बातों के बारे में सरकार का क्या मत है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). इस बारे में दिल्ली स्टेट टैक्सी यूनियन से कोई पत्र नहीं मिला है । फिर भी, अखबार के एक समाचार में यह देखा गया है कि इस यूनियन ने अपनी सामान्य महासभा में, जो १३ मई, १९६२ को हुई, यह संकल्प स्वीकार किया मोटर गाड़ी अधिनियम के संशोधन तैयार करने के लिए एक उप-समिति बनाई जाये । इस यूनियन या इस की उप-समिति ने अभी तक सरकार को किसी विशेष संशोधन का सुझाव नहीं दिया है ।

मद्रास राज्य में ग्रामीण विद्युतीयकरण योजनायें

†३५४७. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में कार्यान्वित की गईं विद्युतीकरण योजनाओं के लिये मद्रास राज्य को ३ करोड़ रु० का ऋण स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सहायता उस सहायता के अतिरिक्त है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिये राज्य सरकार को दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हाँ ।

(ख) नहीं ।

राजस्थान के लिये नई रेलवे लाइनें

†३५४८. **श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनें बनाने के लिये क्या सुझाव दिये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये सुझाव कहाँ तक स्वीकार किये गये हैं;

(ग) इन में से कौन कौन से सुझाव अभी विचाराधीन हैं; और

(घ) इन में से कौन कौन सुझाव अस्वीकार कर दिये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)**:(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । (परिशिष्टक) **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७५]** :

(ख) पहली योजना में आरम्भ की गई निम्न दो लाइनें दूसरी योजना में पूरी की गई :--

१. फतहपुर--चूरू (२७ मील) :

२. रानीवाड़ा-मोलडी (४४ मोल)

इन के अतिरिक्त, उदयपुर, हिम्मतनगर और हिन्दूमलकोट-श्री गंगानगर लाइनें, जो पूरी तरह या आंशिक रूप में राजस्थान में हैं, रेलवे के तोसरो पंचवर्षीय योजना के प्रोग्राम में शामिल कर दी गई हैं ।

(ग) और (घ). तीसरी योजना के लिये रेलवे प्रोग्राम में और कोई ऐसा प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है जिस की सिफारिश राजस्थान सरकार ने की है । फिर भी, खेतरी की ताँबा खानों को चिरवा या दबला या विघमान अन्य किसी अनूपयूक्त स्टेशन से मिलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यह लाइन लाज्य सरकार की सिफारिशों में शामिल नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में यंत्रीकृत कार्य

†**३५४९. श्री पें० वकटा सुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में सूरतगढ़ फार्म के आधार पर एक यंत्रीकृत फार्म खोलने का है,

(ख) क्या दामले समिति ने आन्ध्र प्रदेश में एक ऐसा फार्म खोलने की सिफारिश की है;

(ग) क्या तुंगभद्रा निम्न तल नहर से लगे मेम्मीगनुर के पास वाली जमीन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का क्या निर्णय है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (घ). यत्रीकृत फार्म खोलने के लिए आन्ध्र सरकार ने तुंगभद्रा की निचली तलहटी में दो स्थानों का सुझाव दिया था। ये आज कल दामले समिति के विचाराधीन हैं और यह निश्चय कि क्या यंत्रीकृत फार्म इन में से किसी स्थान पर बनाया जाये, सिमिति की सिफारिशें प्राप्त होने तथा सरकार द्वारा उन पर विचार किये जाने के बाद किया जायेगा ।

विश्व विद्यालयों में सहकार के विशेष विभाग

†**३५५०. श्री द० ब० राजू** : क्या **सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पचवर्षीय योजना में सहकार के महत्व का ध्यान रख कर, प्रत्येक विश्वविद्यालय में विशेष सहकार विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो कितने विश्वविद्यालयों ने ये विभाग खोले हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क). अभी भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) आन्ध्र विश्वविद्यालय ने सहकार के लिये एक पृथक विभाग खोला है। लगभग २० अन्य विश्वविद्यालयों में अन्य संबंधित विषयों के साथ सहकार पढ़ाने के लिये प्रोफैसर और लैक्चरर हैं।

केरल में काजू के पेड़

†३५५१. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि केरल में जमींदार लोग बड़ी मात्रा में काजु के पेड़ काट रहे हैं।

(ख) क्या बड़ी संख्या में काजु के पेड़ों को काटने का प्रभाव राज्य के काजु उद्योग पर और विदेशों को वाले निर्यात पर पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने केरल में काजु-कृषि को विनाश से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) समाचार मिला है कि केरल में कुछ जमींदार लोग रबड़ जैसी अधिक लाभप्रद फसलें उगाने के लिये काजु के पेड़ काट रहे हैं।

(ख) और (ग). राज्य में काजु के पेड़ों का बड़े पैमाने पर विनाश नहीं हो रहा है।

सुधरे कृषि औजारों सम्बन्धी सम्मेलन

†३५५२. **श्री मे० का० कुमारन** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष १९६० में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के तत्वाधान में सुधरे कृषि औजारों संबधी द्वितीय सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : अक्तूबर, १९६० में हुए सुधरे कृषि औजारों संबधी द्वितीय सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों, संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार संबंधित अन्य पचायतों को लागु करने के लिये भेज दी गयी थीं। क्या कार्यवाही की गई, इस बारे में अनेक राज्य सरकारों से सूचना नहीं मिली है। सिफारिशों को लागु करने में हुई प्रगति बताने वाला एक नोट यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

शिलांग में ब्रह्मपुत्र का पुल

†३५५३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलाँग में ब्रह्मपुत्र के पुल का निर्माण कुछ महीनों में पूरा होने की उम्मीद है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस के पूरा होने से छोटी लाइन व्यवस्था का आसाम के कोयला क्षेत्रों से सीधा सम्पर्क हो जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को मेरठ और बागपत तक बढ़ाने और इसे छोटी लाइन से मिलाने का है ताकि असम कोयला क्षेत्रों से दिल्ली और मेरठ को छोटी लाइन से सीधा कोयला आ सके।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हाँ, लेकिन पुल शिलाँग में नहीं अपितु अमीनगाँव और पाण्डू के बीच में है।

(ख) पुल के पूरा होने से ब्रह्मपुत्र नदी को दोनों किनारों पर विद्यमान छोटी लाइनों में सीधा सम्पर्क हो जायेगा ? असम के कोयला क्षेत्रों में पहिले से ही रेल सुविधायें हैं।

(ग) नहीं। सचाई तो यह है कि इतना कोयला ही नहीं है जो असम से बाहर भेजा जाये।

सीसल के पौदे लगाना

†३५५४. **श्री डेविडमुन्जामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़िसा, पश्चिमी बंगाल और कितने उपक्रम काम कर रहे हैं ;

(ख) उड़ीसा के लोगों के बागों में निरन्तर श्रम समस्या तो नहीं है। और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत

३५५५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव में गूप्त मतपत्र प्रयोग की माँग की गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है;

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) गाँव पंचायतों के चूनावों में हाथ उठा कर मत देने कीं वर्तमान चुनाव प्रणाली के स्थान पर गूप्त मतपत्र का प्रचलन करने का प्रश्न इस समय हिमाचल प्रदेश प्रशासन के विचाराधीन है।

कपास का उत्पादन

†३५५६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली फसल में कपास का कुल कितने एकड़ भुमि में उगाई गई और कुल पैदावार कितनी हुई ?

†**खाद्य** तथा **कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : पिछली फसल (१९६०–६१) में कपास की खेती का कुल क्षेत्रफल १८९.७ लाख एकड़ था कुल उत्पादन ५३९.४ लाख गाँठ हुआ। चालु वर्ष १९६१–६२ में क्षेत्रफल तथा उत्पादन के प्राक्लकन अभी सारे राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं आशा है कि पैदावार लगभग ४४.६ लाख गाँठें होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज पथ

३५५७. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनने वाले राष्ट्रीय राजपथों तथा उन पर बनाये जाने वाले पुलों की सूची उत्तर प्रदेशीय सरकार ने प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इस बजट वर्ष में कौन-कौन सी सड़कें और पुल बनाये जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों में छूटे हुए टुकड़ों के निर्माण तथा १०० मील लम्बी नयी सड़क के निर्माण के लिए जिनको वह राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था में शामिल करना चाहती थी, १५० लाख रुपयों की मांग की थी। इस सरकार ने प्रस्तावित राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए ५०० लाख रुपये भी मांगे थे। धनाभाव के कारण उनकी यह मांग पूरी न की जा सकी।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्यौरे नहीं भेजे गये।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में नलकूपों का निर्माण

३५५८. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में नलकूपों का निर्माण करने के लिए अमरीका से रकम प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रकम से उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में नलकूप लगाये जायेंगे ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में नलकूपों के निर्माण के लिये विदेशी फर्मों को ठेके दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम जो इस समय नलकूपों के निर्माण में लगी हुई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश में ८०० नलकूप लगाने के लिये ६० लाख डालर का एक विकास ऋण दिया गया है।

(ख) सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, खेरी, रामपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, गोन्डा, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया।

(ग) जी नहीं। कार्य विभागीय तौर पर किया जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन

†३५५९. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली के निवासियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि वहां और सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) बस्ती में कब तक सार्वजनिक टेलीफोन लगेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) हां। चार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग). एक सार्वजनिक टेलीफोन पहले से ही है । अधिक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाकघर कार्यालय

३५६०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१-६२ में उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, अलमोड़ा, नैनीताल, चमोली, गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी-गढ़वाल और देहरादून में से प्रत्येक के किन-किन स्थानों पर नये शाखा-डाकघर, विभागीय उप-डाकघर, तारघर, सार्वजनिक टेलीफोन-घर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये ;

(ख) उपरोक्त जिलों में इस वर्ष किन-किन शाखा डाकघरों में सेविंग बैंक के खाते खोले गये ;

(ग) उपरोक्त आठों जिलों में से प्रत्येक में डाक-तार विभाग के कार्यालय भवनों और कर्मचारियों के निवास-गृहों के निर्माण में इस वर्ष क्या प्रगति हुई ; और

(घ) उपरोक्त जिलों में से प्रत्येक में किस प्रकार का कार्यक्रम सन् १९६२-६३ के लिये निश्चित किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० २२१/६२]**

कालीकट में ऊपरी पुल

†३५६१. **श्री को ा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर कालीकट में ऊपरी पुल इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) ऊपरी पुल का निर्माण समाप्त करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) निर्माण में किसी भी स्तर पर अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। केवल २-१०-१९६० को मिलाने वाली सड़कों का आर्य सड़क प्राधिकार ने आरम्भ किया था । रेलवे ने मुख्य पुल का

†मूल अंग्रेजी में

कार्य अप्रैल, १९६१ में आरम्भ किया था। आशा है कि समूचा कार्य २०-६-१९६२ तक पूरा हो जायेगा।

दन्त चिकित्सा कालेज

†३५६२. श्री द० जी० नायक :
श्री छोटू भाई पटेल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में कितने दन्त चिकित्सा कालेज खोले गये हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये हर राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नये कालेज खोलने और वर्तमान कालेजो का विस्तार करने के लिये राज्य सरकारों से क्या प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित दन्त चिकित्सा कालेज खोले गये हैं। जिन राज्यों में वे खोले गये हैं, उनके नाम सामने दिये हुए हैं।

(१) त्रिवेन्द्रम के मेडिकल कालेज में दन्त चकित्सा विभाग	केरल
(२) हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कालेज में दन्त चिकित्सा विभाग	आन्ध्र प्रदेश
(३) दन्त चिकित्सा कालेज, बंगलौर	मैसूर
(४) दन्त चकित्सा कालेज, पटना	बिहार

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में दन्त चिकित्सा कालेजों की स्थापना का काम केन्द्र द्वारा चालू की गयी योजना" के रूप में सम्मिलित किया गया था और इस योजना के लिये केन्द्रीय सहायता की रूपरेखा इस प्रकार थी :

अनावर्तक ५०,००० रु०

प्रत्येक भरती पर (केन्द्रीय सहायता अधिकतम के ७५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।)

आवर्तक ८,००० रु०

प्रत्येक भरती पर (केन्द्रीय सहायता इस राशि का ५० प्रतिशत होगी)।

वित्तीय वर्ष १९५८-५९ से जिस पुनरीक्षित प्रक्रिया का अनुसरण हो रहा है, उसके अनुसार राज्यों का केन्द्रीय सहायता देने के लिये राशियों का श्रेणियों या समूहों के लिये हर वित्तीय वर्ष के अन्त में धन दिया जाता है। किसी वित्तीय वर्ष के लिये नियत कुल राशि का ३।४ भाग उस वर्ष में ९ बराबर की किस्तों में मार्गोपाय अग्रिम के रूप में एकमुश्त दे

†मूल अंग्रेजी में

दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हर योजना के लिये प्रत्येक राज्य क कितनी वित्तीय सहायता दी गयी, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तीसरी योजना के दौरान निम्नलिखित दन्त चिकित्सा कालेज खोलने उनका विस्तार करने का विचार है :—

राज्य का नाम	तीसरी योजना में खोले जाने वाले उनका विस्तार किये जाने वाले दन्त चिकित्सा कालेज	प्रस्तावित स्थान
१	२	३
१. आन्ध्र प्रदेश	दन्तचिकित्सा विभाग	हैदराबाद
२. बिहार	(i) एक	पता नहीं
	(ii) दन्तचिकित्सा कालेज का विस्तार	पटना
३. गुजरात	दन्तचिकित्सा विभाग	पता नहीं
४. केरल	दन्तचकित्सा कालेज का सुधार और विस्तार	त्रिवेन्द्रम
५. मध्य प्रदेश	एक	इन्दौर
६. महाराष्ट्र	एक	नागपुर
७. मैसूर	दन्तचिकित्सा कालेज का सुधार	बंगलौर
८. पंजाब	दन्त चिकित्सा कालेज का सुधार और विस्तार	(i) अमृतसर (ii) पटियाला
९. उत्तर देश	दन्तचिकिन्त्सा कालेज का विस्तार	लखनऊ
१०. पश्चिमी बंगाल	दन्तचिकित्सा कालेज का सुधार	कलकत्ता

इन्दौर से दोहद तक रेलवे लाइन

†३५६३. **श्री दाजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर (मध्य प्रदेश) से दोहद (पश्चिम रेलवे) तक रेलवे लाइन बिछाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाइन धार से हो कर गुजरेगी ?

†**रेलव मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुख्य डाकघर की इमारत बरहामपुर

†३५६४. **श्री मोहन नायक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के बरहामपुर में मुख्य डाकघर की इमारत के निर्माण का काम काफी समय से निलम्बित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किराये पर ली गई इमारत का प्रतिमास कितना किराया दिया जा रहा है ; और

(घ) इमारत का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) कई कारणों से इमारत का नक्शा कई बार बदलना पड़ा, अतः काम आगे नहीं बढ़ पाया ।

(ग) ५०० रु० ।

(घ) प्रारम्भिक प्राक्कलनों, नक्शे, विस्तृत प्राक्कलनों और विस्तृत नक्शा तैयार हो जाने के बाद और टेण्डर आदि मंजूर हो जाने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ।

सामुदायिक परियोजनाओं के लिये आवंटन

†३५६५. **श्रीमती सरोजनी महिषी** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजनाओं के लिए किये गये आवण्टन में से किस अनुपात से धन तीसरी योजना में इमारतों पर खर्च किया गया; तथा

(ख) क्या ऐसा भी कोई अनुदान है, जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया है । यदि ऐसा है, तो क्या कारण है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ख). प्रथम स्तर के ब्लाकों के लिए योजना के आय व्ययक में इमारतों के लिए (जिसमें ब्लाक अधिकारी, चिकित्सालय, स्कूल तथा मकान सम्मिलित हैं) कुल ५ वर्ष में १२ लाख रु० में से १.८० लाख रु० का उपबन्ध है । दूसरे स्तर के ब्लाकों के लिए कुल ५ लाख रु० में से ३०,००० रु० का उपबन्ध है ।

इमारतों पर वास्तव में हुए खर्च के आंकड़े मंत्रालय में अलग से नहीं रखे जाते ।

कोटा में अतिरिक्त माल डिब्बो की मांग

३५६६. **श्री बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा रेलवे स्टेशन पर कोटा शहर वालों को माल लादने के लिये कितने माल-डिब्बे दिये जाते हैं;

(ख) क्या दिये जाने वाले माल-डिब्बे काफी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो और कितने माल-डिब्बे बढ़ाने की सम्भावना है और वे कब से मिलने लग जायेंगे;

(घ) क्या वहां कोटा सिस्टम कर दिया गया है जिससे व्यापारियों को टाइम पर माल-डिब्बे नहीं मिलते; और

(ङ) यदि हां, तो उसको हटाने के बारे में क्या सोचा गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). माल-डिब्बों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी कि उच्चतर प्रथमता वाले यातायात को पहले भेजना है, कोटा जंक्शन पर माल यातायात के लदान को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। जनवरी १९६२ से मई १९६२ तक की अवधि में बड़ी लाइन के १७२९ माल डिब्बे कोटा जंक्शन पर लादे गये जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में बड़ी लाइन के १५०१ माल डिब्बे लादे गये थे। यह सप्लाई काफ़ी समझी जाती है क्योंकि ३१-५-६२ को कुल १४९ डिब्बों की मांग बाकी थी।

(घ) और (ङ). जी नहीं। लेकिन कोटा जंक्शन पर ई० क्लास के यातायात के लिए अधिक से अधिक २०० माल डिब्बों की मांग रजिस्टर की जा सकती है। पश्चिम रेलवे और दूसरी रेलों के अन्य स्टेशनों पर भी यही कार्यविधि चालू है। स्टेशन की लदान-क्षमता और उसकी जरूरतों को ध्यान में रख कर यह सीमा निर्धारित की जाती है। ३१-५-६२ को कोटा जंक्शन पर १४९ डिब्बों की मांग पूरी होने को बाकी थी जो इस स्टेशन के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से बहुत कम है।

नई दिल्ली, पंचकुइयां रोड पर दुकानों के किराये

†३५६७. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) नई दिल्ली, पंचकुइयां रोड पर दूकानों का किराया निर्धारित करने का क्या आधार है;

(ख) क्या १९५१ के बाद वहां की झोंपड़ियों में आग लगने की घटनायें हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या आग-दुर्घटना के सब पीड़ितों को उसके बदले में स्थान तथा सहायता दी जा चुकी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पंचकुइयां रोड की 'पूर्वनिर्मित' दुकानों का किराया पहले किराया नियंत्रक ने २० रु० ५० नये पैसे प्रति मास नियत किया था परन्तु बाद में इन दुकानदारों तथा नई दिल्ली नगरपालिका दोनों का सहमति से किराया भूतलक्षी प्रभाव से घटा कर १२ रु० ५० नये पैसे कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र की जली दूकानों में १८ में से केवल ८ दुकानों के मालिकों ने उसके बदले में दूकानें मांगी थीं और उन्हें पुराना हिसाब चुकता करने के बाद दुकानें आवण्टित कर दी गईं।

दामोदर घाटी निगम

†३५६८. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री प्रभात कार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि बिजली एक राज्य-विषय है, अतः दामोदर घाटी निगम बनते समय इस निगम में भाग लेने वालों के बीच क्या समझौता हुआ था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अब स्थिति बदल गई है;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने तीसरी योजना के दौरान दामोदर घाटी निगम की बिजली संभरण गतिविधि से अपने को अलग कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दामोदर घाटी निगम और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों के बीच बिजली उत्पादन गतिविधियों के बारे में कोई सीमा रेखा है;

(च) यदि हां, तो दोहरापन तथा गलतफहमी से बचने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(छ) दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पादन योजनाओं को मंजूर करने में सामान्यतया किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) यह जानकारी दामोदर घाटी निगम अधिनियम १९४८ की धारा १८, १९, २०, ३५ और ३७ में दी हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) पश्चिमी बंगाल की सरकार दामोदर घाटी निगम की तीसरी योजना की बिजली उत्पादन योजनाओं में सम्मिलित होने के लिए सहमत नहीं हुई है ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि चूंकि तीसरी योजना में बिजली उत्पादन का एक बड़ा कार्यक्रम उसके पास है, अतः दामोदर घाटी की बिजली उत्पादन योजनाओं में भाग ले पाना उसके लिए सम्भव नहीं है ।

(ङ) जी हां ।

(च) कोई दोहरापन नहीं है । बिहार और पश्चिमी बंगाल के राज्य विद्युत् बोर्ड दामोदर घाटी निगम की गतिविधियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय कर लेते हैं ।

(छ) संभावित भार के आधार पर दामोदर घाटी निगम की प्रस्थापनायें तैयार होती हैं ; उन पर भाग लेने वाली राज्य सरकारें विचार करती हैं और उनका अनुमोदन करती हैं । प्रविधिक और वित्तीय छानबीन के बाद भारत सरकार योजनाओं को कार्यान्वित के लिये मंजूर करती है ।

पालीकलां और डुडवा जंकशन के बीच पुल पर 'काशन सिगनल'

†३५६९. **श्री बा० वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में उत्तर-पूर्व रेलवे पर पालीकलां और डुडवा जंकशन के बीच सुहेली नदी के पुल पर घने कुहरे में "पुल की मरम्मत हो रही है" आशय का एक 'काँशन सिगनल' लगाया गया था;

(ख) क्या तभी से अप और डाउन गाड़ियां वहां रुकती हैं;

(ग) यदि हां, तो पुल की मरम्मत का काम पूरा क्यों नहीं कराया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अब तक इस सिगनल के रखरखाव पर कितना धन बरबाद हुआ है;

(ङ) इस बरबादी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है; और

(च) इस पुल की मरम्मत या इसके नवीकरण का काम कब तक हो जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां, इस पुल पर १९५६–५७ में नहीं बल्कि १९५७–५८ में 'कॉशन सिगनल' लगाया गया था। चूंकि पुल के खम्भों के नीचे के हिस्से में दरारें दिखाई पड़ी थीं, अतः यात्रा करने वाली जनता की सुरक्षा के लिये इस पुल पर से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार सीमित कर दी गयी थी।

(ग) नीचे की मरम्मत करने के बाद पुश्तों में कुछ कमज़ोरी दिखाई पड़ी। अतः सुरक्षा के लिये अस्थायी रूप से उन में थाम लगा कर उन्हें संभाल दिया गया। प्रभावित हिस्से को फिर से बनाने की योजना बनाई गयी जिसके लिये वैकल्पिक लाइन बनाना जरूरी था परन्तु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वैकल्पिक लाइन नहीं बिछाई जा सकी। अतः प्रभावित पुश्तों को मरम्मत के लिये एक अन्य योजना बनानी पड़ी।

(घ) चूंकि गाड़ियों की सुरक्षा के लिये गाड़ियों की रफ्तार सीमित करना परम आवश्यक है, अतः सिगनल पर खर्च होने वाले धन को अपव्यय नहीं कहा जा सकता।

(ङ) और (च). काम आरम्भ करने के लिए आरम्भिक तैयारियां पूरी हो गई हैं और वर्ष के बाद काम आरम्भ हो जायेगा और मार्च १९६३ में पूरा हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश में गोला गोकरन नाथ रेलवे स्टेशन

†३५७०. **श्री बा० वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में गोला गोकरन नाथ एक तीर्थ स्थान तथा पर्यटन केन्द्र है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि चैत के महाने में वहां होने वाले चैती मेले में गोला गोकरन नाथ रेलवे स्टेशन का इंजीनियरिंग सेक्शन गत दो वर्षों से स्टेशन पर जल का संभरण बन्द कर देता है, जिससे जनता को बड़ी असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में तीर्थ यात्रियों को असुविधा न होने देने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं। चूंकि पानी प्राप्त करने का वर्तमान साधन अपर्याप्त है, अतः पानी का संभरण कुछ सीमित घण्टों तक ही होता है। पानी का संभरण बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य

३५७२. श्री भक्त दर्शन : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के तमाम राज्यों में स्वास्थ्य का सर्वोत्तम रिकार्ड महाराष्ट्र राज्य का है ;

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र के मुकाबले भारत के अन्य राज्यों की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). विभिन्न राज्यों में जन्मदर, मृत्युदर, बालमृत्युदर आदि के बारे में १९६० से आगे के पूर्ण स्वास्थ्य रिकार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनके अनुसार यह कहा जा सके कि भारत में स्वास्थ्य का सर्वोत्तम रिकार्ड महाराष्ट्र राज्य का है।

त्रिपुरा में गोमती नदी पर पुल

†**३५७३. श्री बीरेन दत्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में गोमती नदी पर पुलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो पुलों का निर्माण कब शुरू होने की आशा है ; और

(ग) पुलों की अनुमानित लागत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). अगरतला-उदयपुर-सबरूम सड़क के ३२ मील पर गोमती नदी पर एक पुल बनाने की मंजूरी अक्टूबर, १९६१ में दी गयी थी जिसकी अनुमानित लागत १४,६५,९०० रु० थी। इसके लिए टैण्डर आ चुके हैं और उनकी छानबीन की जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में काम आरम्भ हो जाने की आशा है। उदयपुर–मेलागढ़-कांकराबन सड़क पर गोमती पर १२.०० लाख रु० की अनुमानित लागत का एक अन्य पुल बनाने की योजना त्रिपुरा की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गयी है। यह काम तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में शुरू करने का विचार है।

त्रिपुरा में हड़ताल

†**३५७४. श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अधिभार और लगान की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के विरुद्ध हड़तालें हुई हैं ;

(ख) इन हड़तालों में कितने लोग सम्मिलित हैं ; और

(ग) इन हड़तालों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में खास भूमि

†३५७५. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन मे हाल में हुये सर्वेक्षण में जो खास भूमि मिली है, उसका क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) त्रिपुरा में चालू राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा लागू करने से जो भूमि मिली है, उसका क्षेत्रफल कितना है ; और

(ग) आदिवासियों तथा भूमिहीन व्यक्तियों को यह भूमि किस आधार पर वितरित की जायगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) ९०३१·९३ एकड़।

(ख) चूंकि भूतपूर्व मध्यवर्तियों से प्राप्त हुये विवरणों की जांच व छानबीन हो रही है, अतः अभी इस सम्बन्ध में जानकारी दे सकना सम्भव नहीं है ।

(ग) तारीख १० अप्रैल, १९६२ के त्रिपुरा गजट असाधारण में प्रकाशित आवण्टन नियमावली के उपबन्धों के अधीन वितरण किया जायगा ।

अगरतला में हावड़ा नदी पर पुल

†३५७६. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में हावड़ा नदी पर पुल के निर्माण का काम आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो काम कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौ वहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां, काम जनवरी, १९६१ में शुरू हो गया हैं ।

(ख) अगस्त, १९६३ तक ।

कानपुर-झांसी बांच लाइन के स्टेशनों पर शेड लगाना

३५७७. **श्री रामसेवक**: : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलव बांच लाइन झांसी-कानपुर के किसी भी स्टेशन पर शेड डालने की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस लाइन के उरई, काल्पी, पुखराईगांव स्टेशनों पर शेड डालने की मांग कई वर्ष पहले से की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर कब तक शैड डलवाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) उरई स्टेशन पर तो शेड मौजूद है। काल्पी पर शैड डालने के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन मिला था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन स्टेशनों पर शेड डालने का काम एक कार्यक्रम के अनुसार किया जायगा जो इस बात पर निर्भर है कि ऐसे कार्यों के लिए कितना धन उपलब्ध है ।

सेवा निवृत्ति[1] की आयु के बाद सेवा अवधि बढ़ाया जाना

†३५७८. **श्री अजेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५५ वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के बाद सेवा अवधि के बढ़ाने की अनुमति देने के लिये क्या नियम हैं ;

(ख) १९६१ और १९६२ में अभी तक क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग) में किसी कर्मचारी की सेवा की अवधि वार्धक्य आयु के बाद बढ़ाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को और किन परिस्थितियों में उनकी सेवा की अवधि बढ़ाई गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जिन सरकारी कर्मचारियों को सामान्यतया ५५ वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त होना होता है, लोक सेवा के हित में उनकी सेवा अवधि बढ़ा दी जाती है ।

(ख) और (ग). जी हां, १९६१ में एक अधिकारी की सेवा की अवधि बढ़ाई गई और चालू वर्ष में अभी तक दो पदाधिकारियों की सेवा की अवधि बढ़ाई गई है । सभी मामलों में सरकारी हित के लिए ऐसा किया गया ।

हिमाचल प्रदेश में योन रोग तथा कुष्ठ रोग

†३५७९. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में यौन रोग और कुष्ठ रोग बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय ऐसे कितने रोगियों की चिकित्सा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में की जा रही है ;

(घ) क्या इन रोगों की रोकथाम के लिये सरकार ठोस निवारक उपाय कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं, सच तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में यौन रोग घट रहे हैं । सेरो-पाजीटिवटी १९५२ में ३७ प्रतिशत से घट कर १९६१ में १५ प्रतिशत रह गयी है । जहां तक कुष्ठ रोग का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण हो रहा है और इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि वहां कुष्ठ रोग बढ़ रहा है या नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां । १९४९ में हिमाचल प्रदेश में यौन रोग नियन्त्रण का गहन कार्यक्रम चालू किया गया था । इस कार्यक्रम को अब सब प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में भी चालू किया जा रहा है । राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन ४ कुष्ठ सहायक एकक खोले जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Superannuation Age

परिवहन के लिये हिमाचल प्रदेश म सलाहकार समिति

†३५८०. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करमे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन के लिये हिमाचल प्रदेश की सलाहकार समिति १९५४ की सिफारिशों को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (ख) . एक विवरण साथ में संलग्न है। [देखिए परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७६] ।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन का प्रशासकीय स्वरूप

†३२७२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र में परिवहन के प्रशासकीय स्वरूप के सम्बन्ध में परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश को हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) . अनुमान है कि माननीय सदस्य का इशारा उस सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति (जिसे मसानी समिति कहा जाता है) की ओर है जिसने सिफारिश की है कि संघ राज्य क्षेत्र के सचिवालय में सड़क तथा सड़क परिवहन एक ही अधिकारी के अधीन होना चाहिये और संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकार का सचिव उस विभाग का अध्यक्ष ही होना चाहिये और राज्यों के लिये सुझाये गये परिवहन आयुक्त के कृत्यों का सम्पादन करे। उपरोक्त सिफारिश को, जिसका अनुमोदन परिवहन विकास परिषद् ने मार्च १९६० में किया था, हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने स्वीकार नहीं किया है। उसका विचार है कि सड़क पार्श्व तथा सड़क परिवहन पार्श्व के बीच लेफ्टीनेंट गवर्नर के माध्यम से समन्वय होता है और इस व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त चूंकि हिमालय प्रदेश में सड़क परिवहन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, अतः सड़क परिवहन प्राधिकार के लिये एक पूरे समय का सचिव नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं हैं। परन्तु मोटर गाड़ियों पर एक ही कर लगाने के प्रस्ताव तथा इस कर को वसूल करने का काम एक ही अभिकरण को अर्थात् हिमाचल प्रदेश प्रशासन के परिवहन विभाग को सौंपने के प्रस्ताव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में पूरे समय के लिये एक सचिव नियुक्त करने का प्रश्न प्रशासन के सामने विचाराधीन है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी सुधार के लिये योजना

†३५८१. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टे काट्टु :
श्री वारियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार के कार्यक्रम के अधीन १९६१-६२ में किन राज्यों को सहायता दी गयी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केरल और पश्चिमी बंगाल को सहायता न देने का क्या कोई विशेष कारण था ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जिन राज्यों को सहायता दी गयी है, उनकी तुलना में केरल और पश्चिमी बंगाल सिंचाई सुविधाओं की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्ष १९६१–६२ में अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार कार्यक्रम में भाग लेने वाले निम्नलिखित राज्यों को सहायता दी गयी :

(१) आन्ध्र प्रदेश
(२) आसाम
(३) गुजरात
(४) मध्य प्रदेश
(५) मद्रास
(६) महाराष्ट्र
(७) मैसूर
(८) राजस्थान
(९) पश्चिमी बंगाल
(१०) बिहार

(ख) और (ग). १९५८-५९ से केवल उन्हीं राज्यों को सहायता दी गई जो अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये स्थायी सुधार के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जो भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई राशि पर पहले पाच वर्ष तक ब्याज का भार उठाने के लिये तैयार थे। पश्चिमी बंगाल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया अतः उस सहायता दी गई ; केरल ने इस कार्य में भाग नहीं लिया अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए स्थायी सुधार का कार्यक्रम तीसरी योजना में चालू नहीं किया गया है।

पंचायतों को सहायता

†३५८२. **श्री रेड्डियार** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक पंचायतों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण पंचायतें तथा स्थानीय जनता गांव की सड़कों के निर्माण तथा पीने के पानी की व्यवस्था के लिये बराबर का अनुदान नहीं दे सकतीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी पंचायतों को सहायता देने का कोई उपाय निकालेगी ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायत संघ परिषद्

†३५८३. **श्री रेड्डियार** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पंचायत संघ परिषदों के लिये जितने वित्त का उपबन्ध किया गया हैं, वह उससे अपेक्षित कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिये पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन के लिये वित्त बढ़ाना चाहती हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली नागपुर रात्रि विमान सेवा

†३५८४ **श्री नी० श्रीकान्तन् नायर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि १० मई को दिल्ली से नागपुर जाने वाले रात्रि विमान सेवा के विमान को नागपुर में उतरे बिना दिल्ली वापस लौटना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ;

(ग) उस विमान में कितने विदेशी पर्यटक थे ; और

(घ) यात्रियों को पहुंचाने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख) जी हां, मौसम खराब होने के कारण विमान उतर नहीं पाया ।

(ग) इस विमान में बम्बई जाने वाले २ विदेशी पर्यटक, मद्रास जाने वाले ३ विदेशी पर्यटक और नागपुर जाने वाले ५ विदेशी पर्यटक थे ।

(घ) ११ मई, १९६२ की सुबह सवेरे बम्बई और मद्रास जाने वाले वाईकाउंट विमानों से इन विदेशी पर्यटकों को जगह दी गई । नागपुर जाने वालों को ११ मई की सुबह ६ बजे विशेष रात्रि एअरमेल विमान द्वारा भेजा गया । दिल्ली वापस आने पर सभी यात्रियों को उन के निवास स्थान तक निःशुल्क पहुंचाया गया । जो अपने निवास स्थान पर नहीं जाना चाहते थे उन्हें हवाई अड्डे पर जलपान कराया गया तथा उन के जाने के समय तक उन्हें अन्य सुविधायें भी प्रदान की गईं ।

अंगूर की शराब का निर्माण

†३५८५. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के आसपास पैदा होने वाले अंगूर से शराब तैयार करने का कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की शराब तैयार की जायेगी और कौन तैयार करेगी ; और

(ग) यह योजना कब कार्यान्वित होगी

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). बंगलौर के पास पैदा होने वाले अंगूर से बड़े पैमाने पर शराब बनाने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। परन्तु मैसूर राज्य सरकार ने शायद मेसर्स माइकान फ्रूट प्रौडक्ट्स कम्पनी, बंगलौर को योगात्मक आधार पर अंगूर से शराब बनाने का लाइसेंस दिया है। ख्याल है कि वहां की सरकार के पास लाइसेंस के लिये ३० या ४० आवेदन पत्र और भी हैं जो बंगलौर के आस पास पैदा होने वाले नीले अंगूर से छोटे पैमाने पर शराब बनाना चाहते हैं।

ट्रंक कॉल

†३५८६. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस ओर गया है कि कलकत्ता से पश्चिमी दीनाजपुर के बालूघाट और रायगंज स्थानों में तथा बालघाट और रायगंज से कलकत्ता में ट्रंक कनेक्शन मिलने में बहुत विलम्ब होता है ;

(ख) क्या इन कॉलों को मालदा और कटिहार हो कर एक लम्बे रास्ते से हो कर गुजरना होता हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कटिहार लाइन प्रायः बन्द रहती है और ऐसे ट्रंक कॉलों के न पहुंचने के लिये यही कारण बताया जाता हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ता और बालवाट तथा रायगंज के बीच ट्रंक कॉल कटिहार और मालदा हो कर जाते हैं। यह मार्ग बिल्कुल सीधा है और लम्बा नहीं है।

(ग) जी हां। कलकत्ता-कटिहार लाइन पिछले दो-तीन महीने में प्रायः कई कारणों से खराब रही हैं। मुख्य कारण यह है कि बरौनी तेल शोधन शाला तथा रेलवे के निर्माण दलों के कारण इस लाइन को प्रायः क्षति पहुंचती रही हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के आदरा जंक्शन पर चोरी

†३५८७. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१-६२ में दक्षिण-पूर्व रेलवे के आदरा जंक्शन से तीन सौ टन रेलवे लाइन, जिसका कीमत एक लाख रुपये है, चोरी गई है ;

(ख) क्या इस में कुछ रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सामान खुले में पड़ा था ;

(घ) क्या चोरी गये माल में से कुछ भाग मिल गया है ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार रेलवे सामान की चोरी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग ९०,००० रु० लागत की लगभग ३०० टन उखाड़ी गई रेलवे लाइन लगभग ९ महीने की अवधि में चोरी गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्य लोगों के साथ पांच रेलवे कर्मचारियों पर भी इस मामले में शामिल होने का सन्देह है।

(ग) भारी प्रकार का उखाड़ा गया सामान सामान्यतया जैसे रखा जाता है, उसी के अनुसार ये लाइनें भी लाइन के किनारे जमा कर दी गई थीं ताकि सामान उठाने वाली गाड़ी जब आये, तो इन्हें उठा ले जाये। यदि इन्हें स्टोर विभाग में रखा गया होता, तो इनको उठाने-रखने तथा ढुलाई आदि में खर्च करना होता जिससे बचने के लिये ऐसा किया गया था।

(घ) पुलिस अभी तक लाइन के १४६ टुकड़े पकड़ पाई है।

(ङ) अधिक चौकीदार रख दिये गये है और अधिक देखभाल रखी जा रही हैं।

लाइन नवीकरण के लिये लाइन के किनार जब बड़ी मात्रा में रेलवे सामान फैला कर रखा जाता है, तो सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा पुलिस को रखवाली के लिये सावधान कर दिया जाता है।

केरल में समुद्र के कटाव से डाक तथा तार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को क्षति

†३५८८. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई के अन्तिम पखवाड़े में समुद्र के कटाव के फलस्वरूप कालीकट (केरल) के तटीय क्षेत्र में तारघर या तार व टैलीफोन प्रतिष्ठानों के परिसरों को कोई क्षति पहुंची हैं;

(ख) कितने टेलीफोन कनेक्शन काटने पड़े और समुद्री कटाव के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त कितने प्रतिष्ठानों को हटाना पड़ा;

(ग) कालीकट क्षेत्र में समुद्र के कटाव के फलस्वरूप क्या किसी डाकघर को भी क्षति पहुंची हैं ; और

(घ) यदि भाग (क) और (ग) का उत्तर हां में हो, तो कितनी क्षति पहुंची हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं।

(ख) एक भी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेलांगाना जल-विद्युत योजना

†३५८९. **श्री लक्ष्मी दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक तेलंगाना जल-विद्युत् योजना पर कितना धन खर्च किया गया है ; और

(ख) यदि धन बिल्कुल ही खर्च नहीं किया गया है, तो क्यों ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) वर्ष १९६१-६२ में योजना पर २६२.३० लाख रुपये, खर्च होने का अनुमान था और १९६२-६३ की वार्षिक योजना के

†मूल अंग्रेजी में

लिये १५६.४५ लाख रु० का उपबन्ध स्वीकार किया गया था। वास्तविक खर्च के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुजरात राज्य की बाढ़ नियंत्रण योजना

†३५९०. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए गुजरात राज्य की कितनी बाढ़ नियंत्रण योजनायें मंजूर की गयी हैं;

(ख) उनमें से कितनी योजनायें तीसरी योजना के प्रथम वर्ष में पूरी हो गयी हैं; और

(ग) इन योजनाओं को नियत समय में पूरा करने के लिए कार्यान्विति के काम को तेज करने हेतु क्या सरकार ने कुछ उपायों का परामर्श दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) तीसरी योजना में गुजरात की कोई बाढ़ नियंत्रण योजना केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए मंजूर नहीं की गयी है। वहाँ से प्राप्त योजनाओं में पूरे ब्योरे नहीं थे, अतः उन्हें राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया कि वे अपेक्षित जानकारी भेजें।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नागपुर योजना के अनुसार सड़कें

†३५९१. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन राज्यों ने नागपुर योजना के अनुसार उतने मील सड़कें बनवा ली हैं;

(ख) पिछड़े राज्यों को अपना काम पूरा करने में सहायता देने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ग) अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या उन्हें कोई सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क), (ख), (ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७७**]।

जिला कचार के लिये विमान सेवा

†३५९२. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चूंकि वर्षा ऋतु में कचार जिले में विमान नहीं उतर सकते, अतः वह बिल्कुल अलग हो जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार कलकत्ता-कचार-इम्फल मार्ग पर बेहतर किस्म के विमान चलाना चाहती है ताकि खराब मौसम में भी वहां विमान उतर सकें ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने बताया है कि कलकत्ता/अगरताला/सिलचर/इम्फल मार्ग पर १९६१-६२ में अनुसूचित उड़ानें ७४६ थीं और इन में से ६९७ उड़ानें पूर्णतः अनवरुद्ध रहीं; इस प्रकार ९३.४ प्रतिशत सेवा नियमित रही ।

(ख) कारपोरेशन के पाँच फ्रेंडशिप विमानों का दल इस समय कलकत्ते में पड़ा हुआ है । इन विमानों का कार्यक्रम पहले से ही पूरी तरह बना हुआ है और उन्हें सिलचर होकर नहीं चलाया जा सकता ।

नौवहन उद्योग में सहकारी क्षेत्र

†३५९३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समुद्रयात्रियों के राष्ट्रीय संघ ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है कि नौवहन उद्योग में एक सहकारी क्षेत्र आरम्भ किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और उस पर निर्णय ले लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौहवन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय संघ ने सरकार को लिखा है कि उसकी योजना पर समुचित ढंग से विचार किया जाये, जिसकी मोटी रूपरेखा मेसर्स हर्ष टैंकर एण्ड शिपिंग एजेन्सी, बम्बई ने भेजी है कि भारतीय नौवहन में एक सहकारी क्षेत्र आरम्भ किया जाये । योजना की रूपरेखा देखने से पता लगता है कि काला सागर के पत्तनों से भारत को बड़ी मात्रा में तेल ढोने के क्षेत्र में एक सहकारी क्षेत्र का विकास करना है । सरकार ने मेसर्स हर्ष टैंकर एण्ड शिपिंग एजेन्सी से योजना की पूरी जानकारी माँगी है । ब्योरा प्राप्त होने पर योजना पर अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

भाखड़ा बांध

†३५९४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **सिंचाई और बिजली** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बाँध कब तक बन जाने की आशा है; और

(ख) बाँध के निर्माण की पूर्णता का समुचित समारोह मनाने के लिए क्या तयारी की जा रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मुख्य बाँध और आनुषांगिक कार्य पूरे हो गये हैं केवल अधिप्लवन मार्ग पुल, कंगूरा और अरत्नीप दरवाजों आदि का कुछ काम शेष रह गया है । यह सब काम भी १९६२ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) इस कार्य के सम्बन्ध में समुचित समारोह मनाने का विचार है परन्तु इसके लिए अभी न तो कोई तारीख निश्चित की गई है और न कोई तैयारी शुरू की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग

३५९५. **श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि विभागों के और उनके संलग्न कार्यालयों में पृथक्-पृथक् कितने अनुभागों में हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग की आज्ञा दी गई है;

(ख) उन में से कितनों में वास्तविक रूप में हिन्दी में कार्य हो रहा है; और

(ग) उनको प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). सात ।

(ग) हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये, कार्यालयों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तकनीकी और विशिष्ट शब्दों के हिन्दी रूपान्तर समय समय पर ऐसे अनुभागों के मार्गदर्शन के लिए परिचारित किये जाते हैं और हिन्दी में प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

हिन्दी पदाधिकारी

३५९६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषा में अनुवाद तथा अन्य कार्य करने के लिए उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी अफसरों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो हिन्दी कार्य की अन्तिम ज़िम्मेदारी किस पद के अफसर की है;

(ग) क्या वे अफसर हिन्दी भाषा में इतनी दक्षता रखते हैं कि हिन्दी भाषा का कार्य सुचारु रूप से कर सकें; और

(घ) यदि वे नहीं, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). हिन्दी के कार्य की देखभाल योग्यता पूर्ण हिन्दी कर्मचारियों की सहायता से सम्बन्धित अवर सचिव करते हैं और कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली विकास प्राधिकार

३५९७ **श्री लक्ष्मू भवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली विकास प्राधिकार की कितनी बैठकें आयोजित की गईं; और

(ख) इन बैठकों पर कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) सत्तानबे ।

(ख) लगभग चार हजार एक सौ छब्बीस रुपये ।

रेलवे फाटक मिठापुर (पटना) में ऊपरी पुल का निर्माण

†३५९८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे को मेन लाइन पर पटना रेलवे स्टेशन के पश्चिम में मिठापुर रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में काई माँग आई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का उसके बारे में क्या विचार है;

(ग) १९६२ में अब तक इस फाटक से रेलवे लाइन पार करते हुए कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है; और

(घ) औसतन कितनी देर तक इस फाटक के दरवाजे बंद रहते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एक ।

(घ) औसतन १५ से २० मिनट तक ।

आसाम में शटल गाड़ी का बन्द किया जाना

†३५९९. **श्री बसुमतारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में धुबरी से सोरभोग तक चलने वाली शटल गाड़ी बन्द कर दी गयी है ;

(ख) यदि हाँ, ता कब से; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). १-४-६२ से पूर्व संख्या २९ अप/३० डाउन सवारी गाड़ियाँ धूबरी और सोरभोग के बीच चलती थीं । १-४-१९६२ से गाड़ी संचालन के हित में मुख्य लाइन सेक्शन पर भीड़भाड़ कम करने के खयाल से समय सारिणी समिति के परामर्श से फकीराग्राम–सोरभोग सेक्शन पर इन गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया ।

तथापि, संख्या २१ अप/२२ डाउन कटिहार–अमीनगाँव सवारी गाड़ियों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है ताकि स्थानीय आवश्यकता पूरी हो सके और ये गाड़ियाँ फकीराग्राम सोरभोग सेक्शन पर लगभग पुराने २९ अप/३० डाउन के पथ पर ही चलाई जाती हैं ।

आसाम तक चलने वाली सवारी गाड़ियां

†३६००. **श्री बसुमतारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिये आठवाँ जोन बनाये जाने के बाद से आसाम तक कितनी सवारी गाड़ियाँ चल रही हैं; और

(ख) वर्ष १९५७ से १९६१ तक की अवधि में यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १५-१-१९५८ को आठवां जोन बनाये जाने के बाद से आसाम राज्य में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर प्रति दिन चलने वाली सवारी गाड़ियों की संख्या निम्न प्रकार रही :

वर्ष	गाड़ियों की संख्या
१९५८–५९ . . .	१०१
१९५९–६०	१०५
१९६०–६१ . . .	१०९
१९६१–६२	१०५

वर्ष १९६१-६२ मे वर्ष १९६०-६१ की अपेक्षा चार गाड़ियां इसलिये कम रहीं कि नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों के कारण वैकल्पिक पथ पर चल रही ७ अप/८ डाउन साउथ बैंक मेल से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अस्थायी रूप से चलाई गई दो दो शाखा लाइन की गाड़ियां बन्द कर दी गयीं ।

(ख) केवल आसाम के लिये यात्रियों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते । वर्ष १९६१-६२ में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के मीटर गेज सेक्शन पर यात्रियों की कुल संख्या में वर्ष १९५८-५९ की अपेक्षा ८·४५ प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

डिब्रूगढ़ में भूमि का कटाव

†**३६०१. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्रूगढ़ में डिब्रू नदी द्वारा भूमि के एक बड़े क्षेत्र का कटाव हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). आसाम सरकार ने बताया है कि डिब्रूगढ़ के उपाना क्षेत्र में कटाव से मोहनघाट में २६,००० वर्ग फुट और नागखेलिया में ६८,००० वर्गफुट क्षेत्र को हानि हुई है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बांस के सींखचे तैरने वाला बेड़ा और वृक्ष की शाखाओं आदि से अस्थायी तौर पर संरक्षणात्मक उपाय किये हैं ।

नई दिल्ली म अनधिकृत निर्माण

†**३६०२. श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली-१४ के पीछे किलोकरी में अनधिकृत निर्माण हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने खसरा संख्या १३६ और १३१ का वर्जन कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि खसरा संख्या १३१ पर अनधिकृत निर्माण हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) खसरा संख्या १३६ का एक भाग अर्जित किया गया है और इस खसरे के बाकी भाग और सारा खसरा संख्या १३१ का अर्जन किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ (वर्ष १९५७ का ६१) के उपबन्धों के अधीन अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

कुष्ठ निवारण के लिये भारत-स्वीडन परियोजना

†३६०३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुष्ठ निवारण और रोगियों के पुनर्वास के लिये एक भारत-स्वीडन परियोजना का पता है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ;

(ग) यह परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जावेगी ; और

(घ) क्या सरकार की इस परियोजना के अधीन अन्य स्थानों में गतिविधियां बढ़ाने की योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तिम योजना की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० २१४/६२**]

(ग) मद्रास राज्य में गुडियाट्टम तालुक ।

(घ) जी, नहीं ।

कुछ अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

†३६०४. **श्री बड़े :**
श्री लहरी सिंह :
श्री कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के दौरान अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिये रेलवे अधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से नियोजित कुछ व्यक्तियों को अभी तक उन का वेतन नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). हड़ताल के दौरान कुछ व्यक्तियों को अम्बाला छावनी के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के मौखिक आदेश पर नियोजित किया गया था। चार मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों से मजूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन में से तीन मामलों में सत्यापन के बाद भुगतान कर दिया गया है परन्तु चौथे मामले में इस कारण कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वास्तव में उस ने काम

टाटानगर रेलवे यार्ड में दुर्घटनायें

†३६०५. डा० उ० मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जून, १९६२ को टाटा नगर रेलवे यार्ड में दक्षिण-पूर्व रेलवे का असिस्टेंट अपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट एक मालगाड़ी की लपेट में आ गया और मारा गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच करने का आदेश दे दिया गया है ;

(ग) क्या टाटानगर रेलवे यार्ड में ऐसी दुर्घटनायें होती रहती हैं ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां, परन्तु ३ जून, १९६२ को।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हुगली नदी के नीचे सुरंग

†३६०६. श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हीरेन भट्टाचार्य :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने कलकत्ता मेट्रोपालिटन प्लैनिंग आरगेनाइज़ेशन को हुगली नदी के नीचे एक सुरंग बनाने अथवा हुगली के ऊपर एक पुल बनाने के लिये ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का ऋण है और यह कार्य कब आरम्भ होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक कलकत्ता में हुगली नदी पर सुरंग अथवा पुल बनाने की संभाव्यता का पता लगाने के व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिये अनुदान (ऋण नहीं) देना मंजूर किया है।

(ख) निम्न अधिकतम सीमा के अन्दर वास्तविक व्यय का आधा :

(१) यदि खोज स्थानीय तौर पर की जाये . ८५,००० डालर (लगभग ४·२५ लाख रुपये)

(२) यदि विदेशी सार्थ को लगाया जाये . १,१६,००० डालर (लगभग ५·८ लाख रु०)

खोज-कार्य आरम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है और वह शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रजी में

माता टीला बांध से बिजली

†३६०७. **श्री राम सेवक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माता टीला बांध से उत्पादित कितने प्रतिशत बिजली औद्योगिक कार्य के लिये रक्षित रखी जायेगी ; और

(ख) घरेलू कार्य के लिये कितने प्रतिशत बिजली सुरक्षित रखी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

घाटे पर चल रहे डाकखाने

†३६०८. **श्री कजरोलकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कितने डाकघर खोले गये और उनमें से कितनों में सीमा से अधिक हानि हो रही है ; और

(ख) ऐसे डाकघरों पर सरकार कुल कितनी हानि बर्दाश्त कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख).

प्रथम पंचवर्षीय योजना . . .	१८,९४८
द्वितीय पंचवर्षीय योजना . . .	२२,२३१

बाकी जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†३६०९. **श्री जेधे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में (डिवीजन-वार) पिछले पांच वर्षों में कितने 'रिसर्च असिस्टेंट नियुक्त किये गये ;

(ख) उसी अवधि में उनमें से कितने व्यक्तियों ने त्यागपत्र दिया ;

(ग) क्या यह सच है कि केवल रिसर्च असिस्टेंट पदाली में त्यागपत्र अधिक दिये जाते हैं और अन्य पदालो में नहीं ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :

(क)	१. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन .	३
	२. एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन डिवीजन	४
	३. एग्रोनामी डिवीजन	१६
	४. बोटनी डिवीजन	९१
	५. केमिस्ट्री डिवीजन .	१२
	६. चीफ़ सोइल सर्वे कार्यालय . .	३
	७. एन्टोमोलाजी डिवीजन . .	२७
	८. हार्टीकल्चर डिवीजन	२२
	९. माइकोलाजी डिवीजन	२४
	कुल . .	२०२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १०।

(ग) जी नहीं। रिसर्च असिस्टेंटों में त्यागपत्र की दर लगभग ६ प्रतिशत प्रति वर्ष है और यह अधिक नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। रिसर्च असिस्टेंटों की पदावली में त्यागपत्र उच्च प्राप्त प्राप्त करने अथवा उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति मिलने अथवा प्राइवेट और निजी कारण से होते हैं।

अध्ययन के लिये छुट्टी नियमों में ढील

†३६१०. **श्री जेधे** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के डा० जोसेफ ने आत्महत्या की थी, तब सदन में यह कहा गया था कि सरकार अध्ययन के लिये छुट्टी देने के बारे में नियम ढील करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तब से क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७८]** :

कलकत्ता पत्तन के 'घाट-क्रेन'[१] के निर्माण के लिये इस्पात का आयात

†३६११. **श्री नाथ पाई** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन के लिये 'घाट-क्रेन' के निर्माण के लिये परीक्षित इस्पात की कुछ मात्रा के आयात और संभरण के लिये ठेका कलकत्ता के एक सार्थ को वर्ष १९५९ में दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कथित ठेकेदारों द्वारा संभरित इस्पात नमूने से नहीं मिलता था और ठेकेदार कथित जाली कागजात के आधार पर ९० प्रतिशत नकद भुगतान मांगते थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले में कलकत्ता पुलिस की एन्फार्समेंट शाखा ने जांच की और रिपोर्ट दी कि इस मामले में पुलिस कानूनी कार्यवाई कर सकती है ;

(घ) यदि हां, तो एन्फार्समेंट पुलिस की सिफारिश पर और कलकत्ता पत्तन को हुई हानि को पूरा करने के लिये कलकत्ता के पत्तन आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) 'घाट क्रेनों', जिसके लिये उपरि-निर्दिष्ट परीक्षित इस्पात आयात किया जाना था, के निर्माण के बारे में क्या स्थिति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Warf Crane.

पोस्त

†३६१२. **श्री प्रताप सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोस्त की आयात की गई किस्मों के हिमाचल प्रदेश के सिरमूर और महासू जिलों के कृषि फार्मों में किये गये प्रयोग का क्या परिणाम रहा है जिससे अफीम का उत्पादन तो नहीं किया जा सकता है परन्तु जिसे खाद्य के प्रयोजन के लिये काम में लाया जा सकता है ; और

(ख) ये प्रयोग किन किन फार्मों में किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक

†३६१३. **श्री कौल्ला वेंकैया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने १९६०-६१ में आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की जांच की थी ;

(ख) विधेयक के अन्तर्गत कल्पित विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका ने कितनी सहायता देने का वचन दिया है ;

(ग) क्या इस विधेयक की संयुक्त राज्य अमेरिका के डा० कमिंग्ज़ की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक आयोग द्वारा जांच की गई थी ;

(घ) उन्होंने तथा आयोग ने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ङ) उन सुझावों पर राज्य सरकार का क्या मत है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क), (ग), (घ) और (ङ). भारत सरकार ने राज्य सरकारों की कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना सम्बन्धी विधान निर्माण में सहायता करने के लिये मई, १९६० में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसके सभापति राकफेलर प्रतिष्ठान के फील्ड डायरेक्टर डा० आर० डब्लू० कमिंग्ज़ थे। इस समिति ने सितम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ के बीच आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया और कृषि विश्वविद्यालय विधेयक के प्रारूप के निर्माण में राज्य सरकार की सहायता की। यह विधेयक राज्य-विधानमण्डल के वर्ष १९६१ के वर्षाकालीन सत्र में पुरःस्थापित किया गया था और एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था। विधेयक पर, उसके राज्य विधानमण्डल में पुरःस्थापित किये गये रूप में कमिंग्ज समिति ने २९ अगस्त, १९६१ को अग्रेतर विचार किया जब कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। विशेषज्ञ समिति ने विधेयक के प्रारूप में सम्मिलित किये जाने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये थे:

(१) प्रारम्भ में ही बपतला और तिरुपती जैसे कृषि और पशु चिकित्सा कालेजों का राजेन्द्रनगर कैम्पस के साथ मिलाया जाना ;

(२) आन्ध्र प्रदेश के वर्तमान समस्त गवेषणा एवं प्रयोग केन्द्रों तथा अन्य गवेषणा संगठनों का प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलाया जाना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) विस्तार के शिक्षा और गवेषणा के साथ मिलाये जाने के लिये प्रावस्था भाजित कार्यक्रम का अपनाया जाना ;

(४) प्रबन्ध बोर्ड के स्वायत्तशासी स्तर को कायम रखना ।

उपरोक्त सुझाव राज्य सरकार की जानकारी में लाये गये थे तथा उसने हाल में इस मंत्रालय को यह सूचित किया है कि एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संबन्धी प्रस्ताव की नये सिरे से जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में आवश्यक विधेयक के शीघ्र राज्य विधानमण्डल में पुरः स्थापित किये जाने की आशा है । ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार विधेयक को अन्तिम रूप देते समय विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने विधेयक के अन्तर्गत कल्पित विश्वविद्यालय के लिये कोई निर्दिष्ट सहायता का वचन नहीं दिया है । परन्तु देश की विभिन्न कृषि संस्थाओं को कुछ सहायता पहले से ही मिल रही है और ऐसी कुछ संस्थायें, जिनके प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संघठक एकक बनने की संभावना है, इस कार्यक्रम से लाभ उठा रही हैं । यह सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्वविद्यालय के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति, प्रयोगशाला उपकरण और पुस्तकों की मंजूरी और भारतीय संस्थाओं के अध्यापकों के संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त होती है ।

उड़ीसा में मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण

†३६१४. **श्री गो० महन्ती :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मछली पकड़ने के उद्योगों के विकास कार्यक्रम के रूप में मछली पकड़ने की नावों के यंत्रीकरण का कार्य शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां यंत्रीकृत नावों के प्रयोग और उनके संधारण में प्रशिक्षण देने के लिये कितने केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ग) अभी तक कितनी नावों का यंत्रीकरण हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां ।

(ख) यंत्रीकृत नावों के प्रयोग और संधारण में मछुओं के प्रशिक्षण के लिये पराद्वीप में एक केन्द्र खोला गया है ।

(ग) उड़ीसा में अभी तक १७ नावों का यंत्रीकरण किया गया है ।

दिल्ली के मालवीयनगर और कालकाजी में नालियां

३६१५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालवीयनगर और कालकाजी की वस्तियों में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे गन्दे पानी की नालियों का कोई प्रबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बस्तियों का गन्दा पानी बरसाती नालों द्वारा निकाला जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि बहाव का उल्टा रुख होने के कारण और इंजीनियरिंग की त्रुटियों के कारण बरसाती नालियों को साफ नहीं रखा जा रहा है जिसकी वजह से रेत और गन्दे पानी का जमाव हो जाता है और इस कारण मच्छर व मक्खियां पैदा होती है ; और

(घ) यदि भाग (क) से (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). मालवीयनगर और कालकाजी पुनर्वास बस्तियां हैं और उन्हें अभी तक दिल्ली नगर निगम को नहीं सौंपा गया है । नाली आदि की कठिनाइयों के बारे में पुनर्वास मंत्रालय को लिख दिया गया है ।

फील्ड असिस्टेंट

†३६१६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अप्रैल, १९६० में "सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं और सहायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में निकट सम्पर्क एवं समन्वय—फील्ड असिस्टेंटों की नियुक्ति" नामक योजना प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो १९६० और १९६१ में कितने फील्ड असिस्टेंट चुने गये ;

(ग) प्रत्येक फील्ड असिस्टेंट पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(घ) क्या इन फील्ड असिस्टेंटों को कोई कार्य और रोजगार दिया जाता है ;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन फील्ड असिस्टेंटों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है ; और

(च) क्या इस वर्ष के लिये एक अन्य टोली चुनी गई है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९६० में १२ अप्रेंटिस फील्ड असिस्टट चुने गये थे और १९६१ में १० अप्रेंटिस फील्ड असिस्टेंट चुने गये थे ।

(ग) औसतन लगभग २५० रुपये प्रति माह ।

(घ) अप्रेंटिस फील्ड असिस्टेंटों के 'जॉब चार्ट' की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०)** योजना का एक उद्देश्य इन ग्रामीण संस्थाओं के नौजवान स्नातकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर देना है । जिससे वे ग्रामीण जनता की अधिक अच्छे ढंग से सेवा कर सकें । योजना में फील्ड सहायकों के अपनी एप्रेंटिसशिप समाप्त कर लेने पर रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ङ) जी, हां । इसलिये इस मंत्रालय ने राज्य सरकार को इन अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण के कारण उपयुक्त रिक्तताओं में नियुक्त करने और रोजगार के मामले में प्राथमिकता देने के लिये लिखा है ।

(च) हां, श्रीमान ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटी पनबिजली योजनायें

१६१७. श्री भक्त दर्शन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री ७ जून, १९६२ के छोटे पनबिजली योजनाओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या २७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो पन्द्रह छोटी पनबिजली योजनायें स्वीकार की गई है, वे किन किन राज्यों के किन किन स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(ग) प्रत्येक पर कितना धन लगने का अनुमान है ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगशन) : (क) तथा (ख).

हिमाचल प्रदेश---

भारमौर---	१७ किलोवाट
छला	२० किलोवाट (पूरा हो गया है)

जम्मू तथा काश्मीर

कुपवाड़ा	२ × २० किलोवाट (पूरा हो गया है)

पंजाब---

विलिंग नाला	२ × ५० किलोवाट
शानशाह नाला	२ × ५० किलोवाट
सिसु नाला	१ × ५० किलोवाट

उत्तर प्रदेश---

भीलंगाना	१२० किलोवाट
चम्पावत	४० किलोवाट
नन्दाकिनी	८० किलोवाट
रूद्र प्रयाग	६० किलोवाट
न्यू गैंती छरा	२०० किलोवाट

इसके अतिरिक्त, जम्मू और काश्मीर सरकार ने निम्नलिखित जेनरेटिंग यूनिटों को खरीदने का आर्डर दे दिया है ।

१ × २५ किलोवाट
४ × ५० किलोवाट
२ × १०० किलोवाट
१ × २५० किलोवाट

उन स्थानों की सूचना जहां ये स्थापित किये जायेंगे उपलब्ध नहीं है।

(ग)तथा(घ). ये छोटी छोटी स्कीमें हैं जो कि राज्य सरकारों/विद्युत् बोर्डों इत्यादि द्वारा निष्पादित हो रही हैं । व्यय तथा प्रगति के सम्बन्ध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या १२

†३६१८. **श्री भानु प्रकाश सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बियोरा-भोपाल---जबलपुर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ संख्या १२ कब घोषित किया गया था ; और

(ख) क्या इस सड़क पर राष्ट्रीय राजपथ की आवश्यकताओं के अनुसार कोई निर्माण-कार्य शुरू किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) मई, १९६० में ।

(ख) राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग राज्य सरकार की सलाह से तय कर लिया गया है । तीसरी योजना अवधि के लिये निर्माण कार्यक्रम बनाने के लिये जांच कार्य किया जा रहा है ।

पार्वती बांध

†३६१९. **श्री भानु प्रकाश सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने नरसिंहगढ़ के निकट बनाये जाने वाले पार्वती बांध को मंजूरी दे दी है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) यह बांध केवल सिंचाई के लिये बनाया जा रहा है अथवा उससे बिजली भी पैदा की जायेगी ; और

(ग) उससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है ? और कितनी बिजली पैदा की जा सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पार्वती बांध के सम्बन्ध में जांच की जा रही है और परियोजना प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) यह केवल सिंचाई योजना होगी ।

(ग) लगभग २ लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की जा सकेगी ।

कृषि आयोग

३६२०. **श्री बैरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई कृषि आयोग नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) और (ख). कृषि के समस्त क्षेत्र के एक व्यापक पुनर्विलोकन के लिये भारत सरकार एक कृषि आयोग की नियुक्ति के बारे में विचार कर रही है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के डूंगरगढ़ स्टेशन पर पंखों की व्यवस्था

†३६२१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के डूंगरगढ़ स्टेशन पर भोजनालय, प्रतीक्षालय और दफ्तर के कमरों में बिजली के पंखों की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पंखों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में कृषि भमि

†३६२२. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि की कमी को देखते हुए इस बात के लिये कोई कदम उठाये हैं कि वर्तमान कृषि भूमि पर इमारतों अथवा बस्तियों का निर्माण न किया जाये और फार्म न स्थापित किये जायें; और

(ख) हिमाचल प्रदेश में इमारतों अथवा बस्तियों के निर्माण और फार्मों की स्थापना के लिये किन किन स्थानों में कृषि-भूमि, यदि कोई हो, अर्जित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में सार्वजनिक टेलीफोन

†३६२३. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने सार्वजनिक टेलीफोन मंजूर किये गये हैं और किन किन स्थानों के लिये ;

(ख) कितने और किन स्थानों के सार्वजनिक टेलीफोन चालू हो गये हैं ; और

(ग) कितने और किन स्थानों के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित नहीं हुये हैं और उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) से (ग). ब्यौरा विवरण संख्या १ और २ में दिया गया है । इस अवधि में मंजूर किये गये ६५ सार्वजनिक टेलीफोनों में से ३० अभी तक सामग्री न मिलने के कारण स्थापित नहीं किये जा सके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण संख्या १

उन सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के नाम जो पंजाब राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में मंजूर और स्थापित किये जा चुके हैं :

१. अम्ब
२. आनन्दपुर साहिब
३. बधनी
४. बारवाला
५. बेसियान
६. बलहोवल
७. भीखी
८. भूना
९. बोदलगरना साहिब
१०. बुन्टार
११. चण्डी मन्दिर
१२. ददाहू
१३. डेरा बाबा नानक
१४. डेरा बाबा जैमलसिंह
१५. घूडीके
१६. फर्रुखनगर
१७. गगरेट
१८. मनाली
१९. मटिआना
२०. मेहता
२१. मुल्लाना
२२. नाथन
२३. निहालसिंहवाला
२४. पंचतुला
२५. फूल
२६. पिपली
२७. रामदास
२८. रनिया
२९. रत्तिया
३०. रत्ती
३१. सन्तोखगढ़
३२. सनौर
३३. सनेहवल
३४. सियालबा माजरी
३५. सूरजपुर बी० सी० फैक्टरी

विवरण संख्या २

उन सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के नाम जो दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में मंजूर किये गये थे परन्तु अभी तक खोले नहीं गये हैं :

१. अहलियाल
२. बाबा बकाला
३. बढ़ौनी कला
४. बनूर
५. भदौर
६. भरमार
७. चाकदाना
८. चमकौर साहिब
९. चौकी मुनियार
१०. धनेटा
११. धनौला
१२. डोडा सीबा
१३. फतेहगढ़ पंचतूर
१४. हरीपुर
१५. जोझुनकलां
१६. कटरियान
१७. केसरी
१८. खैरा

१९. खरखौदा
२०. खाटपुरा
२१. खाजर
२२. कीरतपुर
२३. कोकर कलां
२४. लखेवाली
२५. मदलौधा
२६. मण्डी अटेली
२७. नागर
२८. रायसन
२९. संगट
३०. समदभई

लखनऊ–भोपाल राष्ट्रीय राजपथ

†३६२४. **श्री रामसेवक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लखनऊ से कालपी होकर भोपाल तक एक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण की योजना बना रही है ;

(ख) क्या किसी वैकल्पिक मार्ग की योजना भी बनाई जायेगी ; और

(ग) उसके निर्माण में सरकार कितना समय लेगी और उस पर कितना व्यय होने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) लखनऊ को कानपुर, कालपी, झांसी, शिवपुरी और बियोरा होकर एक राष्ट्रीय राजपथ पहले से बना हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे पर क्षतिपूर्ति के दावे

†३६२५. **श्री रामहरख :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विरुद्ध विशेषकर उत्तर रेलवे में क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के कारण क्या हैं और उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इस समय उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध कितने दावे उनके हाथों में हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) जनवरी से अप्रैल, ६१ की तुलना में जनवरी से अप्रैल, १९६२ में समस्त भारतीय रेलवे लाइनों पर, उत्तर रेलवे को सम्मिलित करके, नये दावों की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई ह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नये दावों की संख्या में वृद्धि का आंशिक कारण १-१-६२ से सामान्य भार दायित्व का लेना है और आंशिक कारण यातायात की मात्रा में वृद्धि है। दावों को रोकने के मामले में उठाये गये कुछ कदम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]**

(ग) ३०-४-६२ को उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे पर अवशेष दावों की संख्या नीचे दी गई है :

रेलवे	३०-४-६२ को अवशेष दावों की संख्या
उत्तर	६,२१२
पूर्वोत्तर	१,८३१

नई दिल्ली का लेडी हार्डिंग अस्पताल

†३६२६. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के कमरों और बार्डों में आवारा कुत्ते और बिल्लियां घूमा करते हैं और मरीजों की खाने की चीजें बिगाड़ते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि बन्दर कमरों और काटेजों में घुसकर मरीजों से फल और खाने की चीजें छीन ले जाते हैं ;

(ग) क्या यह सभी सच है कि कुछ दिन पूर्व एक बन्दर ने लेडी हार्डिंग अस्पताल में काटेजों के चौकीदार को घायल कर दिया था और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) कभी कभी अस्पताल के अहाते में आवारा बिल्लियां और कुत्ते घूमते हुये पाये जाते हैं।

(ख) कुछ बन्दर पास के पेड़ों पर रहते हैं और कभी कभी उपद्रव करते रहते हैं।

(ग) एक बन्दर ने एक चौथी श्रेणी के कर्मचारी पर हमला किया था परन्तु उसने अस्पताल के प्राधिकारियों को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(घ) नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और अन्यों के सहयोग से इस उपद्रव को खत्म करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रणजीत नगर, साउथ पटेल नगर, दिल्ली में कारखाना

†३६२७. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के साउथ पटेल नगर में रणजीत नगर में एक कारखाना है जिसमें रसायन बनाये जाते है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस्ती के लोगों ने इस कारखाने के बने रहने के प्रति विरोध प्रकट किया था क्योंकि कारखाने की चिमनियों से निकलने वाला धुंआ निवासियों के लिये, विशेषकर जबकि उन्हें गर्मियों में बाहर सोना पड़ता है, हानिकारक समझा जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कानून के किन उपबन्धों के अन्तर्गत इस कारखाने को निवास क्षेत्र में बने रहने की अनुमति दी गई हैं; और

(घ) उसे किसी कारखाना क्षेत्र में हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) यह कारखाना कई साल से चला आ रहा है । वह रणजीतनगर का विकास होने के पहले स्थापित किया गया था और लाईसेंसशुदा है ।

(घ). निगम के निर्माण के पूर्व जो कारखाने थे उनको उस समय तक बने रहने की अनुमति है जब तक कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में वैकल्पिक स्थान आवण्टित न कर दिया जाय ।

पूर्व रेलवे में धनबाद में नये डिवीजन की स्थापना

†**३६२८. डा० सारादीश राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में धनबाद में एक नया डिवीजन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे को कितना अतिरिक्त व्यय करना होगा और कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : विवरण संलग्न है ।

विवरण

धनबाद में वर्तमान धनबाद परिवहन डिवीजन के स्थान पर, जो आसनसोल के डिवीजनल सुपरिनटेंडेंट के क्षेत्राधिकार में काम करता है, एक पूर्ण डिवीजन स्थापित करने का निर्णय किया गया है । यह निर्णय कोयला उत्पादन आदि बढ़ाने से तीसरी योजना अवधि में वर्तमान आसनसोल डिवीजन के कार्यभार में संभावित वृद्धि की दृष्टि से प्रशासकीय संगठन में सुधार के रूप में किया गया है ।

धनबाद में कर्मचारियों के क्वार्टरों, दफ्तरों की इमारतों आदि पर लगभग ४० लाख रुपये की अतिरिक्त लागत लगने का अनुमान है । अतिरिक्त कर्मचारियों, स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त इमारतों के संधारण, आकस्मिकताओं आदि पर आवर्तक व्यय लगभग २,८०,००० रुपये प्रतिवर्ष होगा जो प्रशासकीय संगठन में होने वाले सुधार की दृष्टि से बहुत कम समझा जाता है । धनबाद में वर्तमान डिवीजनल संवर्ग के विभाजन द्वारा एक पृथक् डिवीजन के निर्माण से केवल एक स्थायी अतिरिक्त गजटेड पद और ९० नान्-गजटेड संवर्ग के पदों के निर्माण की आवश्यकता होगी ।

दिल्ली और नंगल बांध के बीच रेलगाड़ी चलाना

†**३६२९. श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और नंगल डेम स्टेशन के बीच एक डिब्बा, जिसमें तीसरे दर्जे का भी डिब्बा होता था, चलाया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६२ से यह डिब्बा नहीं चलाया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) १ मई, १९६२ के बाद प्रतिदिन तीसर दर्जे के कितने टिकट बेचे गये और दिल्ली और नंगल डैम के बीच सीधे जाने वाले डिब्बे में कितने स्थान उपलब्ध थे; और

(ङ) क्या दिल्ली और नंगल डैम के बीच एक नियमित रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (१) सीधे जाने वाले यात्रियों द्वारा इस सुविधा का पूरा लाभ न उठाया जाना और (२) अम्बाला स्टेशन पर शंटिंग की कठिनाई ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) जी, नहीं ।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के दवाखाने

†३६३०. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सरकारी क्वार्टरों मे अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के दवाखाने हैं और इन दवाखानों में नियुक्त कर्मचारी उनमें रहते है;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों और दवाखानों के लिये कितने क्वार्टर दिये गये है;

(ग) क्या इन दवाखानों के कार्य के अनुभव के आधार पर इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाती हैं कि विभिन्न प्रकार की जांच और चिकित्सा की अधिक अच्छी सुविधायें देने के लिये स्वयंपुर्ण दवाखाने बनाये जायें क्योंकि अस्पतालों में इस समय जो व्यवस्था हैं वह संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का इरादा हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) कुछ सरकारी क्वार्टरों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के दवाखाने हैं और उन में काम करने वाले कर्मचारी कुछ क्वार्टरों में रहते है ।

(ख) डाक्टर . . .	७१
दवाखाने	७३

(ग) जी, हां ।

(घ) सिद्धान्त: निर्णय किया गया हैं कि ये सब दवाखाने स्थायी इमारतों में रखे जायें । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ८ दवाखानों के लिये स्थायी इमारतों की व्यवस्था की जा चुकी है । और छः इमारतें बन रही हैं या चालू वित्तीय वर्ष में उनका निर्माण-कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है । इसके अतिरिक्त कुछ और दवाखानों की इमारतों के लिये जमीन प्राप्त कर ली गई है ।

जिन ८ दवाखानों के लिये स्थायी इमारतों की व्यवस्था की गई हैं उन में से छः में दवाखनों के कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था है । जो छः इमारतें बन रही है उन में से पांच में कर्मचारियों के निवास की व्यवस्था की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रसमरा और मंडला के बीच नई लाइन का निर्माण

†३६३१. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसमरा और मंडला के बीच खैरागढ़ और डोंगरगढ़ होते हुए एक रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वह किस अवस्था में है; और

(ग) उसे अन्तिम रूप से कब तक स्वीकार कर लेने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश को मक्का का सम्भरण

†३६३२. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के आदिम जाति क्षेत्रों में वितरण के लिये भारत सरकार से काफी मात्रा में मक्का के संभरण की मांग की है;

(ख) क्या इस मांग पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**:(क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने पूछना है कि क्या राज्य के आदिम जाति क्षेत्रों में वितरण के लिये उसे कुछ मक्का दिया जा सकता है ? उसे बताया गया है कि केन्द्र के रक्षित स्टाक में मक्का तो नहीं है किन्तु उसे आवश्यकता हो तो गेहूं का संभरण किया जा सकता है ।

यात्रा अभिकरण

†३६३३. {**श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों की विदेश यात्रा पर हाल में लगाये गये प्रतिबन्धों के फलस्वरूप छोटे यात्रा अभिकरणों के बन्द होने की आशंका उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों के फलस्वरूप ऐसे कितने अभिकरण प्रभावित हुए है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग को बड़े या छोटे यात्रा अभिकरणों से अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीयों को विदेशी यात्रा पर हाल में लगाये गये प्रतिबन्धों का यात्रा अभिकरणों पर क्या प्रभाव होगा इसका अनुमान इतनी जल्दी लगाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रोहतक के पास मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर]

३६३५. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ जून, १९६२ को रोहतक के पास सांपला और कहलावद स्टेशनों के बीच लेवल क्रासिंग पर एक मालगाड़ी एक भरे हुए ट्रक से टकरा गई जिससे ३ व्यक्ति मर गये;

(ख) यदि हां, क्या इसका पूरा विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इस दुर्घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड देने और मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). ६-६-६२ को, न कि ७-६-६२ को, दिल्ली-रोहतक सैक्शन के सांपला और खरावड़ स्टेशनों के बीच समतार पर, जहां चौकीदार तैनात हैं, एक मालगाड़ी और मोटर ट्रक की टक्कर हो गयी । इस दुर्घटना के कारण दो व्यक्ति वहीं मर गये और एक अस्पताल जाते हुए मर गया । ये सब ट्रक में बैठे हुए थे ।

(ग) चौकीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला अदालत में है । क्षतिपूर्ति के लिए अभी तक कोई दावा नहीं मिला है । फिर भी तीनों मृतकों की विधवाओं में से हर एक को पांच-पांच सौ रुपये अनुग्रह-धन के रूप में दे दिये गये हैं ।

केरल में खेती की भूमि और उत्पाद का सर्वेक्षण

†३६३६. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में खेती की भूमि और उत्पाद के सर्वेक्षण की किसी योजना की जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो काम कब शुरू होगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भाखड़ा में भूकम्पीय वेधशाला

†३६३६-क. श्री वी० चं० शर्मा : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा में एक भूकम्पीय वेधशाला स्थापित करने का इरादा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). भाखड़ा बांध के निकट एक भूकम्पीय वेधशाला की स्थापना का इरादा है । स्थान का चुनाव कर लिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

है और वेधशाला की इमारत के निर्माण के प्राक्कलन की जाँच की जा रही है। भूकम्पीय काम में प्रशिक्षित आवश्यक कर्मचारियों को वेधशाला में नियुक्ति के लिये चुन लिया गया है। वेधशाला में लगाये जाने वाले यंत्र भी आसानी से उपलब्ध हैं। इमारत के बनते ही वेधशाला अपना कार्य आरम्भ कर देगी।

त्रिपुरा में दुग्ध-चूर्ण का संभरण

†३६३६-ख. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में निःशुल्क सहायता के रूप में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से संभरित दुग्ध-चुर्ण का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे बेचा जा रहा है ;

(ख) दूध का वितरण कौन-कौन से संगठन करते हैं ;

(ग) क्या किसी अधिकारी ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि दूध उचित व्यक्तियों को दिया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि 'एर-लेक' के गोदाम में काफी दुग्ध-चुर्ण खराब हो गया है ; और

(ङ) इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ङ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये धन

†३६३६-ग. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में तीसरी योजना में सड़कों और पुलों के निर्माण पर कितना धन खर्च किया जायेगा ; और

(ख) १९६१-६२ के लिये कितना धन मंजूर किया गया तथा उसमें से कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हिमाचल प्रदेश में तीसरी योजना में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये ८०६·०० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

(ख) १९६१-६२ में १६२·६१ लाख रुपये का आवंटन किया गया था जिसमें से इस वर्ष में वास्तव में १६०·३० लाख रुपये खर्च हुए हैं।

दिल्ली में खाली पड़ी सरकारी जमीनें

†३६३६-घ. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली की कई बस्तियों में काफी सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि कहीं-कहीं कुछ धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा धीरे-धीरे सरकारी ज़मीन पर अनधिकार कब्जा किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकारी सम्पदा की हानि को रोकने के लिये कौन से कदम उठाने का इरादा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार के अन्तर्गत इस समय लगभग ५,००० एकड़ जमीन है जिस में से कुछ ज़मीन खेती की है और कुछ निर्मित-क्षेत्र में स्थित है ।

(ख) धार्मिक संस्थाओं ने कोई १३०० वर्ग गज़ ज़मीन पर अनधिकार कब्जा किया है ।

(ग) जब कभी अनधिकार कब्जे का कोई मामला होता है तो दिल्ली विकास प्राधिकार सरकार की नीति के अनुसार अनधिकृत मकान को गिराने या बेदखली या हानि की पूर्ति करने के लिये उचित कार्यवाही करता है ।

हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारियां उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम

†३६३६-ङ. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारियाँ उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम के अधीन उपबन्धित १२५ रुपये अथवा उससे अधिक की मालगुजारी वाली जमीनों को लेने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना के अधीन किन काश्तकारों को भूमिधारी के अधिकार दे दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ;

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हाँ ।

(ख) अब तक कोई नहीं ।

(ग) (१) हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारियाँ तथा भुमि सुधार अधिनियम, १९५३ की क्रियान्विति के विरुद्ध रोक आदेशों को हटाना तथा (२) केवल भूमि सुधारों के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण काम नहीं किया जा सका था ।

हिमाचल प्रदेश में छोटे भूमिधारी

†३६३६-च. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की कारसोग तहसील में तथा महासू ज़िले के कुछ प्रदेशों में छोटे भूमिधारियों को बाध्य किया जा रहा है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी ज़मीनें पैसे वाले व्यक्तियों को बेचें ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अनुसार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं हैं कि छोटे भूमिधारियों को अपनी जमीनें पैसे वाले व्यक्तियों को बेचनी पड़ें ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अवयस्क टैक्सी ड्राइवर

†३९३६-छ. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में कितने ही अवयस्क टैक्सी ड्राइवर टैक्सियाँ चला रहे हैं ;

(ख) वह कितने हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या यातायात के कानून तथा नियमों के उल्लंघन के अतिरिक्त यात्रियों की जान को इससे खतरा नहीं रहता है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दिल्ली में यातायात पुलिस के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिनांक २२-५-१९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के उत्तर में शुद्धी

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में श्री ईश्वर रेड्डी द्वारा दिनाँक २२-५-१९६२ को लोक-सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ के भाग (ग) के उत्तर में मैं ने बताया था कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को यह नहीं बताया था कि धनाभाव के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश के अन्य ज़िलों में सड़क परिवहन सेवाओं का प्रस्ताव रुका पड़ा है । बाद में प्राप्त सूचना में राज्य सरकार ने बताया कि आर्थिक साधनों की कमी के कारण सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण तीसरी योजना में आन्ध्र प्रदेश के तीन अथवा चार जिलों में किया जायेगा । शेष जिलों में चौथी योजनावधि में ही राष्ट्रीयकृत सेवायें लागू करना संभव होगा ।

स्थगन प्रस्ताव

भारतीय राज्य-क्षेत्र में चीनियों द्वारा कथित अतिक्रमण का समाचार

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ ने एक स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी है । स्थगन प्रस्ताव कल सभा-पटल पर रखे गये पत्र-व्यवहार पर आधारित है क्या माननीय प्रधान मंत्री उस के सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमेशा की तरह, हमने पूरा पत्र-व्यवहार सभा पटल पर रख दिया है। समाचारपत्रों में उसकी बिलकुल सही तसवीर पेश नहीं की है।

सचाई तो यह है कि इस क्षेत्र में हमारी ओर से और चीन सरकार की ओर से भी सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। हमारी गतिवविधियों के कारण, हमारी टुकड़ियों द्वारा कभी कभी चीनी चौकियों के पीछे तक पहुंच जाने के कारण, चीनियों को कुछ आशंका हो गई है और उन्होंने भी कुछ कदम उठाये हैं ये सारी हलचलें एक छोटे से क्षेत्र में सीमित हैं। उनको नयी घुस-पैठ कहना सही नहीं होगा। हालाँकि यह सब कुछ आधे मील से दो मील तक के क्षेत्र में हुआ है।

इन मामलों के सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं पहले की अपेक्षा अब स्थिति भारत के लिये अधिक सुविधाजनक है। हम उन क्षेत्रों में सड़कें और अन्य संचार-सुविधायें जुटा रहे हैं। हमारी सेना काफी अच्छे किस्म की है, पर उसकी संख्या पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई सेना को वहां भेजने और उनको खाद्य पदार्थ पहुंचाने की है। मैं यह भी नहीं कहता कि स्थिति सौ प्रतिशत सन्तोषप्रद है। हां, लेकिन दिन-दिन अच्छी होती जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हाल की घुस-पैठ का उल्लेख समाचारपत्रों में जिस ढंग से किया गया है उससे कुछ भ्रांतियां पैदा होती हैं। इसीलिये मैंने प्रधान मंत्री से वक्तव्य के लिये कहा था। सभा को इसके बारे में आश्वस्त किया जाना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पत्र-व्यवहार में हाल की घुस-पैठ का उल्लेख है। समाचारपत्रों ने उसकी कुछ सुर्खियां ले ली हैं। हमारे पत्रों में चीन की टुकड़ियों की गतिविधियों का हवाला दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर वास्तव में वे कहीं आगे नहीं बढ़े हैं। हां, कुछ सौ गज आगे-पीछे हुए हों शायद।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को देखते हुए, शायद माननीय सदस्य अपने स्थगन प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): स्थिति में सुधार होने की सूचना देने के लिये मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। यह देश के लिये बड़े महत्व की चीज़ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इसके बाद मैं स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं समझता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं,मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) विवरण संख्या १ पहला सत्र १९६२
(तीसरी लोक-सभा)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १ सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक–सभा)

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ३ पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक–सभा)

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक–सभा)

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २२ दसवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक–सभा)

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१ से ८५ तक]

त्रिपुरा मोटरगाड़ी नियम में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा मोटरगाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ मई, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ०४(२)—एम० वी०/६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२१२/६२]

कृषीय उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम, अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : मैं श्री सु० कु० डे की ओर से, कृषि उत्पादन (विकास तथा भाण्डागार) निगम, अधिनियम, १९५६ की धारा (३) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२१३/६२]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६२ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा पोषण अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा पोषण अधिनियय, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २ और ३, अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, २ और ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले द्वितीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले द्वितीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उनके लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, २ और ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, २ और ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)**: मैं डा० का० ला० श्रीमाली की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जो २३ अप्रैल, १९६२ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)** : इसका प्रस्ताव रखते समय माननीय शिक्षा मंत्री को स्वयं सभा में उपस्थित रहना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महादय** : अच्छा तो यही होता । मैं माननीय सदस्यों की भावना माननीय मंत्री तक पहुंचा दुंगा । मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव पर चर्चा के समय यहां उपस्थित होना चाहिये था । श्री मुकर्जी भाषण करें ।

†**श्री हीं० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–मध्य) : माननीय मंत्री की अनुपस्थिति से शिक्षा की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार के रवैये का पता लगता है ।

†**अध्यक्ष महादय** : संसद् की दोनों सभाओं की बैठक एक साथ हो रही है । संभव है माननीय मंत्री का दूसरी सभा में उपस्थित रहना आवश्यक हो । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री बहुत शीघ्र यहां आ जायेंगे ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है । मेरे विचार में देश के सामने यह सब से महत्वपूर्ण समस्या है । एक ओर तो हम इस बात के लिए चिन्तित हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अवसर देने चाहियें और हम यह भी चाहते हैं कि शिक्षा स्तर गिरना नहीं चाहिए । हमें दोनों पहलुओं में सन्तुलन रखना है । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया है । उन्होंने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और इस प्रश्न पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया है ।

इस समिति ने सिफारिश की है कि जहां कहीं विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं वहां प्रत्येक राज्य में एक संघ विश्वविद्यालय खोला जाए । संघ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसन्धान के लिए अच्छी सुविधाएं देता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात के लिए बहुत चिन्तित है कि कि हमें अपने स्नातकोत्तर विभागों और अनुसन्धान को ठीक रास्ते पर चलाना चाहिए । इसलिए आयोग राज्य सरकारों को सलाह दे रहा है कि जहां नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहेहैं वे संघ विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों को सुझाव दिया है कि इन्दौर और जोधपुर में संघ विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं ।

इस प्रतिवेदन ने नये विश्वविद्यालयों के लिए कुछ कसौटियां निर्धारित की हैं । पहले राज्य सरकार का विश्वविद्यालय स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चत करना चाहिए कि इस के पास आवश्यक योग्यताओं वाले अपेक्षित अध्यापक हैं । विश्वविद्यालय स्थापित करने से पूर्व इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्नातकोत्तर अनुसन्धान के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों । विश्वविद्यालय स्थापित करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों ।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कुछ थोड़े से विषयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उच्च स्तर के विशेषज्ञ अध्ययन के लिए चुनना चाहिए । कुछ विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए । यह प्रतिवेदन बहुत कीमती लेख्य है और आशा है कि राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय इस पर पूर्णतया विचार करेंगे ।

यह प्रतिवेदन परीक्षा प्रणाली का भी जिक्र करता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कई वर्षों से इस प्रश्न पर विचार करता रहा है और इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति ने अब प्रतिवदन प्रस्तुत कर दिया है और आयोग ने सिफ़ारिशें

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

स्वीकार कर के विश्वविद्यालयों से अपनी रायें भेजने के लिए कहा है । आयोग में की गई सिफ़ारिश के विपरीत, परीक्षाओं की संख्या कम होने की बजाय बढ़ गई है जिस से समय नष्ट होता है ।

परीक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश यह की है कि विद्यार्थियों की परीक्षा दो या तीन साल बाद करने का कोई लाभ नहीं है । हर सप्ताह या पंद्रहवाड़े या मास में उनके काम का मूल्यांकन किया जाय और इस मूल्यांकन को अन्तिम परीक्षा के लिए ध्यान में रखा जाये ।

आयोग अध्यापकों के वेतन-क्रमों को सुधारने के प्रश्न को बहुत महत्व देता है । जैसाकि सदन को ज्ञात है, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वतन-क्रम बढ़ा दिये गये हैं और अब अधिक योग्य व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सकेगा । ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी सेवाओं को बनाये रखा जाये, ताकि वे अन्य नौकरियों के लिए कोशिश न करें । ये नये वेतन-क्रम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शुरू किये गये थे किन्तु बहुत से राज्य विश्वविद्यालयों जैसाकि पंजाब, कलकत्ता, इलाहाबाद, आंध्र, गौहाटी, करनाटक, केरल, मद्रास, नागपुर,पटना आदि ने भी इन्हें अपना लिया है ।

जहां तक सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने का सम्बन्ध है, अभी स्थिति संतोष-जनक नहीं हुई । किन्तु वहां भी बहुत से कालेजों ने लाभ उठाया है । २५ विश्वविद्यालयों के ४२७ कालेजों में जिन में १२,५०० अध्यापक हैं, वेतन-क्रम बढ़ा दिये हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि सम्बद्ध कालेजों और राज्य सरकारों से बराबर के अनुदान नहीं मिल रहे ।

आयोग ने विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्म ऋतु के स्कूल और गोष्ठियां आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है तथा उनकी सहायता भी की है । इस वर्ष ऐसे ३० स्कूल और गोष्ठियां खोली जायेंगी ।

यह विश्वविद्यालयों के बीच अध्यापकों की अदला-बदली की योजना भी बना रहा है । इस प्रकार का सहयोग न केवल राष्ट्रीय एकता के लिए बल्कि विश्वविद्यालयों का स्तर ऊंचा करने के लिए अत्यावश्यक है । विश्वविद्यालय किसी प्रदेश के नहीं, सारे देश के बल्कि सारे विश्व के होते हैं । यह बहुत अच्छी बात होगी यदि यह प्रस्ताव क्रियान्वित हो जाये ।

मैंने पहले कहा था कि आयोग का उच्च शिक्षा के कुछ केन्द्र भी खोलने का विचार है । ऐसे पांच केन्द्र खोले जा चुके हैं । उसने तीन या चार विश्वविद्यालय चुन लिये हैं वहां ये केन्द्र विकसित किये जायेंगे । इस विशेष योजना के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के मामलों में अनुदान बराबरी के अनुदानों के आधार पर दिये जायेंगे,परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में समस्त जिम्मेदारी केन्द्र की होगी । यदि यह योजना सफल हो गई, तो इससे विश्वविद्यालयों का स्तर काफ़ी बढ़ जायेगा । इससे विश्वविद्यालयों को युवक प्रोफ़ेसर मिल सकेंगे । यदि हम ऐसे १२ केन्द्र खोल सकें, जहां प्रोफेसर और विद्यार्थी कुछ वर्षों तक इकट्ठा काम कर सकें तो इसी बात से ही विश्वविद्यालयों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

विश्वविद्यालय आयोग का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है । राज्य विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी हैं और आयोग उन्हें केवल विशेष परियोजनाओं के लिए सहायता देता है । इस वक्त वह सारे विश्व-विद्यालयों का उत्तर अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि इस के पास रुपया नहीं है । इसका आवंटन हम ने २५ करोड़ से ३५ करोड़ रुपये कर दिया है और इसे निरन्तर बढ़ाया जा रहा है । यह अनुसंधान और उच्च शिक्षा में अधिकाधिक रुचि ले रहा है । इसी बात के संतोषजनक होने से ही राज्य विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़ सकेगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं माननीय मंत्री से इस बात पर सहमत हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों क अध्यापकों के वेतन-क्रम बढ़ाने के विषय में अच्छा काम किया है। परन्तु उच्च शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में दूरदर्शिता से काम नहीं लिया गया। आयोग केवल एक सरकारी विभाग बन कर रह गया है। इसे राज्य के विश्वविद्यालयों पर उससे अधिक प्रभाव डालना चाहिये, जितना कि अब डाला जा रहा है। राज्य सरकारों ने कई मामलों में आयोग की सलाह की उपेक्षा की है और बहुत से विश्वविद्यालय आयोग से परामर्श किये बिना स्थापित किये हैं। इस बात की आवश्यकता है कि आयोग की हमेशा सलाह ली जाये।

प्रतिवेदन के पढ़ने से बहुत सी समस्याओं का पता चलता है। एक समस्या तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की है। मैं जानता हूं कि देश इस बात को मानता है कि वर्तमान परिस्थितियों में यही उत्तम है और इसको अपनाना चाहिये। मैं स्वयं इस का समर्थन करता हूं किन्तु तथ्य यह है कि बम्बई विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कलकत्ता में इसके विरुद्ध शिकायतें की गई हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रणाली के कार्यकरण की जांच की गई है या नहीं। मेरे विचार में इस मामले की जांच निरंतर होती रहनी चाहिये। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स समस्त देश में एक समान रूप से लागू किया जाये और वह केवल प्रयोग मात्र न रहे।

परीक्षाओं के सुधार के मामले में आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखा जाना चाहिये। उस समिति के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिये।

शिक्षा के मामले में निस्संदेह कहीं कहीं अच्छा काम हो रहा है, किन्तु यह शिकायत आम है कि शिक्षा के स्तरों में गिरावट आ रही है। इस गिरावट को रोकने के लिए जो उपाय किये जायें, उन्हें बड़ी सावधानी से लागू करना चाहिये। इसीलिये आयोग ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या को अधिक गंभीरता से हल करने की कोशिश की है। प्रतिवेदन के पृष्ठ २४ से २७ तक उन संविधाओं की चर्चा की गई है, जो अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए विद्यार्थियों को दी गई हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आयोग ने स्वास्थ्य कन्द्रों के लिए जो रकम दी है, वह बहुत कम है। विद्यार्थियों के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उसे बढ़ाया जाना चाहिये। अन्य सुविधाओं पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये।

आयोग के प्रतिवेदन में वैज्ञानिक शिक्षा के विकास का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में यह बात चिन्ताजनक है कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में विज्ञान के विद्यार्थियों का प्रतिशत कम होता जा रहा है। विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिये अधिक गंभीर प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में तथा शिक्षा मंत्रालय के कार्यों में अच्छी तरह समन्वय होना चाहिये। जहां तक इस देश में वैज्ञानिक अनुसंधान का सम्बन्ध है, इस की दशा बहुत खराब है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ऐसे पदाधिकारी भी हैं, जो ज्यादातर देश के बाहर रहते हैं।

मंत्री महोदय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया है। दक्षिण में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। राष्ट्रीय एकता के हित में वहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना आवश्यक है। उस्मानिया विश्वविद्यालय को भी केन्द्र के अधीन लाया जा सकता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डी० ना० मुकर्जी]

आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में टैगोर विभाग स्थापित करने के काम को काफ़ी धन और प्रोत्साहन दिया है, किन्तु उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि उस धन का उपयोग कैसे किया जाये। इस की बजाय यदि जनसाधारण के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाये, तो अधिक उपयुक्त होगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन के लिए विशेष सुविधाएं दे रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु इस सम्बन्ध में डा० रघुवीर चीन तथा मंगोलिया से बुद्ध धर्म के अध्ययन सम्बन्धी जो सामग्री लाये थे, भारत सरकार को उसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो, इस प्रश्न को केवल सैद्धान्तिक प्रश्न समझना गलत है, वह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। लोग सिवाये अपनी भाषाओं के और कौन सी भाषाओं में सीखेंगे ? हमें शीघ्र से शीघ्र भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना है। विश्वविद्यालय के उच्चम स्तर तक विज्ञान भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है।

शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा होनी चाहिये। इसलिये अंग्रेज़ी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को लाने के लिये योजना बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। आयोग को पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम शुरू करना चाहिये। पुस्तकें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहियें ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : अपने दो पूर्व वक्ताओं से मैं बिलकुल सहमत हूं कि विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने अच्छा काम किया हैं, परन्तु उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिये और उसे अधिक धन उपलब्ध किया जाना चाहिये ताकि मनुष्य की बुद्धि और चरित्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विश्वविद्यालय लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर की तीन श्रेणियों की प्रणाली को छोड़ कर दो श्रेणियों की प्रणाली में अपनालें यह भी आवश्यक हैं कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को रहने का स्थान दिया जाय। उनके लिये मकान बनाने के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

अंग्रेजी के स्थान पर हमारी राष्ट्रीय भाषाओं को लाने में कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। हमारी शिक्षा प्रणाली में असन्तुलन हैं जैसा कि इस बात से स्पष्ट हैं कि मानव शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या टेक्निकल विषयों के विद्यार्थियों से कहीं अधिक हैं। इस असन्तुलन को कम करनेके लिये कदम उठाये जाने चाहिये ।

यह खेद की बात हैं कि आयोग ने कृषि शिक्षा की ओर प्रर्याप्त ध्यान नहीं दिया हैं। आयोग के कृषि गवेषणा कार्यक्रमों और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के बीच निकट सम्पर्क स्थापित किये जाना चाहिये । आयोग को कृषि में अवर-स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिये ।

राष्ट्रीय एकता बढ़ाने और उससे सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम पचास हजार से एक लाख तक की छात्रवृत्तियां दी जानी जाहिये ताकि हम देश के योग्य व्यक्तियों से अधिकतम लाभ उठा सके। और कोई भी योग्य व्यक्ति केवल इस कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाये कि उसके पास उसके लिये साधन नहीं थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : विश्व विद्यालय अनुदान आयोग देश की शिक्षा प्रदर्शन करता हैं । इसका बहुत बड़ा महत्व हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

†देश में शिक्षा के वातावरण में परिवर्तन की आवश्यकता हैं । विद्यार्थियों में सामाजिक देश भक्ति की भावना जाग्रत की जानी चाहिय । देश में उच्चतर शिक्षा के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये । टेक्निकल शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय में निकट सम्पर्क होना चाहिये ताकि उनके कार्य में समन्वय रहे । स्वतंत्रता के बाद देश में नई सामाजिक शक्तियां पैदा हो गई हैं । अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रादेशिकता की भावना से की गई हैं । उसी संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर विचार किया जाना चाहिये । हमरे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एकता के केन्द्र होने चाहियें ।

हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि अंग्रेजी भारत में अपना स्थान बना चुकी हैं और वास्तव में यह हमारी राष्ट्रभाषाओं मे से एक बन गई हैं । उसे हटाने से देश की विभिन्न प्रदेशों का सम्बन्ध टुट जायेगा । शिक्षा के माध्यम के बारे में आयोग का दृष्टिकोण यथार्थवादी हैं । परिवर्तन को धीरे-धीरे करना होगा । अंग्रेजी का स्थान लेने के लिये हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं को अभी बहुत समृद्ध बनना होगा । मेरा निवेदन यह है कि हमें अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं को लाने की जल्दी नहीं करनी चाहिये । हमें सब से पहले इन भाषाओं को सभी विषयों की शिक्षा देने के समर्थ बनाना होगा ।

आजकल जो शिक्षा प्रणाली चल रही हैं उसमें ५० प्रतिशत विद्यार्थी असफल रहते है । इससे राष्ट्र को सामुहिक रूप में काफी हानि होती हैं । इस वर्तमान परीक्षा प्रणाली, जिससे विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले रटना पड़ता हैं, बदलना होगा । विद्यार्थियों के दैनिक कार्य पर विचार किया जाना चाहिये और उसके लिये कुछ प्रतिशत अंक सुरक्षित रखे जाने चाहिये । मुझे अपने आने वाली नसल पर पूर्ण विश्वास हैं । उनमें आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण करने का पूरा जोश हैं । हमें उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिये । हमें युवकों को अच्छी शिक्षा के लिये हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिये । गरीब से गरीब को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये पूरी सुविधाये प्राप्त होनी चाहियें । इसी प्रकार हम अपने देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर पायगे । बातों से काम नहीं चलेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की चर्चा करते हुए हम उसके अधिकार की बात बिल्कुल भूल ही जाते हैं । मेरे विचार में तो उसे कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है । जब इस आयोग का निर्माण हुआ था तो मैं इसकी सदस्या थी इसे ब्रिटेन के विश्वविद्यालय आयोग के अनुरूप बनाया गया था । इसका इतना ही काम था कि वह विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दे ताकि वह अपने स्तर में सुधार कर सकें ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न केवल विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देकर ही मजबूत बनाया हैं वरन उनका स्तर भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है और उनके आकार को भी बडा बना दिया हैं । ऐसी बात नहीं है कि यह सभी बातों में सफल रहा हैं, परन्तु वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हैं । इस सम्बन्ध में हमें यह अवश्य याद रखना चाहिये कि आयोग को स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों से साबका पड़ता हैं और उनकी इच्छा पर ही

†मूल अंग्रजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

बहुत कुछ निर्भर करता हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ विश्वविद्यालय अभी भी ऐस है जो पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं और उन्होंने अभी तक वे परिवर्तन नहीं किये है जो उन्हें करने चाहिये थे।

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूं। वह यह हैं कि हमें विश्वविद्यालयों के नाम के आगे से साम्प्रदायिक नाम हटा देने चाहिये। अतः मेरा निवेदन हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों के नामों स सम्बद्ध "हिन्दु" और "मस्लिम" शब्द हटा देने चाहियें।

यदि राष्ट्रीय एकता को मूर्त रूप देना हैं तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में उचित दृष्टिकोण का विकास हो और इस प्रयोजन के लिये केन्द्र प्रशासित विश्व-विद्यालय बहुत सहायक हो सकते हैं जिनमें सब राज्यों से विद्यार्थी आते है। इस सम्बन्ध में हमें विश्वभारती विश्वविद्यालय का अनुकरण करना चाहिये जहां के विद्यार्थियों का प्रत्येक समस्या के सम्बन्ध में अखिल भारतीय दृष्टिकोण हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने वर्तमान कार्य-क्षेत्र में भी इस प्रयोजन के लिये धन दे सकता हैं और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता की कुछ बातें ला सकता है।

हमने विश्वविद्यालय स्तर पर पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था नहीं की हैं। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिये। छात्रवृत्तियां देते समय विद्यार्थियों की रुचि का भी विचार किया जाना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को न केवल उन लोगों के लिये कालिजों का विस्तार करने का विचार करना चाहिये जो विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करना चाहते है वरन् उन लोगों के लिये भी अन्य साधन जुटाने चाहियें जो अन्य लाइनों में जाना चाहते है।

†**श्री रामेश्वरानन्द** (करनाल) : यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा
यस्यस मद्रं रसयासह आहु
यस्य इमाप्रदिशो यस्यबाहु :
कस्मै देवाय हविषा विधेम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,—

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : संस्कृत में ही भाषण अब कीजिये न जब कि आपने संस्कृत में शुरू किया हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : कौन समझेगा अगर मैं संस्कृत में भाषण करूंगा ? ये क्या लिख सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो आपको उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देना होगा।

श्री रामेश्वरानन्द : कल या परसों जब भी आप संस्कृत में भाषण सुनना चाहेंगे मैं सुना दंगा। अब मुझे आप हिन्दी में ही बोलने दीजिये, तंग न करें।

इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही हैं। हमारे इन सज्जनों ने अंग्रेजी को बहुत देर तक रखने की सिफारिश की है और कहा हैं कि अंग्रेजी रहनी चाहिये। क्यों

†मूल अंग्रेजी में

वह ऐसी सिफारिश न करें ? वे इंगलिश ही तो जानते है । यदि संस्कृत के वे विद्वान होते, यदि वे भाषाविज्ञ होते तब उनको दूसरी भाषाओं का पता चल सकता था। मैं किसी भाषा अथवा उसकी लिपि का विरोधी नहीं । परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरे देश के बच्चों पर दया की जाए। यहां मसलमान आये, उन्होंने हमें फारसी और अरबी पढ़ाई । अंग्रेज यहां आया, उसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई । अंग्रेज चला भी गया परन्तु अभी तक भी मेरे देश के बच्चों पर यही भाषा और लिपि को चिपकाये रखा जा रहा हैं । इस लिपि में कोई वैज्ञानिकता नहीं हैं। जिस भाषा में केवल २६ अक्षर है और वे भी अनेक प्रकर के बना दिये गये है और अक्षर उनमें स एक भी नहीं हैं, सब के सब शब्द संयुक्त है, उस भाषा को हम कैसे यहां रख सकते है । अक्षर उस कहते है जो केवल एक हो । इस तरह से किसी भाषा में वैज्ञानिकता निहित नहीं रहती । मैं चाहता हूं कि वैज्ञानिक भाषा के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें मैं आपके सामन रखूं। वेदों में छोटे से छोटे विज्ञान से लेकर बड़े स बड़े विज्ञान तक सबका विवरण हैं। आप मुझे छोटे से छोटे विज्ञान के सम्बन्ध में कहें, उसके बारे में भी मैं आपके सामने वेदों के मंत्र प्रस्तुत कर सकता हूं । अगर आप बड़े से बड़े विज्ञान के बारे में कहें तो भी मैं मंत्र आपको सुना सकता हूं ।

सूर्य की गति के सम्बन्ध में वेदों में बड़ा स्पष्ट विवरण हैं । वेद मानते है कि सूर्य लोक चलता हैं क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी स बड़ी वस्तु तक स्थिर नहीं रह सकती, न पृथ्वी पर और न ही अन्तरिक्ष में । सूर्य कितना महान हैं, इसके सम्बन्ध में कहा गया हैं :—

वट् सूर्य महानसि: ।

सूर्य इतना बड़ा लोक हैं कि पृथ्वी, चन्द्र आदि नक्षत्र, तथा सारे लोक लोकान्तर उसके सामने तुच्छ है, छोटे है । सूर्य न चले, अगर कोई ऐसा कहता हैं तो वह युक्ति शुन्य बात हैं । छोटे से छोटा परमाणु जो हैं, वह गति करता हैं । बड़े स बड़ा पार्थववादी लोक गति करता हैं । अगर यह कहा जाता हैं कि सूर्य गति नहीं करता तो यह बुद्धिशुन्य बात हैं, इसको कोई भी वैज्ञानिक स्वीकार नहीं कर सकता हैं । वेदों में मंत्र आया हैं :—

क: स्विद एकाकी चरित:

इस एक मंत्र में चार प्रश्न है। अकेला कौन विचरता हैं और नया नया प्रति दिन कौन होता है हिमस्य भेषजमे, जो मरने वाली वस्तु हैं, उसकी दवाई क्या हैं और कस्य मात्रा न विद्यते, कोन वस्तु आज तक मापी नहीं गई हैं ? इसका ठीक उत्तर आगे एक मंत्र में दिया गया है :—

सूर्य एकाकि चरति चन्द्रमा जायते पुन: अग्नि हिमस्य भेषजम् भूमि रावपनम् महत् ।

सूर्य मडल अकेला विचरता है और किसी के चारों तरफ नहीं घूमता और किसी की परिक्रमा नहीं करता और इस सूर्य मेंडल के चारों ओर भूमि विचरती है। अन्य प्रदेश क्यों खाली रह सकते हैं। जब हमारी पृथ्वी जहां विचरती है, इसके अतिरिक्त जो स्थान है, वह खाली कैसे रह सकता है। दो भूमियों के मध्य एक चन्द्रमा है। सूर्य के संबंध में वेदों में बड़ा स्पष्ट आया है :

वट सूर्य महानसि बड़ादित्य महानसि : ।

सूर्य महान है, उसके सामने कोई भी पार्थववादी लोक नहीं है। इसमें अनेक लोक हैं। सूर्य सब से बड़ा है, इसमें कई प्रजायें बसती हैं।

दूसरे स्थान पर प्रश्नों के रूप में भी आया है :

किम सूर्य समम ज्योति: ।

[श्री रामेश्वरानन्द]

इसमें भी चार प्रश्न हैं। सूर्य के समान ज्योति क्या है ? उसके समान प्रकाश करने वाली और कौन सी वस्तुऐं हैं ? समुद्र के समान और भी कोई तालाब है क्या ? और इसी पृथ्वी से बड़ी चीज क्या है कस्य: मात्रा न विद्यते: । कौन वस्तु ऐसी है जिसका आज तक माप नहीं हो सका है। इसका उत्तर दूसरे में दिया गया है :

ब्रह्म सूर्य समम् ज्योति: दौ समुद्र समम् सर:

इद्र: पृथव्ययै वरषीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते ।

सूर्य जिस तरह से स्वयं प्रकाशित है, उसी तरह से भगवान भी स्वयं प्रकाशित है, जैसे सूर्य औरों को प्रकाश देता है और अपने आप भी प्रकाशित होता है, वैसे ही भगवान भी औरों को ज्ञान देता है और अपने जानने का ज्ञान भी देता है। गोस्तु मात्रा न विद्यते। वाणी की विशेषता, महता आज तक किसी ने मापी नहीं है। केवल वेदों के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि सूर्य महान है। हम देखते हैं कि जब हम बम्बई या कलकत्ता जाते हैं या पाकिस्तान जाते हैं तो दिन के बारह बजे सूर्य हमारे सिर पर होता है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप यह विज्ञान के संबंध में सब कुछ कह रहे हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : विज्ञान से यह संबंधित है। यह एक महान विषय है। मैंने अंग्रेजी की ए० बी० सी० पढ़ने का लाभ नहीं उठाया है। साधारण से साधारण और बड़े से बड़े विषय का ज्ञान मुझे वेदों से मिलता है।

मैं यह कह रहा था कि सूर्य महान है और कैसे महान है, इसको आप सुनें। मैं कह रहा था कि दिन के बारह बजे जब बम्बई या कलकत्ता जाते हैं, तो सूर्य हमारे सिर पर जान पड़ता है। जब हम हिमालय पर जाते हैं तब भी सूर्य हमारे सिर पर जान पड़ता है। कहीं पर भी आप चले जायें बारह बजे सिर के ऊपर सूर्य जान पड़ता है। यह हाल कमरा है। यह सारी दिल्ली के सिर पर नहीं दिखाई पड़ेगा। सारे देश के सिर पर सूर्य दीख पड़ेगा। इस वास्ते सूर्य महान है। लेकिन यह छोटा क्यों दिखाई देता है। इसलिये यह छोटा दिखाई देता है कि यह हजारों और लाखों कोस दूर है, इसलिये इस तक जाते जाते हमारी दृष्टि छोटी होती जाती है, इस वास्ते वह छोटा दिखाई देता है।

विज्ञान संस्कृत भाषा में निहित है। मैं कहूंगा कि आपके विश्वविद्यालयों में वेद पढ़ाये जाने चाहियें, वेदों की ११२७ शाखायें पढ़ाई जानी चाहियें। मुसलमानों के समय में इन पुस्तकों को जलाया गया, अंग्रेज के समय में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मुझे दु:ख है कि मेरे यहां आज राम राज्य होते हुये भी प्राचीनतम भाषा संस्कृत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम पर दोष लगाया जाता है कि हम लोग दक्षिणी भाषाओं के विरोधी हैं। मैं कहता हूं कि यह बात शत प्रतिशत झूठ है। हम इन भाषाओं के बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं। मैं चाहता हू कि मेरे देश की जितनी भी प्रांतीय भाषायें हैं वे फलें फूलें। मेरे देश की भाषाओं में हमारी प्राचीन सभ्यता भरी पड़ी है, ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन कम से कम इस ऐबों की सीढ़ी को तो आप जाने दो यहां से। ए० बी० सी० डी० या जो कुछ भी आप इसको कहें, इसको तो इस देश से जाने दीजिये। अंग्रेज चला गया, फिर इस कलंक को हमारे सिर पर आप क्यों रखे हुये हैं। कब तक आप इसके साथ चिपके रह सकते हैं ? आप विश्वविद्यालयों में इंग्लिश के स्थान पर हिन्दी को लाइये और प्रांतीय भाषाओं को द्वितीय भाषा के रूप में लाइये।

आज यह कहा जाता है कि अंग्रेजी के बिना एक दूसरे के भावों को नहीं समझा जा सकेगा। मैं कहता हूं कि यह मिथ्या दलील है। जब अंग्रेज नहीं थे तो उस समय इस देश के लोग रामेश्वरम् से लेकर काश्मीर तक जब जाते थे तो किस भाषा में बात करते थे? उस समय गीर्वाणी चलती थी। संस्कृत को आप आगे लायें। लेकिन आज इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसको विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं आने दिया जाता है? मुझे दुःख है कि विद्यार्थियों से जब कभी मैं पूछता हूं कि तुम ने क्या संस्कृत ली है तो वे कहते हैं नहीं जी, नहीं ली है। जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं ली है तो जवाब मिलता है कि साइंस में जाना है, इसलिये अगर संस्कृत लेंगे तो साइंस में जाने नहीं दिया जायेगा। मेरे देश के बच्चे इस तरह से आज मेरी भाषा से, मेरी संस्कृति से विश्व विद्यालयों में शून्य रखे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हू कि सस्कृत भाषा में विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? विज्ञान अनन्त है क्योंकि ज्ञातव्य वस्तुएं अनन्त हैं। विज्ञान सीमित नहीं है। आपके विश्वविद्यालयों में विज्ञान पढ़ाया जाता है, ठीक है पढ़ाया जाना चाहिये। लेकिन इस विज्ञान को कौन जानता है, उसके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिये। आज अन्य भाषाओं में शिक्षा दी जाती है इसलिये जीवात्मा के संबंध में नहीं पढ़ाया जाता। जो सब कुछ जानता है वह अपने आपको नहीं जानता। मैं पूछता हूं कि जो इतना भी नहीं जानता उसको लखनऊ भेजना होगा या नहीं?

कुछ माननीय सदस्य : आगरे, आगरे।

श्री रामेश्वरानन्द : तो चलो आगरा ही सही। मेरा तो इतना ही ज्ञान था सो मैंने कह दिया।

तो मैं पूछता हूं कि क्या जीवात्मा विज्ञान नहीं है। यदि आप जीवात्मा को नहीं मानते तो मैं उसके संबंध में युक्ति देना चाहता हूं। यदि जीवात्मा नहीं है तो मेरे हस्त पादादि का संचालन कौन कर रहा है?

एक माननीय सदस्य : भगवान।

श्री रामेश्वरानन्द : भगवान की आप बात करते हैं तो जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूं उस समय भी तो भगवान रहता है, वह क्यों इसका संचालन नहीं करता। भगवान का एक छोटा साथी जीवात्मा भी है। भगवान विश्व का संचालन करता है, और जीवात्मा इस शरीर का संचालन करता है। यदि जीवात्मा न हो तो भगवान सृष्टि को कैसे बनाये। कोई भी वस्तु बनाने वाला तभी बनाता है जब उसकी जरूरत होती है। जैसे घर में भोजन तभी बनता है जब कोई खाने वाला हो। चाहे बनाने वाला भले ही बैठा रहे और घर में दाल आटा भी हो, लेकिन अगर कोई खाने वाला नहीं है तो बनायेगा किसके लिये।

एक माननीय सदस्य : हलवाई तो बनाता है चाहे खाने वाला न हो।

श्री रामेश्वरानन्द : लेकिन अगर उसका सामान कोई लेने वाला न हो तो वह क्यों बनायेगा। उसकी तो दुकान ही उठ जायेगी।

तो वेद में इसका स्पष्ट वर्णन है कि ईश्वर है, जीव है और प्रकृति है। परमेश्वर बनाता है जीवात्मा के लिये, अपने लिये नहीं। अपने लिये तो उसे कुछ नहीं चाहिये क्योंकि वह तो पूर्ण है। तो ईश्वर जीवात्मा के लिये बनाता है। अगर जीवात्मा न हो तो ईश्वर बनाये किसके लिये और अगर प्रकृति न हो तो बनाये किससे। कोई भी भोजन बनाने वाला दाल आटे के बिना नहीं बना सकता। यह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो लेकिन अगर घर में दाल आटा न होगा तो वह भोजन नहीं बन सकेगा। कुमार को बर्तन बनाने के लिये मिट्टी की जरूरत होती है।

[श्री रामेश्वरानन्द]

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप सारे कला कौशल पढ़ायें लेकिन हमारे विज्ञान को भी पढ़ायें। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि हमारी भाषा में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती।

तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जीवात्मा एक ऐसी ही नित्य वस्तु है जैसा कि परमात्मा है और जो नित्य है उसका अभाव नहीं हो सकता और जिसका अभाव है उसका भाव नहीं हो सकता। हम थे तभी यहां आये हैं, न होते तो कैसे आते। और यहां से जायेंगे तो भी कहीं न कहीं जायेंगे, यह नहीं हो सकता कि हमारा अन्ताभाव हो जाये। जो लोग कहते हैं कि जीवात्मा नहीं है वे इन प्रश्नों का उत्तर दें। जीवात्मा नित्य है। यदि वे आज यहां मोजूद हूं तो पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। मेरा अभाव नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा कण दे देता हूं। उसे कोई वैज्ञानिक खोकर दिखाये। जब एक छोटा सा कण नहीं खोया जा सकता तो जो जीवात्मा इस शरीर में है उसको कैसे खोया जा सकता है। उसको नहीं खोया जा सकता। यह ठीक है कि हम और आप कहीं थे, अब आ गये हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिये परमात्मा नित्य है, जीवात्मा नित्य है और प्रकृति भी नित्य है। यदि प्रकृति न हो तो परमात्मा किससे बनाये। इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि इंगलिश के द्वारा ही विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है उनको मैं कहूंगा और मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय को कहूंगा कि संस्कृत भी पढ़ावें क्योंकि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, इससे प्राचीन कोई भाषा नहीं है इसमें स्वाभाविकता है। उसके ६१ अक्षर हैं और आप संसार भर की किसी भाषा का शब्द लायें उसमें लिखा जा सकता है। आप इंगलिश में पानी से वाटर कहते हैं, लेकिन अगर इसका कारण पूछा जाये कि आप पानी को वाटर क्यों कहते हैं, तो आप नहीं बता सकेंगे। लेकिन हमसे अगर कोई ऐसा प्रश्न करेगा तो उसको उसका उत्तर मिल सकता है क्योंकि हमारी भाषा स्वाभाविक है और वैज्ञानिक है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आप देश को उस तरफ लौटायें। और मैं किससे आशा करूं। कौन लायेगा इसको लौटा के? आप ला सकते हैं, आप देश के कर्णधार हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली संतान कहेगी....

एक माननीय सदस्य : हम तो नहीं समझेंगे।

श्री रामेश्वरानन्द : आप न समझें तो न समझें। लेकिन देश आज आपके लिये नहीं बनाया जा रहा है। मैं उनके बारे में कह रहा हूं जिनके लिये आज आप नहरें और बांध बना रहे हैं। जो आने वाली संतान है उसके लिये भाषा की आवश्यकता है। उनके लिये भाषा बनायी जानी चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद किसी ने दिया या कृपा करके दिया है। और मैं फिर भी कहता हूं कि आप हिन्दी को नहीं चाहते तो सारे देश की राय ले लें और जिस भाषा के अधिकतर लोग चाहते हैं उसको राष्ट्रभाषा बनायें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज हमारा देश स्वतंत्र है इसलिये मैं ऐसा कहता हूं। यदि देश स्वतंत्र न होता तो आप अंग्रेजी को चलने देते। लेकिन स्वतंत्र देश के लिये तो अपनी भाषा आवश्यक है। आप देश की राय लेकर किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा स्वीकार कर लें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन आपको उसके लिये सारे देश की राय लेनी चाहिये केवल इस कमरे में बैठने वालों की नहीं।

आज भी देश में कितने लोग इंगलिश जानते हैं। आज अवस्था यह है कि जिन लोगों की राय से हम यहां आये हैं उनमें से ७५ प्रतिशत के लिये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अंग्रेजी तो जानने का सवाल ही क्या है। इसलिये मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि आप देश को इधर लौटायें और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जब भी कोई इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार कराई जाये तो उसको

तैयार करने वालों को साथ कुछ संस्कृत जानने वालों को भी रखा जाये। हमारी इतनी उपेक्षा न की जाये। महाभारत से लेकर आज तक हमको किसी ने नहीं पूछा। मुसलमान ने इसलिये नहीं पूछा क्योंकि वह समझता था कि ये विरोधी हैं। ईसाइयों ने भी नहीं पूछा। तो अब हम कहां जायें? एक बात मैं और भी कह देना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : पंडित जी भी नहीं पूछते।

श्री रामेश्वरानन्द : मैंने स्पष्ट कहा है कि आज भी हमको नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत के विद्वान सात्विक होते हैं। आप अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि अमुक व्यक्ति ने रेल या ट्राम के नीचे आकर जान दे दी, लेकिन किसी संस्कृत के विद्वान के बारे में आप ऐसा नहीं पायेंगे क्योंकि यह इस भाषा की विशेषता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मुथिया।

†**श्री मुथिया** (तिरुनेलवेली) : विश्वविद्यालय आयोग अनुदान का वर्ष १९६०–६१ का प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि आयोग उच्चतर शिक्षा के लिये कितना बहुमूल्य कार्य कर रहा हैं। राज्यों और केन्द्र के विश्वविद्यालय को १९६०–६१ में ३३०·९ लाख रुपयों के अनुदान दिये गये हैं।

इसी के फलस्वरूप द्वितीय योजना काल में विज्ञान की स्नातकोत्तर विभागों की संख्या ३६३ के बढ़कर ४६६ हो गई है। खगोल विद्या तथा खगोल भौतिक विज्ञान और भू-भौतिकी के दो नये विभाग खोले गये हैं। विश्वविद्यालयों में १०३ नये स्नातकोत्तर विभाग खुले हैं। स्नातकोत्तर विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी लिखी हुई स्पीच को यहां हाउस में पढ़ रहे हैं जोकि मुनासिब नहीं लगता है। अलबत्ता अपनी तकरीर के दौरान वह अपने नोट्स को कभी कभी रैफर कर सकते हैं लेकिन बिलकुल उसको पढ़ते जाना मुनासिब नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : सभा में लिखे हुए भाषणों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उनको देख सकते हैं।

†**श्री मुथिया** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने द्वितीय योजना काल में नये इंजीनियरिंग कालेज, पोलीटेकनीक संस्थायें, स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम खोलने में सहायता दी है। आयोग ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक दौरों का आयोजन करने के लिये उत्साहित किया है और उसका ५० प्रतिशत व्यय वह स्वयं देता है।

स्नातकोत्तर शिक्षा देने वाली अनुसंधान संस्थाओं में नये विषयों के लिये नये विभाग खोलने के लिये तीन लाख रुपये दिये गये हैं। अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिये ढाई सौ और चार सौ रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्तियां (फेलोशिप) दी गई हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय को चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चालू करने के लिये १७ लाख रुपये दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मीथया]

१९६०–६१ में विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की संख्या १० लाख हो गई थी, जबकि १९५६–५७ में वह ८ लाख ही थी। छात्राओं की संख्या १९५६–५७ में १०६ लाख की थी, जो १९६०–६१ में १७२ लाख हो गई। स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं की संख्या १९५६–५७ में ३६,००० ही थी, जो १९६०-६१ में ६३००० हो गई। इसी प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में भी ४३ प्रतिशत वृद्धि हुई हैं।

देश में कालेजों की संख्या तो बढ़नी चाहिये, पर वह भी ध्यान रखना चाहिये कि शिक्षा का स्तर न गिर पाये।

आयोग ने मद्रास, बम्बई और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को एक करोड़ रुपये के अनुदान दिये है और सौ साल पुराने प्रत्येक कालेज को एक लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया है। गांधी जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं, शिक्षा संबंधी चलचित्रों के प्रदर्शन और उच्चतर प्रकार की पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिये विशेष अनुदान दिये गये है।

कम्बरामायण और बाल्मीकि रामायण के प्रकाशन के लिये विशेष अनुदान दिये गये है। आयोग को सभी धर्मों के पवित्र ग्रन्थों के विशेष उद्धरणों को सभी भाषाओं में प्रकाशित करने का आयोजन करना चाहिये। उससे देश की एकता को बल मिलेगा।

अनुसंधानात्मक निबंधों के प्रकाशन के लिये अनुदान दिये जाते हैं। आयोग गैर प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन के लिये पुरस्कार देता है।

आयोग ने शिक्षा के माध्यम की समस्या के अध्ययन के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था। उसकी सिफारिश है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर पर विज्ञान और तकनीक और अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अंग्रेजी बनाये रखनी चाहिये।

विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिये यह भी जरूरी हैं कि अध्यापक और प्राध्यापक गण उचित किस्म के हों। साथ ही, समाजसेवा संस्थाओं और सांस्कृतिक संगठनों का भी विकास आवश्यक हैं।

आयोग ने सिफारिश की है कि अन्तिम परीक्षा को ही सर्वाधिक महत्व देकर पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की कुशलता पर जोर देना चाहिये। विद्यार्थी की पूरे वर्ष की प्रगति देखनी चाहिये।

विश्वविद्यालय-पूर्व पाठ्यक्रम में एक वर्ष और बढ़ा देना चाहिये। इसलिये कि हाई स्कूल पास करने वाले विद्यार्थी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से पढ़कर आते है। उनको अंग्रेजी में विषय समझने योग्य बनाने के लिये कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये। विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम दो वर्ष का और डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिये। यही मेरा सुझाव है।

†डा० का० ला० राव (विजयवाड़ा) : भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करके बड़ी बुद्धिमानी की है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ४४ विश्वविद्यालयों के १० लाख विद्यार्थियों के लिये ५.४ करोड़ रुपये के अनुदान दिये है, जबकि इंगलैण्ड में विश्वविद्यालय अनुदान समिति ने २२ विश्वविद्यालयों के १ लाख विद्यार्थियों के लिये ८० करोड़ रुपये के अनुदान दिये ।

इससे स्पष्ट है कि हमें ज्यादा खर्चीली योजनाओं और ऊंची ऊंची इमारतों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये ।

भारत ने विज्ञान युग में कुछ विलम्ब से पदार्पण किया हैं। अभी हमारे यहां विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल २६ प्रतिशत हैं, जबकि उसे कम से कम ४० प्रतिशत होना चाहिये। विज्ञान और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का अनुपात अभी काफी बढ़ना चाहिये।

इंजीनियरिंग और विज्ञान में सामंजस्य पैदा करना चाहिये।

आयोग ने विज्ञान और इंजीनियरिंग पर अभी केवल चार चार करोड़ रुपये व्यय किये है। इसमें काफी वृद्धि होनी चाहिये।

देश की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से विद्यार्थियों की किस्म में काफी सुधार होना चाहिये। शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा रहना चाहिये।

आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना करनी चाहिये। उससे विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ेगा। विद्यार्थियों को नये नये यंत्र और विज्ञान के चमत्कार देखने का अवसर मिलना चाहिये ।

विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के समान बनाये जाने चाहिये। पुस्तकालयों को विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों के अनुवाद की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

प्राचीन भारत, गणित, ज्योतिषी, इंजीनियरिंग, इत्यादि कई विज्ञान सम्बन्धी विषयों में काफी बढ़ा चढ़ा था। प्राचीन काल में कई बड़ेबड़े बांध बने थे। हमें उनका अध्ययन करके, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिये। हमारे पुर्वज गैलीलियो से बहुत पहले जान चुके थे कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमें प्राचीन भारत के विज्ञान का एक इतिहास तैयार करना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उसने प्रतिवेदन में तकनीकी शिक्षा के बारे में दो बातें कहीं है। पहली यह कि तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में उसका क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालयों तक सीमित हैं, इंजीनियरिंग कालेज वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक कार्यमंत्रालय के अधीन है। दूसरी यह कि प्रबन्ध के क्षेत्र में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ही अनुदानों और इंजीनियरिंग कालेजों की विकास-परियोजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय करती हैं। यह गलत है।

इंगलैंड में विश्वविद्यालयों को सरकार के हस्तक्षेप से दूर रखने के लिये ही तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाई गई थी। राज्यों के इंजीनियरिंग कालजों को आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना गलत है। सभी इंजीनियरिंग संस्थाओं को आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिये। यह बड़ी गलत सी व्यवस्था है कि १०० इंजीनियरिंग संस्थाओं में से केवल २० ही आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है। शेष ८० इंजीनियरिंग कालेजों का प्रबन्ध भी आयोग के हाथ में होना चाहिये ।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की नियुक्ति १९४५ में, युद्ध के हाल ही बाद, तकनीकी लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये हुई थी । विश्वविद्यालयीय तकनीकी शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं था। उसमें इंजीनियरों को तो बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिलता है। अत्यावश्यक है कि इंजीनियर लोग ही परिषद् को चलायें और विकसित करें। अभी तो उसके दो तिहाई सदस्य ऐसे होते है जिनका इंजीनियरिंग से कोई वास्ता ही नहीं । यह बड़ा गलत है ।

इंजीनियरिंग के दो पाठ्यक्रम बिलकुल अलग-अलग होते हैं--डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम। दोनों के भिन्न-भिन्न प्रयोजन और उपयोगिता है। इसलिये दोनों क लिये एक बोर्ड नहीं होना चाहिये। इसके लिये आयोग को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहिये।

इंगलैण्ड में प्राध्यापकों का आधा समय अनुसंधान कार्य में लगता है । उससे विज्ञान की प्रगति में सहायता मिलती है । हमारे यहां भी अनुसंधान कार्य को इतना ही महत्व दिया जाना चाहिये।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनुसंधान कार्य को महत्व देना चाहिये।

अन्त में मुझे इतना और कहना है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा बड़ी व्यय साध्य होती हैं। इसलिये, इंगलैण्ड की तरह, हमारे यहां भी ७० प्रतिशत इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को कोई न कोई छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। सरकार को ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिये।

विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने देश की प्रगति में सराहनीय योग दिया है।

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्री ही० ना० मूकर्जी ने बौद्ध दर्शन के अध्ययन जैसे अविवाद-ग्रस्त विषय को लेकर भी डा० रघुवीर की अनावश्यक आलोचना की है। कम्यूनिस्ट दल को ऐसे मामलों में तो दलगत दृष्टिकोण से ऊपर उठना चाहिये।

कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत के मठों के दमन के बाद, अब भारत सरकार को बौद्ध दर्शन के अध्ययन को जारी रखने का प्रयास करना चाहिये। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस दिशा में बिलकुल सही कदम उठाया है।

डा० रघुवीर ने इस क्षेत्र में भारत--चीन मैत्री के लिये उचित वातावरण बनाने में सराहनीय योग दिया है।

आयोग का उच्चतर शिक्षा की योजना बनाते समय भावी पीढ़ियों का ध्यान रखना चाहिये। हमें शिक्षा का मानदण्ड ऊंचा बनाना चाहिये। हमारा मानदण्ड इतना नीचा है कि उसके बारे में जांच-पड़ताल करना अत्यावश्यक है।

परीक्षाओं की बजाय, विद्यार्थियों की पूरे वर्ष की प्रगति पर जोर दिया जाना चाहिये।

विद्यार्थी वास्तव में समाजिक परस्थितियों के शिकार बन रहे है। उनको न तो अच्छी पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, और न उनके अध्यापकों में भी अच्छी योग्यता मिलती हैं।

उच्चतर शिक्षा का विकास तो होना चाहिये, पर शिक्षा के मानदण्ड को गिराकर नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान के निदेशक तत्वों में वह भी सम्मिलित हैं कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो और निःशुल्क होनी चाहिये। चाहिये तो यह कि हाई स्कूल तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो। उच्चतर शिक्षा के लिये विद्यार्थियों का चुनाव करते समय उनके नम्बरों को ही नहीं देखना चाहिये।

मैं डा० का० ल० राव की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाये। हमारे यहां के विश्वविद्यालयों में सरकारी हस्तक्षेप काफी होता है।

उपकुलपतियों की नियुक्ति के बारे में भी पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयों के सिन्डीकेट को नहीं होता।

प्रधान मंत्री का ख्याल है कि पाठ्यपुस्तकों का काम गैर-सरकारी प्रकाशकों को नहीं सौंपा जाना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं। सरकार को यह काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

अनुदान मंजूर करने की व्यवस्था एकांगी है। गैर-सरकारी कालेजों के साधन सीमित होते है, पर उनको आयोग से भी अधिक सहायता नहीं मिल पाती। उनको अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये।

लैक्चरार के लिये ४०० रुपये प्रतिमास का न्यूनतम वेतन, आयोग की शिफारिस के बावजूद, कहीं-कहीं नहीं दिया जा रहा है।

पूर्व वक्ता ने कहा था कि अध्यापकों और प्राध्यापकों को शेष समय अनुसंधान कार्य में लगाना चाहिये। यह तभी होगा जब उनका पर्याप्त वेतन दिया जाये।

यह समझ में नहीं आता कि लैक्चरारों की तुलना में रीडरों और प्रोफेसरों की संख्या अधिक क्यों है। लैक्चरारों के अधिक पद बनाये जाने चाहियें।

यदि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा संबंधी चलचित्रों का निर्माण स्वयं अपने स्टूडियो में नहीं कर सकता, तो उसे निजी निर्माताओं को सौंप देना चाहिये।

†**श्री महेशदत्त मिश्र** (खंडवा) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक अनुदान लिये जाने चाहिये और उसके पास अधिक राशि होनी चाहिये ताकि वह अच्छा काम कर सके। इसे अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें तथा उच्च शिक्षा का पूरा पूरा अधिकार उसे मिलना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय की मांगों की चर्चा करते समय मैंने यह भी सुझाव दिया था कि राज्यों को विश्वविद्यालयों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि विश्वविद्यालयों को राज्य की सूची में से निकाल देना चाहिये। मेरा विचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च-शिक्षा में हस्तक्षेप करना सभी पसंद करेंगे। क्योंकि यह आयोग एक प्रकार से विशेषज्ञों का आयोग होगा।

इस आयोग की रचना में भी विस्तार किया जाना चाहिये। इसके सदस्यों की संख्या उठाई जानी चाहिये। सभी अवकाश प्राप्त प्राध्यापकों तथा उपकुलपतियों को इससे सहयोग लेने के लिये आमन्त्रित किया जाना चाहिये। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इस अनुदान को व्यापक बनाना चाहिये। इसके प्राधिकारों को भी बढ़ाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महेशदत्त मिश्र]

यह कहा गया है कि देश में उच्च शिक्षा पाने की जिज्ञासा मिलती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जब कालिजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का समय आता है तो वहां बड़ी भीड़ होती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उच्चशिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनका उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना नहीं होता। यदि उन्हें मामूली सा वेतन मिलता रहे तो वे पढ़ते रहेंगे।

मध्यवर्ग के लोगों के लिये हम अय: के आकर्षक साधन नहीं जुटाते इसलिये अच्छे अध्यापक नहीं मिलते। यही कारण है कि एक युग में जब अच्छे गुरु मिला करते थे अब मिलने बन्द हो गये हैं।

आज इस महंगाई के युग में अध्यापकों को अपने बच्चे तक पढ़ाना मुश्किल हो गया है। अत: मेरा सुझाव है कि इन अध्यापकों के बच्चों को पढ़ाने के लिये सुविधाएं मिलनी चाहियें। उन अध्यापकों का वेतन तो फिर भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा।

विश्वविद्यालय तथा कालिजों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई भीड़ पर नियंत्रण करना होगा क्योंकि ये सब लोग रोजगार पाने के लिये पढ़ते हैं। आज के दिन हर कोई बी० ए० और एम० ए० होना चाहता है। इस भीड़ भाड़ को रोकने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि एक प्रतिभा परीक्षा रखी जाये और उन्हीं व्यक्तियों को पढ़ने की सुविधा दी जाये जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। साथ ही उन विद्यार्थियों को भी अधिक संख्या में छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें जो कि जरूरतमंद है तथा निर्धन है।

मैट्रिक पास करने के बाद ही विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। ऐसे विद्यार्थियों को विशेष पाठ्यक्रमों के लिये चुना जाना चाहिये। इससे बहुत लाभ होगा।

तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की विस्तृत बातों सम्बन्धी प्रयोग के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि राजनीति और शिक्षा को मिलाना ठीक नहीं है। अब प्रयोग का समय नहीं है। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को ही चालू रखा जाये। हम चाहते हैं कि शिक्षा की स्थिति में सुधार हो। यदि अध्यापकों को अच्छी सुविधा तथा संस्थाओं को स्वतन्त्रता दें तो यह निश्चय है कि वे अच्छे विद्यार्थी उत्पन्न कर सकती हैं।

विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा निवेदन तो यह है कि जब सभी ओर अनुशासन है तो फिर विद्यार्थियों में से यह एक दम कैसे निकाला जा सकता है। आजकल आधुनिक विचारों के दृष्टिकोणवाले व्यक्ति विद्यार्थियों को कुछ छूट देते हैं--इसका परिणाम अच्छा नहीं होता इससे असभ्यता बढ़ती है। साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह बुरी बात है। इस प्रकार की छूट विद्यार्थियों को बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान को अवश्य ही कुछ न कुछ करना चाहिये।

परीक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिये। इसलिये नहीं कि यह पुरानी पड़ गई है बल्कि इसके कारण अध्यापकों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इस परीक्षा पद्धति में शीघ्रातिशीघ्र सुधार किये जाये। एक अध्यापक को सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक-दृष्टि से ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिये क्योंकि वह उसका हकदार है। उसे कुछ और भी मिलनी चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि हमारे यहां अच्छे नागरिक, विद्यार्थी, पदाधिकारी एवं प्रशासक व्यक्ति हो तो हमें शिक्षा के क्षेत्र को स्वतंत्र बनाना होगा।

हमें शिक्षा को ऐसे विशेषज्ञों के हाथ में छोड़ना होगा जो किसी भी रूप में अच्छे नागरिक बनाने में समर्थ हों तथा शिक्षा को राजनैतिक हस्तक्षेप से बचाना होगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सीमित अवधि तथा सीमित साधनों के होते हुये भी जितना कार्य किया है निश्चय ही उसके लिये वे बधाई का पात्र है। इतने पर भी विश्वविद्यालयों में भारी भीड़ रहती है इस भीड़ के कारण शिक्षा का स्तर ही नहीं बल्कि अनुशासन हीनता भी विद्यार्थियों में बढ़ती है।

शिक्षा के विस्तार में मैं विश्वास करता हूं किन्तु साथ ही यह भी चाहता हूं कि स्तर ऊंचा होना चाहिये। दोनों चीजें साथ साथ चले और इसके लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में भर्ती कम हो। उच्चशिक्षा के लिये देश में निरंतर मांग बढ़ रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इन विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये। तीसरी योजना में १२ विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। किन्तु इन से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। यदि देश की स्थिति यही रही तो निश्चय ही शिक्षा का स्तर गिरेगा।

कुछ लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में हर एक को प्रवेश नहीं देना चाहिये बल्कि विद्यार्थियों का चुनाव करके लिया जाना चाहिये। यह तरीका समर्थनीय है किन्तु साथ ही यह भी आवश्यक है कि उन विद्यार्थियों को जिन्हें नहीं चुना जाता, प्रविधिक संस्थाओं या पालिटेकनिकों में भरती करना चाहिये। यदि उन के लिये कोई व्यवस्था किये बिना हम चुनाव के आधार पर भरती शुरू कर दें, तो शिक्षा को हानि पहुंचेगी।

स्तरों को बनाये रखने के लिये, भारत में छोटे छोट बहुत से विश्वविद्यालय होने चाहियें। जिन में अनुशासन लागू किया जा सके। उनको हमारे नोजवानों के सामने आदर्श उपस्थित करना चाहिये। हम नहीं चाहते कि हमारे विश्वविद्यालय केवल रोजगार के दफ्तर बन जायें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल विश्वविद्यालय को धन वितरित करने के लिये डाक-खाना बन जाये।

प्रतिवेदन में शिक्षा के माध्यम के बारे में भी उल्लेख है। मैं मानता हूं कि प्रादेशिक भाषाओं को अपना उचित स्थान मिलना चाहिये। किन्तु यह समझ लेना चाहिये कि स्वतंत्रता के १५ वर्ष बाद भी इन भाषाओं ने वह पदवी प्राप्त नहीं की जिसके कारण उन्हें विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। इन भाषाओं को यह कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिये जिसे करने में वे अभी असमर्थ हैं? हिन्दी के बारे में कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालयों के शिक्षा का माध्यम बन सकती है किन्तु खेद है कि यह अभी इस काम के लिये पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई। हमें केवल भावावेश में किसी भारतीय भाषा को जल्दी में नहीं अपना लेना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से स्तर और भी गिर जायेगा।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता असंतोष के कारण है। भाग्यवश वह खत्म हो रही है और थोड़े वर्षों में सर्वथा खत्म हो जायेगी। समाज में जैसे-जैसे स्थिरता आयेगी यह बिल्कुल समाप्त हो जायेगी।

मैं मंत्री महोदय के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन-क्रमों में सुधार कर दिया गया है। किन्तु सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के लिये वेतन के मामले में कुछ नहीं किया गया। उच्च शिक्षा के हित में और राष्ट्र के हित में उनकी स्थिति में सुधार करना चाहिये और उनको भूख से बचाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलोर नगर) : मैं विश्वविद्यालय उद्योग के काम के बढ़ाये जाने के हक में हूं ।

विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थाओं, विभागों या विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों को अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों का और संगत मामलों का पूरा ज्ञान होना चाहिये, ऐसी स्थिति इस समय नहीं है, अध्यापकों, प्रोफेसरों और उपकुलपतियों को विद्यार्थियों के निजी सम्पर्क में आना चाहिये । ऐसा करने से उनमें अनुशासनहीनता की भावना जाती रहेगी ।

देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय होना चाहिये । इससे विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि अध्यापक तथा विद्यार्थी एक दूसरे के अधिक निकट आ सकेंगे । यदि प्रत्येक राज्य में ५,६ या १० विश्वविद्यालय भी हों, तो कोई हर्ज की बात नहीं है ।

विश्वविद्यालय का वर्तमान संगठन बहुत भारी रकम और जटिल है । इसे सरल बनाने की आवश्यकता है । सेनेट की चर्चा से विश्वविद्यालय की गतिविधि में कोई सहायता नहीं मिलती है । सेनेट बहुत छोटा सा होना चाहिये था इसे बिलकुल समाप्त ही कर देना चाहिये । सरकार द्वारा मनोनपन की प्रणाली बन्द कर दी जानी चाहिये विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन के लिये यह आवश्यक है कि इसके विभिन्न निकायों को अधिक कार्यक्षेत्र बनाया जाये और उन के कार्यों का पुनर्विलोकन किया जाये । विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाये, ताकि प्रत्येक में विद्यार्थियों की संख्या कम हो और उन में तथा अध्यापकों आदि में निजी सम्पर्क स्थापित हो सके ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर शिक्षा की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये, राजनैतिक विचारों के आधार पर नहीं । इस मामले में हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये । हिन्दी बहुत कुछ कर सकती है परन्तु उसके महत्व पर आवश्यकता से अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिये । इस मामले में अधिक उत्साह प्रदर्शित करने का दक्षिण में गलत अर्थ लिया जायेगा और उससे विघटनकारी आन्दोलन को बल मिलेगा ।

दक्षिण वालों को संस्कृतयुक्त हिन्दी अधिक स्वीकार्य है । हमें एक राष्ट्रीय भाषा का विकास करना चाहिये, जिसमें कुछ चीजें सामान्य हों और जिसे सब लोग इच्छा से स्वीकार कर सकें । उस समय तक अंग्रेज़ी और हिन्दी का साथ साथ प्रयोग होना चाहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : सभापति जी, तृतीय पंच-वर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कहा गया है कि देश में उस की समाप्ति तक में बारह विश्वविद्यालय और स्थापित किये जायेंगे । इन सब विश्वविद्यालयों को मिला कर हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या ५६ के लगभग हो जायगी । किन्तु भारतवर्ष में इस समय जितने विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन को दृष्टि में रखते हुए और उन के अतिरिक्त तृतीय पंच-वर्षीय योजना में जो शिक्षा के विस्तार का और कार्यक्रम है, उसे देखते हुए हमारे देश के लिए कम से कम २०० विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है । ५६ विश्वविद्यालय स्थापित करने का अभिप्राय यह है कि हम उस कमी को चतुर्थांश में पूरा कर पायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मगर इस के साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा-विशेषज्ञों ने अपनी इस दुर्बलता को छिपाने के लिए एक दूसरा सहारा ढूंढ़ा है। उन्होंने यह कहना आरम्भ किया है कि जो विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास होंगे, उनके लिए उच्च-शिक्षा के द्वार बन्द कर दिये जायेंगे। मगर मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विद्यार्थी ने किसी साधनहीनता के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से तृतीय श्रेणी प्राप्त की है, उसके लिए विश्वविद्यालय का द्वार बन्द करना प्रजातंत्रीय प्रणाली के लिए एक बड़े व्याघात की बात होगी। इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार यह है कि अगर कोई विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, तो पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि किस कारण से उसको तृतीय श्रेणी में पास होने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। फिर उसके पश्चात् यह आवश्यक नहीं कि ऐसे विद्यार्थी को विज्ञान की ओर या इंजीनियरिंग की ओर ले जाया जाये। हमारे यहाँ और बहुत से साधन हैं। ऐसे विद्यार्थियों को टेक्निकल शिक्षा दी जा सकती है, कोई और दूसरी शिक्षा दी जा सकती है। किन्तु यदि सरकारी बैंचिज़ से इस प्रकार की आवाज आती है कि थर्ड डिविजन में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च-शिक्षा का द्वार बन्द कर दिया जायगा, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए ही इस कारण को उपस्थित करती है।

दिल्ली भारत की राजधानी है, इस बात को देखते हुए यहाँ पर एक दूसरे विश्वविद्यालय की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव हो रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि हम इस सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं कि दिल्ली में एक दूसरा विश्वविद्यालय शीघ्र ही स्थापित किया जाये। मेरा निवेदन यह है कि शीघ्रता की परिभाषा भी यदि कर दी जाये कि कब तक वह शीघ्रता समाप्त हो सकेगी, तो बहुत अच्छा होगा।

जहाँ दिल्ली की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार यहाँ पर एक दूसरा विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय कर रही है, वहाँ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूना में जो महिलाओं का एक विश्वविद्यालय है, उसका अनुभव हमारे देश के लिए बहुत ही अनुकूल रहा है। उस का परिणाम यह है कि दक्षिण में जो महिलायें उच्च-शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, मगर जो सहशिक्षा वाले विश्वविद्यालयों में नहीं जाना चाहती हैं, उन के लिए पूना विश्वविद्यालय बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि चूंकि उत्तर भारत में भी इस प्रकार के लाखों परिवार हैं, जो कि अपनी कन्याओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना तो चाहते हैं, मगर सहशिक्षा वाले विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में उन को भेज कर उच्च-शिक्षा नहीं प्राप्त कराना चाहते हैं, और चूंकि पूना विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए उत्तर भारत में भी महिलाओं के लिए एक पृथक् विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। इसका लाभ यह होगा कि जो बहुत सी कन्यायें उच्च-शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं, वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अच्छा हो कि दिल्ली में उस विश्वविद्यालय की स्थापना हो। सम्भव है कि माननीय मंत्री यह कहें कि एक नगर में तीन विश्वविद्यालय किस तरह स्थापित किये जा सकते हैं! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस नगर में भी दो विश्वविद्यालय हैं और तीसरी खादी विद्यापीठ को सरकार राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने जा रही है। इस प्रकार वहाँ पर तीन विश्वविद्यालय हो जायेंगे। इस अवस्था में यदि भारत की राजधानी में अपने ढंग के तीन विश्वविद्यालय हों, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री स्वयं राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के जन्मदाताओं में और संचालकों में रहे हैं। उनको अनुभव है कि राष्ट्रीय संस्थाओं की क्या समस्यायें

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

होती हैं और उन का कितना महत्व होता है । उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया है और उन्होंने घोषणा की थी कि हम गुरुकुल काँगड़ी, जामिया मिलिया और दक्षिण की किसी एक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने जा रहे हैं । जहाँ तक गुरुकुल काँगड़ी का सम्बन्ध है, मेरा अपना विचार यह है कि बहुत पहले ही वह राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित हो जानी चाहिए थी । गुरुकुल काँगड़ी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर के सरकार और माननीय मंत्री ने केवल गुरुकुल काँगड़ी के साथ ही नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के साथ एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य करने का निश्चय किया है । मगर मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस से दो पग और बढ़ें । जिस तरह से सैंट्रल गवर्नमेंट की चार युनिवर्सिटीज़ हैं, उसी तरह गुरुकुल काँगड़ी अथवा गुरुकुल युनिवर्सिटी भी हो, जिस में और भी गुरुकुलों का समावेश हो सके । वह एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चौबीस घंटे का जीवन आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यतीत होगा । वह हमारे देश में एक नया परीक्षण भी हो सकेगा और यदि वह परीक्षण सफल हो गया, तो इस प्रकार के दूसरे विश्वविद्यालय स्थापित किये जा सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात विशेष रूप से और भी कहना चाहता हूं कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कोई चर्चा आती है, तो उस के साथ ही हिन्दू यूनिवर्सिटी को जरूर जोड़ दिया जाता है । इसी तरह जब गुरुकुल काँगड़ी की चर्चा आती है, तो जामिया मिलिया को ज़रूर जोड़ दिया जाता है । मैं चाहता हूं कि कृपा कर के इस मनोवृत्ति से अब हमारे देश को विराम लेने दीजिये । जामिया मिलिया और गुरुकुल काँगड़ी का स्तर एक नहीं होना चाहिए । जामिया मिलिया को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना अथवा विश्वविद्यालय का स्तर देना शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो जायगा । कोई बड़ा आदमी, अथवा राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला व्यक्ति, किसी शिक्षा-संस्था का जन्मदाता है, इसलिए उस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया जाये, यह कोई उचित बात प्रतीत नहीं होती है । सरकार इस देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है । अगर कोई शिक्षा-संस्था सचमुच विश्वविद्यालय के स्तर की अधिकारिणी है, तो उस को मान्यता दी जाये, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के कारण किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

अब मैं विश्वभारती, शान्ति निकेतन, के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । जहाँ तक मेरी जानकारी है,—अगर मैं भूल पर हूं, तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी मेरी भूल का सुधार करें—वहाँ पर को विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी पर तीन चार सौ रुपये के मध्य में मासिक खर्च होता है अगर हमारे विश्वविद्यालय इतनी महंगी शिक्षा देने लगेंगे कि तीन सौ से चार सौ रुपये तक एक विद्यार्थी पर प्रति मास व्यय होगा, तो मैं समझता हूं कि इस निर्धन देश के साथ, जिस ने समाजवादी समाज-रचना का नारा लगाया है, एक बड़ा खिलवाड़ हो जायगा । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालें कि विश्व भारती में शिक्षा क्यों इतनी महंगी है और कैसे उस शिक्षा को दूसरे विश्वविद्यालयों के समान-स्तर पर लाया जा सकता है, इस ओर वह प्रयत्नशील हों ।

जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, वहाँ के अधिकारियों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाँच-समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा है कि हम उस रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं । पहले तो वे उस में भी आना-कानी करते रहे, मगर केन्द्र के रुख को देख कर उन्होंने ज्यों त्यों उस को स्वीकार तो कर लिया, किन्तु मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि स्वीकार करने के बाद भी अभी तक उस का कोई फल नहीं हुआ ।

मने पहले भी इस बारे में शिकायत की थी और आज फिर मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जुलाई में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जो मेडिकल कालेज खुलने जा रहा है, कल-परसों के समाचारपत्रों में उस के सम्बन्ध में वह समाचार पढ़ें। उस में कहा गया है कि उस मेडिकल कालेज में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिला सकेगा, जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से इन्टर साइंस ले कर पास किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब दूसरे मेडिकल कालेजों में सब के लिए द्वार खुले हुए हैं, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वार छोटे और सीमित कर देना कहाँ की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता है, जिसके साथ अलीगढ़ के भी सब कालेज एफ़िलिएटिड नहीं हैं ? मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

दक्षिण भारत के सम्बन्ध में मैं ने पहले भी कहा है और आज फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के समय मैं अपने उस कथन को दोहराना चाहता हूं कि मेरा विचार है कि दक्षिण में हिन्दी पर्याप्त प्रगति कर रही है। हो सकता है कि चन्द चतुर राजनीतिज्ञ इस प्रकार के हों, जो हिन्दी या भाषा का नाम लेकर अपने राजनीतिक स्वार्थों को भाषा की आड़ में ऊपर लाना चाहते हों, या और कोई किसी प्रकार का नारा लगाना चाहते हों, मगर जहाँ तक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के आँकड़ों का सम्बन्ध है, जहाँ तक राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, वर्धा, के आँकड़ों का सम्बन्ध है, और उन अन्य संस्थाओं के आँकड़ों का सम्बन्ध है, जो कि दक्षिण में हिन्दी का प्रचार कर रही हैं, उन के आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि दक्षिण में हिन्दी जितनी प्रगति कर रही है और जितनी व्यवस्थित रूप में प्रगति कर रही है, उतनी उत्तर भारत में नहीं कर रही है। बल्कि सच्चाई यह है कि उत्तर भारत में अगर प्रगति है, तो हिन्दुस्तानी की प्रगति है, जिस को संविधान में हम ने कोई भाषा ही नहीं माना है। यहाँ पर हिन्दी की प्रगति नहीं है। हिन्दी वही है, जिस का उल्लेख अभी माननीय सदस्य, श्री हनुमन्तैया, ने किया है। उन्होंने यह कहा है कि दक्षिण भारत की जितनी भाषायें हैं, वे संस्कृत के निकट हैं। संविधान की भाषा सम्बन्धी पवित्र धाराओं में हम ने यह निर्धारित किया था कि हिन्दी में अगर शब्दों का अभाव होगा, तो संस्कृत से हम उस की पूर्ति करेंगे। पता नहीं, आज सरकार के मस्तिष्क से वह पवित्रता धीरे धीरे क्यों हिलती जा रही है कि देश के बड़े से बड़े नेता यह कहते हैं कि हिन्दी भाषा के स्वरूप को बदलने के लिए यदि संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो संविधान में भी परिवर्तन किया जायगा। मैं चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिये। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर कोई मान्यता है, तो उसके आधार पर संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती दे देना उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस न्यूनता को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत में अगर हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाये तो उसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे और दक्षिण में जो हिन्दी का प्रचार आप करना चाहते हैं, वह भी आसानी से हो जायेगा और उससे बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकेगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : आयोग के प्रतिवेदन से मालूम होता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों में बहुत अन्तर है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की उपेक्षा की गई है और उन्हें कम से कम वित्तीय सहायता दी गई है।

शिक्षा के माध्यम के मामले में हम हिन्दी को यह स्थान दे सकते हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि हिन्दी का माध्यम लेने वाले विद्यार्थियों को मुकाबले की परीक्षाओं में उचित सुविधा नहीं मिल

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

सकती, क्योंकि वे अंग्रेजी में ली जाती हैं इसलिये वे सेवाओं में चुने जाने से वंचित रह जाते हैं। यह उनके प्रति अन्याय है। इसलिए यदि आवश्यक हो, तो ये परीक्षायें हिन्दी में ली जायें।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामले में उम्र पर प्रतिबन्ध समाप्त कर देना चाहिये, क्योंकि ऐसा केवल हमारे देश में है, और किसी देश में नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लेकर बहुत कीमती सुझाव दिये हैं। बहुत से सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कृत्यों का उल्लेख किया है। श्री महेशचन्द्र मिश्र ने कहा है कि आयोग को सारी उच्च शिक्षा के क्षेत्र को संभाल लेना चाहिये। किन्तु ऐसा करने के लिए हमें संविधानामें संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के अधीन शिक्षा के मामले में केन्द्र को सीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। आयोग केवल स्तर निर्धारित करने और उन्हें बनाये रखने का काम करता है। विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। और राज्यों के विधान यह निश्चय करते हैं कि इन के विश्वविद्यालय कैसे काम करें। सदस्यों को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए और यदि इस दृष्टि से देखा जाये, तो आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की योजना के बारे में असन्तोष प्रकट किया है। इस मामले में हमें निर्णय करना चाहिये कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाना है। ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों को आयोग कोई निदेश नहीं देता। यहां स्थिति भिन्न है। किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि हम स्वायत्तशासी निकायों से व्यवहार कर रहे हैं और हम उनकी स्वायत्तता कायम रखना चाहते हैं।

आयोग और विश्वविद्यालयों और आयोग और सरकार के नाजुक सम्बन्धों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों में भारत सरकार ने आयोग को एक भी निदेश नहीं दिया। ऐसे उदाहरण केवल एक दो हैं। जिनमें आयोग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि यदि उन्होंने कुछ गम्भीर मामलों में उसके निदेशों का पालन न किया। तो उनको दिये जाने वाले अनुदान बन्द कर दिये जायेंगे। स्वाभाविकतया वे परामर्श का तरीका अपनाते हैं। इसी तरह से हम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाये रख सकते हैं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के काम को पूरा करने में लगा सकते हैं। श्री हनुमन्तैया ने कहा है कि उन्होंने मुख्य मंत्री होते हुए विश्वविद्यालयों से नियुक्तियां करने की शक्तियां ले ली थीं। यदि सरकार यह शक्ति ले ले, तो विश्वविद्यालय क्या कर सकते हैं।

†**श्री हनुमन्तैया** : सरकार ने केवल एक बोर्ड स्थापित किया था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** विश्वविद्यालय प्रोफेसर नियुक्त करने में स्वाधीन नहीं थे। नियुक्त मंडल नियुक्तियां करता है। यदि विश्वविद्यालय प्रोफेसर नहीं नियुक्त कर सकते, तो हमें उन्हें बन्द कर देना चाहिए। यदि प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए अपने विश्वविद्यालयों पर विश्वास नहीं कर सकते, तो वे प्रभावपूर्ण काम नहीं कर सकते।

†**श्री हनुमन्तैया** : विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता छीनने का प्रश्न नहीं है। इसकी बजाए नियुक्तियों का काम कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को सौंपा जाए विश्वविद्यालयों को स्वयं अध्यापक चुनने चाहिएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक चुनने वाली समिति होती है। इसकी एक कार्यपालका परिषद होती है। एक सैनेट होता है। विश्वविद्यालय में अपने आप में एक सरकार है। यदि बाहिर से कोई विश्वविद्यालय का नियंत्रण करे तो इससे अच्छा तो विश्वविद्यालय को बन्द करना है।

यह कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इस विषय की जांच करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न पर विश्वविद्यालय आयोग पूरी तरह से जांच कर रहा है। यह प्रश्न और कई प्रश्न उत्पन्न करता है। शिक्षा का स्तर अध्यापकों के स्तर पर निर्भर करता है। मैं मानता हूं कि शिक्षा में इतना विस्तार हुआ है कि देश में अपेक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्येक देश जो आर्थिक विकास कर रहा होता है उस में ऐसी स्थिति हो जाती है। सरकार ने सभी स्तरों पर अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिए यथासंभव कोशिश की है। क्या इस से हमारे स्तर में सुधार नहीं होगा ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तकालयों के सुधार के लिये अनुदानें दी हैं। माननीय सदस्य उन विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को देखें जो खुले हैं। इन सबका शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारे विश्वविद्यालयों का सुधार होगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नए पुस्तकालय को देखिए। हमें इसका अभिमान है कि हमारे अनुधान कर्ता वहां जायेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे और देश के लिये अधिक उपयोगी होंगे।

वित्तीय संसाधनों की कमी के होते हुए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रशंसनीय काम किया है।

गवेषणा और पढ़ाने में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिस विश्वविद्यालय का मैंने जिक्र किया वहां उच्च अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित कर रहा है।

यह निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा हो। १९५० में राधाकृष्णन आयोग ने यह बात स्पष्ट कर दी थी और भारत सरकार ने वह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

यह सुझाव कि जब तक हिन्दी और दूसरी भाषाएं अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो जाती हैं तब तक अंग्रेजी जारी रहे शिक्षा और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन ने भी प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का आशय प्रकट किया है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे विचार में तृतीय योजना के अन्त तक हमें स्नातक स्तर से नीचे प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए और इसके लिये तैयारियां की जा रही हैं। शिमला में एक तत्वेषक श्रेणी एक महीने से बैठ रही है। वे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी दो शब्दकोषों, जो शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किये हैं, पर विचार कर रहे हैं। सितम्बर।अक्टूबर के अन्त तक शब्दकोष सम्बन्धी काम समाप्त हो जाएगा। अनुवाद कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। अनुवाद कार्य के लिए कई विश्वविद्यालयोंको अनुदानें दी हैं। समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं। आशा है कि स्नातक स्तर से नीचे प्रादेशिक भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने में पर्याप्त तैयारियां हो चुकेंगी।

हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों में अधिक समन्वय करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिएं। विभिन्न ऐतिहासिक कारणों और दूसरी वजह से व्यवसायिक कालिजों को विश्व-

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार से बाहिर रखागया है। व्यावसा यिक का लिज विभिन्न मंत्रालयों के अधीन हैं। स्वाधीनता से पहले भी ऐसे ही रहा है। इंगलैंड में स्थिति विभिन्न है। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। आशा है कि हम अधिक समन्वया के लिए कोई तरीका निकाल सकेंगे।

श्री अ० प्र० जैन ने सुझाव दिया कि हमें भावात्मक एकता के लिए चार विभाग स्थापित करने चाहिए। मैं उनके तर्क को नहीं समझ सकता। विश्वविद्यालय के सारे वातासरण से स्थापित करने चाहिए। मैं उनके तर्क को नहीं समझ सकता। विश्वविद्यालय के सारे वातावरण से भावात्मक एकता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

यह सही बात है कि हमारे देश को २०० विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। हमें पूरी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के विकास और आर्थिक विकास में घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि हम एक पहलू पर ध्यान न दें और दूसरे पर ध्यान दें तो सही स्थिति का पता नहीं चलता। इसलिए अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में इस बात को मालूम करना है कि क्या इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। विश्वविद्यालय खोलने का ही प्रश्न नहीं है। हमें यह देखना है कि क्या हमारे पास अपेक्षित अध्यापक हैं। इस समय हमारे विश्वविद्यालयों के लिए अच्छे अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। घटिया स्तर के विश्वविद्यालय खोलने से कोई लाभ नहीं है। देश में अच्छे स्तर के थोड़े विश्वविद्यालय भी देश की दिमागी और सांस्कृतिक स्थिति पर प्रभाव डालेंगे।

श्री त्रिवेदी ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयों को जिनको थोड़ी राशि के अनुदान मिलते हैं उनके विषय में कहा मैंने पहली बार किसी सदस्य को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते सुना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का एक निश्चित तरीका हैं। आयोग के सदस्य विभिन्न प्रदेशों से लिये जाते हैं। किसी एक प्रदेश का राजनैतिक दल की बहुगणना नहीं होती। हमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या लोक सेवा आयोग इत्यादि पर विश्वास होना चाहिए। अन्यथा वे अच्छी प्रकार से काम नहीं कर सकते।

मध्य प्रदेश के सम्बंध में कठिनाई देखिए। हम प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। हम उनको अनुदान देने के लिए तैयार हैं, परन्तु अब तक वे निर्णय नहीं कर सके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी निर्णय नहीं कर सकते कि वे कहां विश्व-विद्यालय स्थापित करें? किस विश्वविद्यालय का विकास करना चाहिये। राज्यों में आपस में मतभेद रहते हैं, जिस के कारण वे कोई निर्णय नहीं कर सकते और आयोग के पास नहीं आ सकते। श्री त्रिवेदी को इस प्रश्न का उचित ढंग से अध्ययन करना चाहिये और देखना चाहिये कि विश्व-विद्यालयों की गलती है या आयोग की। आयोग एक घूमने वाली समिति को भेजता है और उस की सिफारिशों के अनुसार अनुदान देता है। यह समिति आवश्यकताओं की पूरी जांच करती है। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान दिए जाते हैं, उदाहरणतया वेतन बढ़ाने के लिये। यदि कोई विश्वविद्यालय कहे कि वे वेतन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, २० प्रतिशत का प्रबन्ध भी नहीं करना चाहते तो आयोग ८० प्रतिशत भी नहीं देगा। इसी प्रकार आयोग स्त्रियों के हास्टल बनाने के लिए ७५ प्र० श० का अनुदान देता है। यदि राज्य सरकारें या विश्वविद्यालय २५ प्रतिशत का भी प्रबंध नहीं कर सकते, तो उन्हें अनुदान कैसे मिलेगा? सब अनुदान घूमने वाली समितियों द्वारा पूरी जांच के बाद किसी आधार पर दिये जाते हैं। यदि कलकत्ता विश्वविद्यालय को बहुत अनुदान जाते हैं तो वे इसलिए कि वे विशिष्ट परियोजनाएं भेजते हैं। बड़े अनुदान बम्बई और मद्रास को इस-लिए दिये जाते हैं क्योंकि वे उचित परियोजनाएं भेजते हैं और आयोग के साथ सहयोग देते हैं।

अभी जब वेतन क्रमों का पुनरीक्षण हुआ तो हम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को बताया कि तृतीय योजना के बाद उन पर इस का उत्तरदायित्व होगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरा उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार हो गई। यदि मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा कहे तो वह भी अनुदान ले सकती है।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि विश्वभारती में अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में अधिक खर्च होता है। इस विश्वविद्यालय में कभी भी अधिक विद्यार्थी नहीं थे। वहां कलाओं और सांस्कृतिक विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन किया जाता है। नये उपकुलपति के आने के बाद वहां सुधार हो रहा है और आशा है कि शीघ्र विश्वभारती अपने पहले गौरव को प्राप्त करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जो २३ अप्रैल, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थी, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): यह चर्चा २७ अप्रैल, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या २६२ के सम्बंध में है।

मैं इस चर्चा को दो भागों में विभक्त करना चाहती हूं : नये प्रवासियों को सहायता का प्रश्न, दूसरे पुराने प्रवासियों की समस्या।

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : औचित्य के प्रश्न पर। जो प्रश्न पूछा गया था और जो माननीय सदस्यों ने नोट दिये हैं उन में नये प्रवासियों का जिक्र नहीं है। अतः माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल में शेष समस्या के बारे में कहें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में था। पश्चिमी बंगाल में शरणार्थियों की शेष समस्या की चर्चा करते समय उन शरणार्थियों को भी सम्मिलित करना होगा जो पिछले कुछ दिनों में आये हैं। आने वाले प्रवासियों से संबंधित नीति पर भी विचार करना है।

†**सभापति महोदय** : वे सम्बन्धित बातों के बारे में ही कहें। वे सब बातों का जिक्र नहीं कर सकतीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : आज लगभग ३ से ४ हजार शरणार्थी आ रहे हैं। हम उन की चर्चा करेंगे या नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

†**सभापति महोदय** : यह तो शरणार्थी समस्या है । माननीय सदस्य की बात सुतथ्य होनी चाहिये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : पुनर्वास मंत्री को सब बातों पर उत्तर देने के लिये तैयार हो कर आना चाहिये ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं किसी भी बात से बच नहीं रहा । मैं ने इस प्रश्न का पूरा उत्तर दिया था । उस दिन माननीय मंत्री जिन्हों ने यह प्रश्न उठाया है उपस्थित नहीं थीं ।पहली बात जो उठाई है वह "शरणार्थी समस्या के सम्बन्ध में अस्पष्ट वक्तव्य" इत्यादि है । एक वर्ष पूर्व इस का उत्तर दिया था । नये प्रवासियों का प्रश्न अभी उठा है । पूर्वी क्षेत्र में निर्धारण पूरा करने का प्रश्न है । शेष समस्या का निर्धारण एक वर्ष पूर्व हुआ था । यदि आप का विनिर्देश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैंने स्पष्ट वक्तव्य दिया है । आज की चर्चा में जो मैंने उत्तर दिये गये थे उन के सम्बन्ध होनी चाहिये ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : जो लोग अब आ रहे हैं वे भी शरणार्थी हैं । उन का पुनर्वास भी शरणार्थियों के पुनर्वास में आ जाता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जो लोग अब आ रहे हैं वे भी शरणार्थी हैं । इस बारे में कानूनी पहलू नहीं उठाना चाहिये ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : शरणाार्थयों की समस्या किसी समय भी हो सकती है । अतः माननीय मंत्री को नये शरणाार्थयों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : चर्चा को विशेष बातों के बारे में होना चाहिये और सुतथ्य होना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : इस पर किसी अन्य अवसर पर अन्य तरीके से चर्चा की जा सकती है, आधे घंटे की चर्चा के दौरान नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रश्न तो स्पष्ट है । माननीय मंत्री ने यह कह कर, शरणार्थियों की समस्या के प्रति अपनी अनुदारिता प्रकट की है ।

पश्चिमी बंगाल के सामने शरणार्थियों की समस्या लगातार बनी रहती है । पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थी आते ही रहते हैं, कभी कम संख्या में, तो कभी बड़ी संख्या में । अभी कुछ दिन पहले बेरुबाड़ी से शरणार्थी आये थे । अब राजशाही से आये हैं । हमारी समझ में नहीं आता कि उन का करें क्या ।

दार्जिलिंग की बैठक में शरणाार्थयों के पुनर्वास के सम्बन्ध में एक अन्तिम निश्चित तिथि तय करने के बारे में एक नीति निर्धारित की गई थी । शरणार्थी भी दो प्रकार के होते हैं ; एक वे जिन को सरकारी मान्यता मिलती है और दूसरे वे जिन को मान्यता नहीं मिलती । क्या आप का विनिर्णय यह है कि सरकारी मान्यताप्राप्त शरणार्थी ही शरणार्थी हैं ?

†**सभापति महोदय** : मैं तो प्रश्न की शब्दावली के अनुसार ही चल रहा हूं ।

मैं उस में अन्य चीजों को कैसे सम्मिलित कर सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

आध घंटे की चर्चा

†श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : आप बताइये कि किन बातों पर चर्चा नहीं की जा सकती ?

†श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : आध घंटे की चर्चा को अनुमति इसीलिये दी गई थी कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर स्पष्ट नहीं थे। एक बार जब शरणार्थी समस्या पर चर्चा करने की अनुमति दे दी गई है तब माननीय सदस्य पूरी समस्या को ले ही सकते हैं। माननीय मंत्री यदि चर्चा की अनुमति मिलने से पहले आपत्ति करते तो एक बात थी। अब तो उस पर कोई कैद नहीं लगाई जा सकती।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : इसी सभा में इस मंत्रालय को अनुदानों की मांगों पर हम आठ घंटे तक चर्चा कर चुके हैं। उस चर्चा के दौरान हम नये और पुराने सभी प्रकार के शरणार्थियों के बारे में सरकारी नीति की चर्चा कर चुके हैं। मैं इस की चर्चा से कतराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ने तब भी इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था और अभी भी देने को तैयार हूं। उस समय मैं ने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े विस्तार से दिया था। यदि हम उस पूरी समस्या को लें, तो अवश्य ही पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या पर चर्चा की जा सकती है। उन की अवशिष्ट समस्या पर एक वर्ष पहले सविस्तार चर्चा की जा चुकी है। अब यदि सभा चाहे, उस पर फिर चर्चा की जा सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

लेकिन मेरा अपना विचार यही है कि यह एक सीमित-सा स्पष्ट प्रश्न था, और मैं ने उस का उतना ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है। और मेरे उत्तर का नये आने वाले निष्क्रमणार्थियों से कोई संबंध नहीं है। फिर भी यदि सभा की इच्छा हो तो उन के प्रश्न पर चर्चा करने की, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज सारे देश की आंखें इस सभा की ओर लगी हुई हैं। हमें राजशाही में फैले आतंक से घबरा कर अभी कुछ दिन पहले आने वाले शरणार्थियों के प्रश्न पर विचार करना ही पड़ेगा। शरणार्थी भी दो प्रकार के हैं : मान्यता-प्राप्त और गैर-मान्यता-प्राप्त।

जो हो रहा है उस की जिम्मेदारी शरणार्थियों पर तो नहीं ही है, उस के लिये जिम्मेदार है पाकिस्तान सरकार की अल्पसंख्यकों को आतंक का शिकार बनाने की नीति। हमारी सरकार अभी तक नेहरू-लियाकत अली पैक्ट को कार्यान्वित कराने में असमर्थ रही है, जिस के अन्तर्गत दोनों देशों में आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध ही न रहता। उस के विपरीत, आज दोनों देशों की सीमायें बन्द की जा रही हैं, चौकसी बढ़ाई जा रही है। राजशाही इलाके से लगभग ३–४ हजार शरणार्थी माल्दा में आ चुके हैं। अब हमारी सरकार बड़ी दृढ़ता से कहती है कि प्रव्रजन प्रमाणपत्र लिये बगैर आने वाले शरणार्थियों को मान्यता नहीं दी जायेगी। लेकिन पाकिस्तान में आज जैसी हालत है, उसे देखते हुए प्रव्रजन प्रमाणपत्र हासिल करना सम्भव नहीं है। तो क्या ऐसे शरणार्थियों के प्रति हमारा कोई कर्त्तव्य नहीं है ?

इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की पश्चिमी बंगाल में बड़ी खराब प्रतिक्रिया हुई है। उनको चाहिये कि स्पष्ट कहें, कि पाकिस्तानी आतंक क कारण भाग कर आने वाले शरणार्थियों का सभी भारतीय स्वागत करते हैं। देश के विभाजन के समय, हम ने यही वचन उन को दिया था।

यदि तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों पर लाखों रुपये खर्च किये जा सकते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों पर क्यों नहीं किये जा सकते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

सरकार को घोषित कर देना चाहिये कि पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के लिये शरणार्थियों को प्रव्रजन-प्रमाणपत्र दिखाना इतना अत्यावश्यक नहीं होगा । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि शरणार्थियों के बलिदान पर ही स्वतंत्र भारत की इमारत खड़ी है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्र के सामने गिड़गिड़ा रही है कि उन शरणार्थियों को भी पुनर्वास सहायता देने की अनुमति दी जाये ।

अब मैं इससे सम्बन्धित दूसरा विषय लेता हूं । वह भी इतना ही महत्वपूर्ण है । माननीय मंत्री ने एक वर्ष पहले कहा था कि उन्होंने पश्चिमी बंगाल की सरकार से कहा है कि वह पुराने शरणार्थियों की समस्या का ब्योरेवार मूल्यांकन करके, केन्द्र को बताये । तब आश्वासन दिया गया था कि एक दो महीने में ही मूल्यांकन हो जायेगा । लेकिन हुआ यह कि कलकत्ता में पुनर्वास मंत्रालय का कार्यालय ही बन्द कर दिया गया ।

अभी भी वह प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है । पश्चिमी बंगाल सरकार बता चुकी है कि ७० प्रतिशत शरणार्थी अभी भी बेरोजगार बने हुए हैं । माननीय मंत्री इसे स्वीकार नहीं करते, पर वास्तविकता यह है कि केवल १०–२० प्रतिशत शरणार्थियों का ही पूरी तौर पर पुनर्वास हो पाया है ।

सरकार ने अपनी ओर से शरणार्थियों के शिविर बन्द करके समझ लिया कि उनकी समस्या हल हो गई । लेकिन इस तरह उनको सड़कों पर ढकेल दिया गया है । उन से एकदम कह दिया गया कि दण्डकारण्य जाओ ।

जो शरणार्थी कृषक थे, उनको तो दण्डकारण्य जाना ही पड़ा । लेकिन गैर-कृषकों का क्या हुआ ? वे आज भी वहीं आधे पेट रह कर गुजारा कर रहे हैं ।

यदि बेनामों की योजना को ही चालू रखा जाता और हर शिविर के शरणार्थियों का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया जाता, तो काफी अधिक शरणार्थियों का पुनर्वास हो जाता । परन्तु सरकारी व्यवस्था के भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के कारण, उस योजना का भी कोई लाभ नहीं मिल सका ।

गैर-कृषक शरणार्थियों को दण्डकारण्य नहीं भेजा जा रहा था, पर अब उनको मिलने वाली सहायता भी बन्द कर दी गई है । उनको ऋण देने बन्द कर दिये गये हैं ।

शरणार्थियों की १३७ बस्तियों में से, १०२ को पूर्णमान्यता और १० को आंशिक मान्यता दी जा चुकी है । यह कहना बिलकुल ग़लत है कि उन में से २७ बस्तियों में विकास कार्य किया गया है । एक सड़क तक कहीं नहीं बनी है । इन बस्तियों की समस्या का पूरा-पूरा और सही मूल्यांकन किया जाना चाहिये ।

इन बस्तियों में १९५० के बाद बसने वाले शरणार्थियों को सरकार कोई भी ऋण नहीं देती ।

अब मुसलमान प्रव्रजकों का प्रश्न लीजिये । एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि मुसलमानों के १५९ मकान अभी भी विस्थापितों के कब्जे में हैं । उन में शरणार्थी परिवार रह रहे हैं । सरकार को उनके लिये उनकी रोजी कमाने की जगह के पास कहीं किसी दूसरे निवास की व्यवस्था कर देनी चाहिये । वैसे १५९ की यह संख्या ग़लत है । उनकी संख्या हज़ारों तक पहुंचेगी । लेकिन पूरी समस्या का कोई मूल्यांकन ही नहीं किया जाता ।

ऐसे मकानों में रहने वाले शरणार्थियों को अभी तक एक फूटी कौड़ी भी ऋण या पुनर्वास सहायता के रूप में नहीं मिली है। उन्होंने अपना सब कुछ पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ दिया है।

हमें ऐसे शरणार्थियों को ऋण देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

इस प्रश्न से सम्बन्धित नीति के निर्धारण का दायित्व प्रधान मंत्री को सौंपा जाना चाहिये।

इस समस्या के मूल्यांकन का काम एक ऐसी समिति को सौंपा जाना चाहिये, जिसमें जनता के प्रतिनिधि हों।

अय्यूबशाही के शिकार बनने वाले शरणार्थियों का हमें स्वागत करना चाहिये अपने भाइयों की तरह। हमें अपना वचन निभाना चाहिये।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : मुझे अभी अभी एक तार मिला है। उससे पता चलता है कि माल्दा को सीमा में लगभग १,००० शरणार्थी आ चुके हैं। उन में छः मर चुके हैं। तुरन्त सहायता की अपेक्षा है। क्या इन नये शरणार्थियों को दण्डकारण्य में स्थान मिलेगा? पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र से ऐसा अनुरोध किया भी है? केन्द्र ने क्या निर्णय किया है?

†**श्री प्रिय गुप्त** : उनके बच्चों को पढ़ाई सम्बन्धी रियायतें दी जानी चाहियें।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : क्या सरकार ने देश के विभाजन के समय ऐसा कोई वचन दिया था कि यदि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को असुरक्षा महसूस होगी, तो उनको भारत में प्रश्रय दिया जायेगा? यदि हां, तो सरकार अब उसे पूरा करने के लिये क्या कर रही है?

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : हाल के समाचार के अनुसार, इन शरणार्थियों को प्रति व्यक्ति ढाई रुपये एक पखवारे के लिये सहायता के तौर पर दिये जा रहे हैं, यानी तीन आने रोज़। यह अमानुषिकता कब तक जारी रखी जायेगी?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : २७ अप्रैल, १९६२ को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने एक प्रश्न पूछा था जो इस प्रकार था :

क्या निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न मदों के अधीन निधि दे दी गयी है–

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के बन्द किये जाने से उपलक्षित इस सुझाव से सहमत नहीं है कि पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की समस्या सुलझ गयी है;

(ग) क्या पूर्वी प्रदेश में शरणार्थियों के पुनर्वास की शेष समस्या का निर्धारण पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी?

मैंने इसका उत्तर दे दिया था। इसके बाद मेरे मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर जो ८ घंटे का विवाद हुआ था उस में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था और मैंने उसका समुचित उत्तर दिया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

परन्तु मुझे खेद है कि माननीय सदस्या को उन दुःखी लोगों से तो बहुत सहानुभूति है परन्तु जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो आप सदन में उपस्थित ही नहीं थीं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हुं कि चर्चा में उठाये गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर हुई बहस में पहले दिया जा चुका है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर १२४ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के बजट में लगभग ५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग ७ करोड़ रुपये का उपबन्ध दण्डकारण्य परियोजना के लिए किया गया है। इससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्वास कार्य जारी है। इस कार्य को निलम्बित अथवा बन्द नहीं किया गया। सरकार अभागे शरणार्थियों के पुनर्वास के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रही है। इसी के लिए मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा० बी० सी० राय को एक पत्र १० अप्रैल, १९६२ को लिखा था। २६ मार्च, १९६२ को भी मैं ने पत्र लिखा था जिस में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पुनर्वास का कार्य बन्द नहीं होगा इसे बराबर जारी रखा जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि हमारा कलकत्ते वाला दफ्तर बन्द कर दिया गया है। यह बात बिलकुल गलत है। और यह भी गलत है कि हम शरणार्थियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। यदि ऐसा होता तो हम इसके लिए १२५ करोड़ रुपये का व्यय क्यों करते? ७ करोड़ और १२ करोड़ की और राशि इस कार्य के लिए क्यों निर्धारित करते। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती एक समय तो यह कहती थीं कि किसी एक भी बंगाली को दण्डकारण्य नहीं जाना चाहिए। परन्तु मुझे इस बात का हर्ष है कि आज उन्होंने अपनी राय बदल ली है और वह चाहती हैं कि पूर्वी बंगाल के विस्थापित वहां जायें। अब मैं राजशाही के शरणार्थियों की बात भी करता हूं।

†**श्री ह० प्र० चटर्जी :** वह धन तो देश का है, आपका अपना तो नहीं। मत भूलिये कि देश का विभाजन हमारी सहमति से हुआ है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** श्रीमती रेणु चक्रवर्ती यह तो कह सकती थी कि पाकिस्तान ने नेहरू–लियाकत पैक्ट को नहीं माना है, लेकिन हम ने तो उसके एक-एक शब्द का सम्मान किया है।

†**श्री ह० प्र० चटर्जी :** जो, नहीं; आप ने सीमाबन्दी कर दी है। आप शरणार्थी होते हुए भी, शरणार्थियों के शत्रु हैं।

श्री देशपांडे (नासिक) : एक औचित्य प्रश्न है।

†**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री को भाषण करने दीजिये।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** नेहरू–लियाकत पैक्ट के दो पहलू थे। एक तो यह कि पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा से जाने वाले मुसलमानों को वापस बुलाया जाये। हम ने लगभग १५ लाख मुसलमानों को वापस बुला लिया है। हम ने उनको सहायता देकर बसा लिया है। लेकिन पाकिस्तान से अब तक कुल मिलाकर ४२ लाख हिन्दू आ चुके हैं। उनको पाकिस्तान ने वापस नहीं बुलाया है। पर मैं तो उसके लिये दोषी नहीं हूं।

---

†पूर्ण अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा

माननीय सदस्या एक ओर तो बड़े जोर शोर से पाकिस्तान पर आरोप लगाती हैं कि हिन्दू वहां से भाग रहे हैं, दूसरी ओर तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहती हमारी सरकार दोनों ही प्रकार के शरणार्थियों के साथ समान बर्ताव करती है ।

मुझे बड़ी खुशी हुई उन से आज यह सुनकर कि पाकिस्तान ने क्या-क्या ज्यादतियां की हैं। अभी तक विरोधी दलों के सदस्यों ने पाकिस्तान की इतनी खुली आलोचना नहीं की थी । माननीय सदस्या ने कहा है कि हिन्दुओं को पाकिस्तान से भागने पर विवश किया जा रहा है । सचमुच बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विभाजन के पन्द्रह वर्ष बाद भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है । उनको पाकिस्तान से भागना पड़ता है , फिर भी हम पर आरो लगाया जाता है कि हम त्रिपुरा और आसाम में उनको शरण दे रहे हैं ।

शरणार्थी समस्या के बारे में, मैं सभा को इतना ही बताना चाहता हूं कि आंशिक रूप से बसे हुए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भी धन की व्यवस्था की जा रही है । उनको पश्चिमी बंगाल या दण्डकारण्य में बसाया जा सकता है । यदि पश्चिमी बंगाल सरकार उनको अपने यहां बसाना चाहे, तो मैं उसके लिये धन की व्यवस्था कर सकता हूं और यदि उनको दण्डकारण्य भेजना हो, तो भी हम उसका प्रबन्ध कर सकते हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के साथ हमें पूरी सहानुभूति रखनी चाहिये । पन्द्रह वर्ष तक पाकिस्तान में रह चुकने के बाद अपना घरबार छोड़ना कितना दुखदायी होता है । हम जानते हैं, क्योंकि हमें भी इसी तरह आना पड़ा था ।

कल मैंने उन शरणार्थियों के बारे में, सभा के सामने बड़े विस्तार से बताया था ।

मैंने उसमें इन शरणार्थियों की स्थिति के बारे में बड़े स्पष्ट ढंग से बताया था । अब आपको विचार करना है कि प्रव्रजन-प्रमाणपत्र लेकर आने वालों को ही स्वीकार किया जाय, या सभी को ।

भारत और पाकिस्तान के बीच ७००–८०० मील लम्बी खुली हुई सीमा है । अब यह निर्णय सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके ही करना पड़ेगा कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक प्रव्रजक को स्वीकार किया जाये, या नहीं और उसे पुनर्वास की सुविधायें दी जायें या नहीं । प्रव्रजन-प्रमाणपत्र लेकर आने वाले शरणार्थियों की बात दूसरी है । आज प्रमाण-पत्रों के साथ भी कुछ शर्तें लगी रहती है । यदि प्रमाण-पत्र लेने की प्रक्रिया में कोई कठिनाई हो तो उस पर विचार किया जा सकता है । उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है ।

प्रव्रजन-प्रमाणपत्रों को लेकर आने वाले शरणार्थियों के बारे में हमको यह तय करना पड़ेगा कि पश्चिमी बंगाल में गुंजाइश कितनी है । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने स्वीकार किया है कि, परोक्ष रूप में, अधिक गुंजाइश नहीं है । हमें यह भी इस सम्बन्ध में विचारना पड़ेगा कि बिना प्रमाणपत्रों के आने वाले सभी शरणार्थियों को पुनर्वास सहायता दी जाये, या नहीं ।

पहले तो स्थिति यह थी कि, पश्चिम बंगाल सरकार का दृष्टि से, वहां उनको बसाने लायक भूमि ही नहीं थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमने यह कभी भी स्वीकार नहीं किया ।

†**श्री कमलनयन बजाज** (वर्धा) : जिन शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल में बसाया जा सकता है, उनको तो बसाया जाये ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** सुझाव है कि उनको दण्डकारण्य भेजा जाये ।

उसके लिये हमें मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों से परामर्श करना पड़ेगा । पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी शिविरों से दण्डकारण्य में शरणार्थी भेजने का फैसला भी तीनों सरकारों ने पारस्परिक परामर्श से किया था ।

और एक पहलू मानवीयता का भी है । हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** तब आप ढाई रुपये रोज क्यों दे रहे हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** डा० वि० चं० राय ने इस सम्बन्ध में मुझको लिखा है । मैंने उनसे आज ही बातचीत की है । मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से भी मिलने जा रहा हूं । हम एक-दो दिन में इस बारे में निर्णय करने जा रहे हैं । डा० वि० चं० राय ने मुझे बताया है कि लगभग ३,००० व्यक्ति राजशाही से माल्दा आ चुके हैं । उनकी हालत बड़ी खराब है । मानसून शुरू हो गई है । इसलिये जो भी कार्यवाही हो, तुरन्त की जानी चाहिये । मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं । यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं कलकत्ता जाने को भी तैयार हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

†**सभापति महोदय :** सभा की बैठक स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २१ जन, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २० जन, १९६२
---
३० ज्येष्ठ, १८८४ (शाक)

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५६३	रेलवे द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धन राशि . .	५४२३—२५
१५६४	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विभागीय परीक्षायें . . .	५४२५—२७
१५६५	गंडक परियोजना	५४२७—२८
१५६६	दवाइयों का समान स्तर	५४२८—३०
१५६७	रक्त बैंक	५४३०—३२
१५६८	आचार्य विनोबा भावे को दान में दी गई जमीन का वितरण .	५४३२—३४
१५६९	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन विशेषज्ञ . .	५४३४—३५
१५७०	भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई जहाज से माल की ढुलाई	५४३५—३८
१५७१	आगरा में बिजली के सामान का कारखाना . .	५४३८—३९
१५७२	तीसरी योजना में रेलवे की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता .	५४३९—४०
१५७३	मंगलौर-त्रिवेन्द्रम नहर	५४४०
१५७४	दिल्ली और गाजियाबाद के बीच शटल रेलगाड़ियां .	५४४१—४२
१५७५	महाराष्ट्र और गुजरात में पंचायती राज संस्थायें . .	५४४२—४५

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

२०	पूना-शोलापुर सेक्शन पर दुर्घटना . . .	५४४५—४६
२१	वायरलेस सेटों का आयात	५४४६—४७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
१५७६ सड़क परिवहन में सहकारी आन्दोलन	५४४७
१५७७ गेहूं का आयात	५४४८
१५७८ अनाजों की मूल्य सीमा	५४४८
१५७९ रेलगाड़ियों का देर से चलना	५४४८–४९
१५८० खेतिहर मजदूर	५४४९
१५८१ केरल में औषधियों की कमी	५४४९–५०
१५८२ बम्बई बन्दरगाह में टेकरों का रोका जाना	५४५०
१५८३ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फोकर फैंडशिप विमान की दुर्घटना	५४५०
१५८४ रेलवे दुर्घटना जांच समिति	५४५१
१५८५ दूसरे जहाज निर्माण कारखाने के लिये ऋण	५४५१
१५८६ दिल्ली दुग्ध संभरण योजना	५४५१–५२
१५८७ कोसी परियोजना	५४५२
१५८८ बड़ौदा में डाक प्रशिक्षण केन्द्र	५४५२
१५८९ रोलर आटा मिलों से भूसी	५४५३
१५९० अखिल भारतीय प्रत्यायन संस्था	५४५३–५४
अतारांकित प्रश्न संख्या	
३५०२ चूहों से फसलों को नुकसान	५४५४
३५०३ क्षार और अनावृष्टि प्रतिरोधी चावल	५४५४
३५०४ केलों के बंडल बांधना और उन्हें लाना ले जाना	५४५४–५५
३५०५ बाढ़ प्रतिरोधी चावल	५४५५
३५०६ इलायची के रोग	५४५५–५६
३५०७ उत्तर प्रदेश में सड़क विकास योजनाओं के लिये अनुदान	५४५६–५७
३५०८ अमेठी रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल	५४५७
३५०९ रामगंज पर हाल्ट स्टेशन	५४५७

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उतर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३५१०	त्रिपुरा में जमीन को खेती के लायक बनाना	५४५८
३५११	क्विलोन के पास मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	५४५८
३५१२	नेडुमेगाडु और शोरलाकोडको को मिलाने वाली सड़क	५४५८–५९
३५१३	केरल में नारियल उत्पादकों के लिए ऋण	५४५९
३५१४	बड़ानगर नगरपालिका, पश्चिम बंगाल	५४५९–६०
३५१६	आल इंण्डिया इस्टिट्यूट आफ फिज़ीकल मेडिसिन एण्ड रीहैबिलिटेशन	५४६०
३५१७	सहकारी समितियों के वार्षिक चुनाव	५४६०–६१
३५१८	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	५४६१
३५१९	उड़ीसा में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण	५४६२
३५२०	रायगाडा स्टेशन पर यात्री सुविधायें	५४६२
३५२१	उड़ीसा को चीनी और गेहूं का संभरण	५४६२–६३
३५२२	उड़ीसा में औद्यानिकी का विकास	५४६३
३५२३	उड़ीसा में तिलहनों का विकास	५४६३
३५२४	उड़ीसा में भूमि परिरक्षण	५४६४
३५२५	उड़ीसा में तम्बाकू की खेती	५४६५
३५२६	जैसलमेर के व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीद	५४६५–६६
३५२७	वनखेडी (मध्य रेलवे) पर विलासपुर-इन्दौर एक्सप्रेस का ठहरना	५४६६–६७
३५२८	गुरमखेडी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का पुनर्निर्माण	५४६७
३५२९	करक बेल स्टेशन (मध्य रेलवे) पर रेलवे प्लेटफार्म	५४६७
३५३०	बिक्रमपुर (मध्य प्रदेश) का शाखा डाकखाना	५४६७–६८
३५३१	इटारसी के समीप नया रेलवे यार्ड	५४६८
३५३२	सोहागपुर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल और मालगोदाम	५४६८
३५३३	इटारसी स्टेशन के बाहर लेबल क्रासिंग पर ऊपरी पुल	५४६८–६९
३५३४	होशंगाबाद से रेलवे क्वार्टर	५४६९
३५३५	लिलुआ रेलवे वर्कशाप (पूर्व रेलवे) में नियुक्तियां	५४६९–७०
३५३६	बीकानेर डिवीजन के स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था	५४७०
३५३७	बीकानेर रेलवे स्टेशन का स्थानान्तरण	५४७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५३८	दक्षिण पूर्व रेलवे पर यार्ड के लिये रेलवे भूमि का अधिग्रहण	५४७१
३५३९	उत्तर पूर्व रेलवे शाखा लाइन पर क्षेत्र का सर्वेक्षण	५४७१
३५४०	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	५४७१
३५४१	त्रिपुरा में फल डिब्बा बन्दी केन्द्र	५४७२
३५४२	दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की बस्तियां	५४७२
३५४३	गैर-सरकारी नर्सिंग होम और क्लिनिकों का विनियमन	५४७३
३५४४	भोपाल-छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय राजपथ	५५७३
३५४५	गन्ने के मूल्य का भुगतान न होना	५४७३–७४
३५४६	मोटर गाड़ी अधिनियम	५४७४
३५४७	मद्रास राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें	५४७४
३५४८	राजस्थान के लिये नई रेलवे लाइनें	५४७४–७५
३५४९	आन्ध्र प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म	५४७५
३५५०	विश्वविद्यालयों में सहकार के लिए विशेष विभाग	५४७५–७६
३५५१	केरल में काजू के पेड़	५४७६
३५५२	सुधरे कृषि औजारों सम्बन्धी सम्मेलन	५४७६
३५५३	शिलांग में ब्रह्मपुत्र का पुल	५४७६–७७
३५५४	सीसल के पौदे का लगाना	५४७७
३५५५	हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें	५४७७
३५५६	कपास का उत्पादन	५४७७
३५५७	तीसरी पंचवर्षीय योजना के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	५४७८
३५५८	उत्तर प्रदेश में नलकूपों का निर्माण	५४७८
३५५९	लक्ष्मीबाईनगर, नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन घर	५४७९
३५६०	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक तार कार्यालय	५४७९
३५६१	कालीकट में ऊपरी पुल	५४७९–८०
३५६२	दन्त चिकित्सा कालेज	५४८०–८१
३५६३	इन्दौर से दोहद तक रेलवे लाइन	५४८१
३५६४	मुख्य डाकघर की इमारत बरहामपुर	५४८१–८२
३५६५	सामुदायिक परियोजनाओं के लिये आवण्टन	५४८२
३५६६	कोटा में अतिरिक्त माल डिब्बों की मांग	५४८२–८३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५६७	नई दिल्ली, पंचकुइयां रोड पर दूकानों के किराये .	५४८३
३५६८	दामोदर घाटी निगम . . .	५४८२–८४
३५६९	पालीकलां और डुडवा जंक्शन के बीच पुल पर 'कॉशन सिगनल'	५४८४–८५
३५७०	उत्तर प्रदेश में गोला गोकरननाथ रेलवे स्टेशन	५४८५
३५७२	राज्यों में सावजनिक स्वास्थ्य	५४८६
३५७३	त्रिपुरा के गोम्ती नदी पर पुल .	५४८६
३५७४	त्रिपुरा में हड़ताल .	५४८६
३५७५	त्रिपुरा में खास भूमि . .	५४८७
३५७६	अगरतला में हावड़ा नदी पर पुल . .	५४८७
३५७७	कानपुर-झांसी ब्रांच लाइन के स्टेशनों पर शेड लगाना .	५४८७–८८
३५७८	सेवानिवृत्ति की आय के बाद सेवा अवधि बढ़ाया जाना .	५४८८
३५७९	हिमाचल प्रदेश में योच रोग तथा कुष्ठ रोग .	५४८८
३५८०	परिवहन के लिये हिमाचल प्रदेश में सलाहकार समिति	५४८९
३५८१	अभावग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी सुधार के लिये योजना .	५४८९–९०
३५८२	पंचायतों को सहायता	५४९०
३५८३	पंचायत संघ परिषद .	५४९१
३५८४	दिल्ली नागपुर रात्रि विमान सेवा .	५४९१
३५८५	अंगूर की शराब का निर्माण .	५४९१–९२
३५८६	ट्रंक काल . . .	५४९२
३५८७	दक्षिण पूर्व रेलवे के अदरा जंक्शन पर चोरी . .	५४९२–९३
३५८८	केरल मे समुद्र के कटाव से डाक तथा तार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को क्षति	५४९३
३५८९	तेलंगाना जल-विद्युत् योजना . .	५४९३–९४
३५९०	गुजरात राज्य की बाढ़ नियंत्रण योजना .	५४९४
३५९१	नागपुर योजना के अनुसार सड़कें .	५४९४
३५९२	जिला कचार के लिये विमान सेवा .	५४९४–९५
३५९३	नौवहन उद्योग में सहकारी क्षेत्र .	५४९५
३५९४	भाखड़ा बांध .	५४९५
३५९५	हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग .	५४९६
३५९६	हिन्दी पदाधिकारी	५४९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५९७	दिल्ली विकास प्राधिकार .	५४९६
३५९८	रेलवे फाटक मिठापुर (पटना) में ऊपरी पुल का निर्माण .	५४९७
३५९९	आसाम में शटल गाड़ी का बन्द किया जाना .	५४९७
३६००	आसाम तक चलने वाली सवारी गाड़ियां .	५४९७–९८
३६०१	डिब्रूगढ़ मे भूमि का कटाव .	५४९८
३६०२	नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण . .	५४९८–९९
३६०३	कुष्ठ निवारण के लिये भारत स्वीडन परियोजना . .	५४९९
३६०४	कुछ अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना	५४९९–५५००
३६०५	टाटानगर रेलवे यार्ड में दुर्घटनायें . .	५५००
३६०६	हुगली नदी के नीचे सुरंग	५५००
३६०७	माता टीला बांध से बिजली	५५०१
३६०८	घाटे पर चल रहे डाक खाने	५५०१
३६०९	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	५५०१–०२
३६१०	अध्ययन के लिये छट्टी नियमों में ढील . . .	५५०२
३६११	कलकत्ता पत्तन के 'घाट क्रेन' के निर्माण के लिये इस्पात का आयात	५५०२
३६१२	पोस्त .	५५०३
३६१३	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक	५५०३–०४
३६१४	उड़ीसा में मछली पकड़ने की नावों का यंत्रीकरण . .	५५०४
३६१५	दिल्ली के मालवीय नगर और कालका जी में नालियां .	५५०४–०५
३६१६	फोल्ड असिस्टेंट . .	५५०५
३६१७	छोटी पनबिजली योजनायें .	५५०६–०७
३६१८	राष्ट्रीय राजपथ संख्या १२	५५०७
३६१९	पार्वती बांध .	५५०७
३६२०	कृषि आयोग . . .	५५०७–०८
३६२१	दक्षिण पूर्व रेलवे के डुगरगढ़ स्टेशन पर पंखों की व्यवस्था .	५५०८
३६२२	हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि .	५५०८
३६२३	पंजाब में सार्वजनिक टेलीफोन	५५०८–१०
३६२४	लखनऊ भोपाल राष्ट्रीय राजपथ .	५५१०
३६२५	रेलवे पर क्षतिपूर्ति के दावे .	५५१०–११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अ तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
३६२६	नई दिल्ली का लेडी हार्डिंग अस्पताल	५५११
३६२७	रणजीतनगर, साउथ पटेल नगर, दिल्ली में कारखाना	५५११–१२
३६२८	पूर्व रेलवे मे धनबाद में नये डिवीजन की स्थापना	५५१२
३६२९	दिल्ली और नंगल बाँध के बीच रेलगाड़ी चलाना	५५१२–१३
३६३०	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के दवाखाने	५५१३
३६३१	रसमरा और मंडला के बीच नई लाइन का निर्माण	५५१४
३६३२	मध्य प्रदेश को मक्का का संभरण	५५१४
३६३३	यात्रा अभिकरण	५५१४–१५
३६३५	रोहतक के पास मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर	५५१५
३६३६	केरल में खेती की भुमि और उत्पाद का सर्वेक्षण	५५१५
३६३६-क	भाखड़ा में भूकम्पीय वैधशाला	५५१५–१६
३६३६-ख	त्रिपुरा में दुग्धचुर्ण का संभरण	५५१६
३६३६-ग	हिमाचल प्रदेश में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये धन	५५१७
३६३६-घ	दिल्ली में खाली पड़ी सरकारी जमीनें	५५१६–१७
३६३६-ङ	हिमाचल प्रदेशप्बड़ी जमींदारियाँ उन्मुलन तथा भूमि सुधार अधिनियम	५५१७
३६३६-च	हिमालय प्रदेश में छोटे भूमिधारी	५५१७
३६३६-छ	अवयस्क टैक्सी ड्राइवर	५५१८

स्थगन प्रस्ताव ५५१८–१९

चीन द्वारा लद्दाख के निकट भारतीय राज्य-क्षेत्र में नये सैनिक अड्डों के निर्माण के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री हेम बरुआ ने दी थी, अध्यक्ष महोदय ने पेश करने की अनूमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५१९–२०

(एक) विभिन्न सत्रों में जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरण :—

(एक) विवरण संख्या १ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक–सभा)

विषय		पृष्ठ
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या १	सोलहवाँ सत्र, १९६२ (दूसरी लोक–सभा)	
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ३	पन्द्रहवाँ सत्र, १९६१ (दूसरी लोक–सभा)	
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १३	तेरहवाँ सत्र, १९६१ (दूसरी लोक–सभा)	
(पाँच) अनुपूरक विवरण संख्या २२	दसवाँ सत्र , १९६० (दूसरी लोक–सभा)	

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत त्रिपुरा मोटर गाड़ी नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ मई, १९६२ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ०४(२)—एमवी/६१ की एक प्रति ।

(३) कृषि उत्पादन (विकास तथा भांडागार) निगम, एक्ट, १९५६ की धारा (३) के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७७३ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ५५२०

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १२ जून, १९६२ को पास किये गये विनियोग (संख्या २) बिल, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ५५२१

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . .

हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक

विधेयक पारित ५५२१–२२

(१) वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव कियाकि विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) रेल मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ५५२२-४७

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री म० रं० कृष्ण) ने २३-४-६२ को सभा पटल पर रखे गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये के बारे में प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आधे घंटे की चर्चा

पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के बारे में . . . ५५४७-५४

गुरुवार, २१ जून, १९६२/३१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिए कार्यावलि

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा तथा भेषज (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा पारित करना ।

GMGIPND—LS III—1265 (Ai) LSD—22-11-62—140.